58TH ANNUAL REPORT 2017-2018

५८ वीं वार्षिक रिपोर्ट २०१७-२०१८



NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD. राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

BOARD OF MANAGEMENT AS ON 31.3.2018

Chairman

Shri Sukhdarshan Singh Mrar

Chairman, Punjab SCADB (Till December 2017)

Managing Director

Shri K.K. Ravindran

Vice Chairpersons

Shri K. Sivadasan Nair

Director, Kerala SCARDB

Shri Dalip Singh Yadav

Director, Haryana SCARDB

Shri Bijay Kumar Singh

Chairman, Multi SCLDB (Bihar-Jharkhand)

Shri B.H. Jadeja

Director, Gujarat SCARDB

Directors

Dr. Bijender Singh

President, Delhi SCB

Shri Shiv Lal

Chairman, Himachal Pradesh SCARDB

(Till February 2018)

Shri K. Shadakshari, MLA

President, Karnataka SCARDB

Shri M. Syiem

Chairman, Meghalaya CAB

Shri B. Shahul Ameed

Chairman, Tamil Nadu CSARDB

Shri Konduru Ravinder Rao

President, Telangana SCAB

Shri Rash Behari Datta

President, Tripura CARDB

Shri K.P. Singh

Managing Director, Uttar Pradesh SGVB

Shri Tejinder Singh Middukhera

Director, Punjab SCADB

Co-opted Directors

Shri Y.C. Nanda

Co-opted Member

Shri G.S. Mangat

Co-opted Member

प्रबन्धन मण्डल

अध्यक्ष

श्री स्खदर्शन सिंह म्रार

निदेशक पंजाब एससीएडीबी (दिसम्बर 2017 तक)

प्रबन्ध निदेशक

श्री के. के. रविन्द्रन

उपाध्यक्ष

श्री के. शिवदासन नायर, एमएलए

निदेशक एससीएआरडी बैंक केरल

श्री दलीप सिंह यादव

निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी

श्री बिजय कुमार सिंह

अध्यक्ष, बहुराज्यीय एससीएलडीबी (बिहार –झारखण्ड)

श्री बी. एच. जडेजा

निदेशक, गुजरात एससीएआरडीबी

निदेशक गण

डा. बिजेन्द्र सिंह

अध्यक्ष, दिल्ली एससीबी

पं. शिव लाल

अध्यक्ष, हिमांचल प्रदेश एससीएआरडीबी (फरवरी 2018 तक)

श्री के. शदाक्षरी, एमएलए

अध्यक्ष, कर्नाटक एससीएआरडीबी

श्री एम. सियेम

अध्यक्ष, मेघालय सीएबी

श्री बी. शाहल अमीद

अध्यक्ष, तमिलनाडु सीएसएआरडीबी

श्री कोण्ड्रु रविन्द्रर राव

अध्यक्ष, तेलंगाना एससीएबी

श्री राश बिहारी दत्ता

अध्यक्ष, त्रिपुरा सीएआरडीबी

श्री के.पी. सिंग

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश एसजीवीबी

श्री तेर्जींदर सिंग मिद्खेरा

निदेशक, पंजाब एससीएडीबी

सहयोजित निदेशक

श्री वाई. सी. नन्दा

सहयोजित सदस्य

श्री जी. एस. मंगत

सहयोजित सदस्य

FIFTYEIGHTH ANNUAL REPORT 2017-18



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 / 426 Fax: (022) 2781 4225

E-mail: nafcard.org@gmail.com Website: www.nafcard.org



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2017-18 will be held **at 12.00 Noon on Saturday, September 15th, 2018 at Hotel Polo Towers, Shillong,** to transact the following business.

- 1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 21stJuly 2017 in Mumbai.
- 2. Consideration of Audited statement of Accounts for the year 2017-18.
- 3. Disposal of surplus for the year 2017-18
- 4. Consideration of the Audit report for the year ended 31.03.2018
- 5. Consideration of Audit Compliance Report for 2017-18.
- 6. Consideration of Annual Report for the year 2017-18
- 7. Appointment of Auditors for the year 2018-19 and fixing audit fees.
- 8. Consideration of Annual Budget for the year 2019-20.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-


(K.K. Ravindran) Managing Director

Place: Navi Mumbai Date: 14th August, 2018



BOARD OF MANAGEMENT

OFFICE BEARERS



Shri K. Sivadasan Nair Chairman



Shri Dalip Singh Yadav Vice Chairman



Shri Bijay Kumar Singh Vice Chairman



Shri K. Shadakshari Vice Chairman



Shri K. Ravinder Rao Vice Chairman



Shri Marchynna Syiem Vice Chairman



Shri K. K. Ravindran Managing Director



Shri Tejinder Singh Middukhera Vice Chairman



BOARD OF MANAGEMENT

(As on 01st August 2018)



Shri K. Sivadasan Nair (Director, Kerala SCARDB) Chairman



Shri Dalip Singh Yadav (Director, Haryana SCARDB) Vice Chairman



Shri Bijay Kumar Singh Chairman, Multi SCLDB (Bihar-Jharkhand) Vice Chairman



Shri K. Shadakshari (President - Karnataka SCARDB) Vice Chairman



Shri K. Ravinder Rao (President - Telangana SCAB) Vice Chairman




Shri Marchynna Syiem (Chairman - Meghalaya CAB) Vice Chairman



Shri Tejinder Singh Middukhera (Director - Punjab SCADB) Vice Chairman



Dr. Bijender Singh President, Delhi SCB



Shri C.N. Parmar (Custodian - Gujarat SCARDB)



Shri Mohammad Aslam Bhat (Managing Director -Jammu & Kashmir SCARDB)



Shri R.G. Sakthi Saravanan Managing Director - Tamilnadu CSARDB



Shri K. K. Ravindran Managing Director



MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Excutives (As on 1st August 2018)

Multi State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)



Shri Bijay Kumar Singh Chairman

Shri Binod Prasad Singh Managing Director

Delhi State Co-operative Bank Ltd.



Dr. Bijender Singh President



Smt. Anita Rawat Managing Director

Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri C.N. Parmar Custodian



Shri V.M. Chaudhari General Manager

Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Dhanesh Adlakha Chairman



Shri Naresh Goyal Managing Director

Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & **Rural Development Bank Ltd.**



Shri Naresh Kumar Managing Director

Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Mohammad Aslam Bhat Chief Executive

Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri K. Shadakshari, MLA President



Shri A.C. Diwakara Managing Director

Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri Soloman Alex President



Shri E. Devadasan, IAS Managing Director

Meghalaya **Co-operative Apex Bank Ltd.**



Chairman



Shri Marchynna Syiem Shri Osmanat E J Nongbri Managing Director

Odisha Sate Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri Jogendra Swain President



Shri Nityananda Rout Managing Director

Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.



Shri A. Irysappan Managing Director



D. Krishnamoorthy Administrator

Punjab State Co-operative Agricultural **Development Bank Ltd.**



Chairman



Shri H. S. Sidhu Managing Director

MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Excutives (As on 1st August 2018)

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.



Shri G.L. Swami Administrator



Shri Vijay Kumar Sharma Managing Director

Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri R.G. Sakthi Saravanan Managing Director

Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Konduru Ravinder Rao Chairman



Dr. Nethi Muralidhar Managing Director

Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Rash Bihari Datta President



Shri Dipak Rn. Das General Manager

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.



Shri Shivpal Singh Yadav Chairman



Shri K.P. Singh Managing Director

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Nirmalya Kumar Ghosh Managing Director

Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Photograph not received



I. ECONOMIC SCENE

India has emerged as the fastest growing major economy in the world as per the Central Statistics Organisation (CSO) and International Monetary Fund (IMF) and it is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its strong democracy and partnerships. India's GDP is estimated to have increased 6.6% in 2017-18 and is expected to grow 7.3% in 2018-19.

India's gross domestic product (GDP) at constant prices grew by 7.2% in September-December 2017 quarter as per the Central Statistics Organisation

(CSO). Corporate earnings in India are expected to grow by 15-20% in FY 2018-19 supported by recovery in capital expenditure. As per the first advance estimates, the growth rate of Gross Value Added (GVA) at constant basic prices for 2017-18 is placed at 6.7% as against 6.1% in 2016-17 mainly on account of the slowdown in the second half of the year due to introduction of Goods and Services Tax (GST). Growth rate of GVA at basic prices for different sectors for years from 2012-13 to 2017-18 is furnished in the following table.

Growth Rate of GVA at basic price at Constant (2011-12) prices (in %)

Growth Nate of GVA at basic price at Gonstant (2011-12) prices (iii 70)						
Industry	2012-13	2013-14	2014-15*	2015-16#	2016-17@	2017-18 (2 nd AE)
I. Agriculture	1.5	5.6	-0.2	0.6	6.3	3.0
II. Industry	3.3	3.8	7.0	9.8	6.8	4.8
Mining & quarrying	0.6	0.2	9.7	13.8	13.0	3.0
Manufacturing	5.5	5.0	7.9	12.8	7.9	5.1
Electricity, gas & water supply	2.7	4.2	7.2	4.7	9.2	7.3
Construction	0.3	2.7	4.3	3.7	1.3	4.3
III. Services	8.3	7.7	9.8	9.6	7.5	8.3
Communication & services relating to broadcasting	9.8	6.5	9.4	10.3	7.2	8.3
Financial Services, real estate & professional services	9.7	11.2	11.0	10.9	6.0	7.2
Public administration, defence and other services	4.3	3.8	8.3	6.1	10.7	10.1
GVA at basic price	5.4	6.1	7.2	8.1	7.1	6.4

^{*: &}lt;u>Third Revised Estimates,#:Second Revised Estimates,@:First Revised Estimates.AE: Advanced Estimate Source: Central Statistics Office.</u>



At sectoral level, agriculture and allied sectors improved significantly in 2017-18 mainly due to a normal monsoon during the year after two below normal years consecutively. Industrial sector slowed down from 6.8% to 4.4% mainly on account of negative growth of mining and quarrying and manufacturing sector to the order of 0.8% and 2.8% respectively though construction sector registered growth of 3.0%. Services sector which showed a growth rate of 8.3% in the first half could not maintain that pace in the second half resulting in overall growth rate for the year registering at 7.5%. Still, services continues to be the fastest growing sector with average 9% growth since 2001 and contributing 57% of GDP. Agriculture, in spite of being the largest employer contributes only 17.1% of GDP, which also is declining over the years, whereas share of industries in GDP remains almost steady at 28.9% while the share of manufacturing sector remains in the range of 54-56% in the last few years.

The trend of negative export growth was reversed somewhat during 2017-18 (April-December), with exports growing at 11.02% to \$ 273.73 bn. During 2017-18 (April-December) imports increased by 20.58% to \$ 416.86 bn. However, trade deficit

widened to \$ 143.13 bn in 2017-18 (April-December) as compared to \$ 105.72 bn in the corresponding period of the previous year. Robust inflows of foreign direct investment and net positive inflow of foreign portfolio investment were sufficient to finance Current Account Deficit leading to an accretion in foreign exchange reserves in the first half of 2017-18. The foreign exchange reserves grew by 14.1% on a year-on-year basis from end of Dec 2016 to end of Dec 2017. The forex reserves as per 2016-17 were estimated at \$ 370 billion. It grew to \$ 409.4 billion in 2017-18. India's foreign exchange reserves were US\$ 422.53 billion in the week up to March 23, 2018, according to data from the RBI.

India's external debt reached USD 495.7 billion at the end of September quarter, up 5.1 percent over end-March 2017, primarily on account of increase in foreign investment in the debt segment of capital market. On a sequential basis, total external debt at end-September 2017 increased by USD 10 billion (2.1 percent) from the end-June 2017 level. The rise in external debt during the period was primarily due to the increase in foreign portfolio investment (FPI) in the debt segment of domestic capital market included under commercial borrowings.



II. AGRICULTURE - GENERAL SCENARIO

Agriculture plays a vital role in India's economy. Agriculture is the principal means of livelihood for 58 per cent of the rural households. Over the years the share of agriculture in the GDP has been declining steadily without commensurate reduction in the dependency level of population on this sector. As per the first advanced estimates by the Central Statistics Office (CSO), the share of agriculture and allied sectors (including agriculture, livestock, forestry and fishery) is expected to be 17.1 % of the Gross Value Added (GVA) during 2017-18 at 2011-12 prices.

India's food production at 277.49 million tonnes in 2017-18 has increased over five fold since independence. The average yield of cereals such as rice and wheat also have doubled since 1970s but are still lower than China and US.

Production estimates of major food crops during 2017-18 is given below.

(in Million Tonnes)

	(····
Total Kharif food-grains	277.49
Rice	111.01
Wheat	97.11
Total Coarse Cereals	45.42
Total Pulses	23.95
Total Oilseeds	298.82 lakh tonnes
Sugarcane	3532.26 lakh tonnes

Source: Directorate of Economics & Statistics, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare.

However, consecutive years of good harvest in 2016-17 and 2017-18 led to crash in wholesale crop prices leading to protests by farmers. The centre in its budget this year promised minimum support prices (MSP) at costs plus 50% margin and said it will announce a

policy for effective procurement of crops at support prices.

India, the second-largest producer of sugar, accounts for 14% of the global output. It is the sixth-largest exporter of sugar, accounting for 2.76% of the global exports.

Groundnut exports from India are expected to cross 700,000 tonnes during FY 2016-17 as compared to 537,888 tonnes during FY 2015-16, owing to the expected 70% increase in the crop size due to good monsoons. India's export of grapes to Europe and China are expected to increase by 10 to 20% this year on back of higher production on account of good monsoon and higher demand due to competitors such as Chile shifting focus to US market.

India has been the world's largest producer of milk for the last two decades and contributes 19 per cent of the world's total milk production.

India is emerging as the export hub of instant coffee which has led to exports of coffee increase 17 per cent in calendar year 2017 to reach US\$ 958.80 million. Tea exports from India reached a 36 year high of 240.68 million kgs in CY 2017.

India topped the list of shrimp exporters globally in 2016 with exports of US\$ 3.8 billion which are expected to double to US\$ 7 billion by 2022.

India is the second largest fruit producer in the world. India's horticulture output reached 300.64 million tonnes in 2016-17 and is expected to reach 305.43 million tonnes in 2017-18.

Agricultural export constitutes 10 per cent of the country's exports and is the fourth-largest exported



principal commodity. Agricultural exports from India reached US\$ 28.09 billion during April 2017-January 2018 with exports of basmati, buffalo meat reaching US\$ 6.19 billion and US\$ 6.59 billion, respectively.

Dairy sector in India is expected to grow at 15 per cent CAGR to reach ₹ 9.4 trillion (US\$ 145.7 billion) by 2020.

The agriculture sector in India is expected to generate better momentum in the next few years due to increased investments in agricultural infrastructure such as irrigation facilities, warehousing and cold storage. Factors such as reduced transaction costs and time, improved port gate management and better fiscal incentives would contribute to the sector's growth. Furthermore, the growing use of genetically modified crops will likely to improve the yield for Indian farmers. The 12th Five-Year Plan estimates the foodgrains storage capacity to expand to 35 MT.

Climate change and Agriculture

India is vulnerable to the vagaries of weather as 52% of cultivated area is rainfed (73.2 million ha area of 141.4 million ha. Net sown area) farm field is still unirrigated and dependant on rainfall. The all India percentage of net irrigated area to total cropped area is even lower at 34.5%. At least three main channels through which climate change would impact farm incomes - an increase in average temperatures, a decline in average rainfall and an increase in the number of dry-days. Elaborating on the impact of climate change, it said "between the 1970s and the last decade, kharif rainfall has declined on an average by 26 millimetres and rabi rainfall by 33 millimetres. Annual average rainfall for this period has on an average declined by about 86 millimeters." Similarly, the average increase in temperature during this period is about 0.45 degrees and 0.63 degrees in the kharif and rabi seasons, respectively. "The central priority of the government will be to provide opportunities for farmers to diversify their income generating opportunities to reduce the various risks by facilitating the development of agricultural sub-sectors like livestock and fisheries," it said. The government has also been urged to take

"radical follow-up action" to achieve its objective of addressing agricultural stress and doubling of farmers' income.

Climate change could reduce Annual agriculture income by 15-18%, and up to 20% to 25% for unirrigated areas.

Union Budget 2017-18 had placed focus on following programmes in agriculture sector.

- The total allocation for the rural, agriculture and allied sectors in 2017-18 is ₹1,87,223 crore, which is 24% higher than the previous year.
- The target for agricultural credit in 2017-18 has been fixed at a record level of ₹10 lakh crores as against ₹9 lakh crores during 2016-17.
- Coverage of Fasal Bima Yojana will be increased from 30% of cropped area in 2016-17 to 40% in 2017-18 and 50% in 2018-19. For 2017-18, provided a sum of ₹9,000 crore.
- Government will set up new mini labs in Krishi
 Vigyan Kendras (KVKs) and ensure 100%
 coverage of all 648 KVKs in the country.
- Addition of ₹20,000 crore to the corpus of Long Term Irrigation Fund.
- A dedicated Micro Irrigation Fund to be set up in NABARD to achieve the goal, 'per drop more crop' with an initial corpus of ₹5,000 crore.
- The coverage of National Agricultural Market (e-NAM) will be expanded from the current 250 markets to 585 APMCs.
- A Dairy Processing and Infrastructure Development Fund would be set up in NABARD with a corpus of ₹8,000 crores over 3 years. Initially, the fund will start with a corpus of ₹2,000 crores.
- Introduction of Computerisation in Primary Agricultural Credit Societies through NABARD's intervention.



Union Budget 2018-19 has placed focus on the following programmes in agriculture sector.

- Minimum Support Price (MSP) to be at least 50% more than the cost of produce.
- To develop and upgrade existing 22,000 rural haats into Gramin Agricultural Markets (GrAMs).
 GrAMs to be electronically linked to e-NAM and exempted from regulations of APMCs.
- Agri-Market Infrastructure Fund with a corpus of ₹2000 crore will be set up for developing and upgrading agricultural marketing infrastructure in the 22,000 GrAMs and 585 APMCs.
- Prime Minister Gram Sadak Yojana Phase III to include major link routes which connect habitations to GrAMs.
- Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare to promote cluster based development of agricommodities and regions in partnership with the Ministries of Food Processing, Commerce and other allied Ministries.
- Organic farming by Farmer Producer Organizations (FPOs) and Village Producers' Organizations (VPOs) in large clusters, preferably of 1000 hectares each, will be encouraged.
- Women SHGs to be encouraged to take up organic agriculture in clusters under NRLM.
- Support to organized cultivation of medicinal plants and associated industry. Allocation of ₹200 crore.
- Government will promote establishment of specialized agro-processing financial institutions.
- Launching of "Operation Greens" for tomato, onion and potato, on the lines of "Operation Flood". It will promote FPOs, agri-logistics, processing facilities & professional management.
- Liberalization of exports of agri-commodities.

- Setting up of state-of-the-art testing facilities in all 42 Mega Food Parks.
- Extension of KCC facilities to fisheries & animal husbandry farmers.
- Launching of Restructured National Bamboo Mission with outlay of ₹1290 crore.
- Scope of LTIF to be expanded to cover specified command area development projects.
- Setting up of Fisheries & Aquaculture Infrastructure Development Fund & Animal husbandry Infrastructure Development Fund with a total corpus of ₹10,000 crore.
- Target for institutional credit for agriculture sector to be raised from ₹10 lakh crore in 2017-18 to ₹11 lakh crore in 2018-19.
- 100% tax deduction on profits to Farmer Producer Companies having annual turnover up to ₹100 cr.
- In March 2018, the Government of India extended the urea subsidy to the farmers till 2020 with the aim of ensuring supply of urea at statutory controlled prices. Urea subsidy for 2018-19 is estimated at ₹45,000 crore (US\$6.95 billion).
- As of March 2018, the Government is working on a plan to provide air cargo support to promote agriculture exports from India.
- The implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) will be made faster and the government is aiming to increase the coverage under the scheme to 50 per cent of gross cropped area in 2018-19.
- The Government of India is going to provide ₹2,000 crore (US\$ 306.29 million) for computerisation of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) to ensure cooperatives are benefitted through digital technology.
- Around 100 million Soil Health Cards (SHCs) have been distributed in the country during



- 2015-17 and a soil health mobile app has been launched to help Indian farmers.
- With an aim to boost innovation and entrepreneurship in agriculture, the Government of India is introducing a new AGRI-UDAAN programme to mentor start-ups and to enable them to connect with potential investors.
- The Government has launched the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) with an investment of ₹ 50,000 crore (US\$ 7.7 billion) aimed at development of irrigation sources for providing a permanent solution from drought.
- The Government plans to triple the capacity of food processing sector in India from the current 10 per cent of agriculture produce and has also committed ₹ 6,000 crore (US\$ 936.38 billion) as investments for mega food parks in the country, as a part of the Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters (SAMPADA).
- The Government of India has allowed 100 %
 FDI in marketing of food products and in food product e-commerce under the automatic route.

III. RURAL CREDIT SCENARIO

The plan target and actual flow of credit to agriculture and rural sectors during the last ten years (i.e. from 2005-06 to 2017-18 and target for the year 2018-19 is as given below together with the growth rate and percentage of achievements.

Access to agricultural credit is linked to the holding of formal land titles. As a result, small and marginal farmers, who account for more than half of the total land holdings, and may not hold formal land titles, are unable to access institutionalized credit. Farmers

Year	Target	Achievement (₹ Crs)
2005-06	1,41,500 (34.76%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (23.67%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (20.76%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,514 (26.94%)
2010-11	3,75,000 (15.38%)	4,68,291 (21.79%)
2011-12	4,75,000 (26.66%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.31%)
2014-15	8,00,000(14.28%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	8,80,000 (15.68%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	9,59,825 (9.07%)*
2017-18	10,00,000 (11.11%)	10,46,000 (4.6%)
2018-19	11,00,000 (10%)	

Note: Figures in parentheses indicate percentage change over previous year Source: Budget document & Economic Surveys of Gol (2005-06 to 2016-17) & NABARD Annual Reports

^{*}Fig.17: Agriculture Credit, Pp.157 (Economic Survey 2016-17, Gol).



require credit for short term uses such as purchasing inputs, weeding, harvesting, sorting and transporting, or long term uses such as investing in agricultural machinery and equipment, or irrigation. Indian agriculture is heavily dependent on monsoon – 60% area rainfed - three Ms - Monsoon, money and market are crucial. Small and marginal farmers access to finance – about 50% (both formal and informal – 30% formal and 20% informal). Informal sources of credit are typically offered at higher rates of interest, and may not have proper documentation. Other major sources of agricultural credit include shopkeepers, relatives or friends, and co-operative societies. 85% of about 12.5 crore farms are small and marginal in terms of holding size.

- Farm household expenditure is more than farm household income for majority of small and marginal farmers – perpetual financial deficit / undernutrition/ill health/unmet basic needs.
- Majority of farmers are willing to take up other occupations, but stuck to agriculture for want of opportunities elsewhere.

Over the past few decades, the trend of short term and long term agricultural credit in the country has reversed. From 1990-91 and onwards, the share of long term credit has been constantly decreasing implying that farmers are taking loans for recurring expenditures rather than to fund long term investments. Although the flow of production credit has been on the increase year after year due to the thrust of the Government of India, this has not, however, contributed significantly to the capital formation in agriculture. Production credit only ensures food security for the population. Only long term investment credit flow ensures capital formation in agriculture.

It is estimated that 75% of the total credit to agriculture has been contributed by Commercial Banks and balance by Cooperatives and RRBs with a share of 15% and 10% respectively. The reported growth in credit, however, is hardly reflected in the field. Nearly half of India's 1540 million farming households are excluded

from the formal credit system. Ordinary farmers still find it difficult to access credit from banking system. In spite of domination of Commercial Banks in the statistics of agricultural lending, cooperatives continue to be the source of credit for 60% of borrowing farmers. RRBs have significantly increased their share in agriculture lending accounting for 10% of the total credit and about 20% of total borrowers. The fact that Cooperatives and RRBs together cover nearly 80% of borrowing farm households leaves Commercial banks to finance just 20% of borrowing farmers. Evidently, the direct loans of Commercial Banks to farmers should be much less than what is actually reported. This over counting of agricultural lending by Commercial Banks has caused to vitiate Govt policies in rural credit and drastically diminished the importance of cooperatives in Govt policies and programmes to augment credit flow to the sector.

The agricultural yield (in terms of average per hectare production) is found to be much lower in the case of most crops, as compared to other top producing countries such as China, Brazil and the United States. Key issues affecting agricultural productivity include the decreasing sizes of agricultural land holdings, continued dependence on the monsoon due to in adequate access to irrigation, imbalanced use of soil nutrients resulting in loss of fertility of soil, uneven access to modern technology in different parts of the country, lack of access to formal agricultural credit, limited procurement of food grains by government agencies, and failure to provide remunerative prices to farmers.

The large number of fragmented holdings and shift in the agricultural work force to urban areas in search of employment opportunities and as an occupation becoming non-remunerative have come in the way of smooth flow of institutional finance towards investment credit in a big way. This has also contributed to the declining trend in capital formation in agriculture.

Profitability of agriculture vis-a-vis other sectors influences private investment in agriculture and



relative profitability of different crops determines the inter-crop allocation of land and other resources. This slowdown in agriculture was mainly because of sharp deceleration/decline in public investment and input usage in agriculture, which is linked to decline in profitability of most crops. The complementarity between public investment and private investment as well as input usage, led to this severe crisis in agriculture. The increasing marginalization of land holdings in most of the states, accompanied with increasing fragmentation compounds the challenges of increasing productivity and accelerating agricultural growth. Ensuring sustainability and economic viability of small holders and improving their competitiveness in production and marketing by facilitating better access to improved technology, inputs, credit and markets is crucial for higher and inclusive agricultural growth.

Shifting a large chunk of workforce from agriculture by creating productive work opportunities in the non-farm sector is also required to check the disturbing trend of increasing disparities between agricultural and non-agricultural occupations.

Policy measures like land reforms, enhanced rural credit, and greater public investment are important to promote agricultural growth in less developed regions.

Another major issue in agricultural credit is the steep decrease in the proportion of investment credit in the total credit flow since 90s. This has considerably slowed down capital formation in agriculture. The share of public investments in agriculture being only 25%, bulk of investments in this sector takes place through private initiative facilitated mostly through bank loan. Average rate of gross capital formation in agriculture in the last 5 years comes to only 15%, which goes down to half of that when adjusted to inflation. The capital formation in agriculture in real terms does not even fully cover the replacement needs of worn-out assets, which leaves net capital formation negative. Gross capital formation needs to be stepped up by an additional 10% to avoid negative net capital formation.

With around 50 percent of the population still dependent on agriculture for its livelihood, the sector continues to play a vital role through its multiplier impact on the economy.

The most important pre-requisite in the agricultural sector is the need to encourage farmers to make long-term investments. Inevitably, public support is required not only through an increased flow of credit and creation of infrastructural investments but also through the development of agri-markets and investment in agro-processing. The investment needs may differ across countries /regions given their diverse agro-climatic conditions, and the level of agricultural development, and the crop and allied activities being undertaken by them.

Considering existence of fiscal constraints, investment strategy in agriculture should be guided by efficient and equitable use of resources with high payoffs.

- Also a need to accelerate the supply response in agriculture and save on large wastages in the supply chains.
- Large investments in supply chains, R&D, logistics processing and organized retailing required to achieve this.
- Private sector investments can be leveraged through open and more investor-friendly policies, on the one hand, & FPOs, on the other, with the two reinforcing each other for a big push in agriculture.
- Ensuring more investment credit flow to dairy, poultry, horticulture, fisheries, storage and marketing, contract farming etc. which would provide employment opportunities and additional income generation to the farmers.

Credit acts as an enabling and critical input in the production process. Studies reveal that loans from institutional sources, viz., commercial banks, regional rural banks and cooperatives, provide access to and usage of fertilisers, seeds and other inputs, and are also highly correlated with capital formation. Seen



from the demand side, this indicates that nearly 86 per cent of the farm investment in India is undertaken through borrowed money from both institutional and non-institutional sources. The existing institutional finance mechanism takes care of more than 65 percent of the total production credit requirements and the balance goes for investment credit. The short term loans provided by all banks largely support for production of crop and lesser share goes towards investment in agriculture. This has affected the capital formation in agriculture which should have been increased substantially over the years mainly because of farmers not getting adequate returns for their investments made by borrowing through institutional credit agencies.

The current estimates suggest that long-term credit is not just declining but also that it constitutes less than a quarter of total agricultural credit. The policy thrust, therefore, has to be on incentivizing banks through adequate budgetary support. Similarly, reviving public sector investment is critical due to its multiplier effect on the overall GCF in the sector.

In India the investment requirements have not been estimated for agricultural growth at state level but only made at national level. The Planning Commission estimated that a 20.41 per cent rate of investment was required to achieve a growth target of 3.5-4.2 per cent during the Twelfth Five Year Plan (2012-17). This investment rate, based on the incremental capital output ratio (ICOR) of 5.32%, is to be met through the public and private (farm household) sectors. Based on the average ICORs from 2007-08 to 2011-12 and 2012-13 to 2013-14 and the targeted 9.23% annual increase real farm income, the required rate investment on private account is at 6.62%. In case of public investment ('for' agriculture) the targeted investment rate is assessed at 6.92% per year. In absolute terms, in order to enable the doubling of farmers' real income by generating higher farm incomes, the private investment in India should increase from ₹ 296 billion (₹ 29,559 crore) in 2015-16 to cumulative ₹ 463 billion (₹ 46,299 crore) in 2022-23, at 2004-05 prices.

Studies undertaken for the earlier periods also reported higher ICORs in agriculture, varying between 2.2 and 4%, which indicates that a one-rupee increase in output per year requires an one-time investment of ₹2.2 to ₹4. The capital requirement would almost double if public investment in infrastructure and supportive investments are also taken into account. With increased fragmented landholdings, it is quite unlikely that marginal farmers would be willing to take investment credit when the adequate return is not assured by such investments. Thus, the risk and return ratio on investment credit being quite high, there will be hesitancy on the part of the small/marginal farmers to borrow at a high cost where the return is going to be far less. As indicated above unless the investment risk return ratio becomes positive, farmers may not be willing to take any risk for putting additional investment by taking loans from institutional agencies.

The institutional credit delivery mechanism does not have long term resources. The refinance facility from NABARD is only by way of liquidity support to the banks. Commercial Banks generally squeeze the repayment period for their investment credit support thereby compelling the farmers to repay their loans even without any income. Hence, they are forced to approach informal sources for their financial needs which carry exorbitant rate of interest. Cooperative banks and RRBs do not have adequate long term resources to augment their share in investment credit. ARDBs are the only source to support the investment credit needs of their members sometimes even with or without NABARD's refinance support. If the share of investment credit by ARDBs need to be expanded, they should be provided with liberalised funding from NABARD or any other higher financing agencies as the ARDBs are the only channel purposely created by the policy makers for providing long term investment credit support. It, therefore, calls for a relook on the refinancing policy of NABARD which should play the proactive role of supporting the ARDBs liberally without any strings instead of adopting restricted lending policies. In fact, NABARD has been first recovering its refinance dues from ARDBs even when



they are not in a position to recover from the borrowing members, since its inception. This policy of NABARD needs to be relooked and it should adopt later-end repayment of its refinance instalments by the ARDBs. Such an approach would give adequate cushion to ARDBs in meeting unfavourable recovery climate arising out of various socio-political reasons and NABARD would also take part in risk sharing approach.

In case the country wants to increase its share in export of agricultural produce, it needs to make huge investments in agriculture (both public and private) towards capital formation for creation of assets for undertaking post-harvest technology activities in a big way. ARDBs can play a vital role in expanding their credit portfolio by encouraging investment credit liberally for those farmers who are willing to undertake such activities in rural areas. To enable the ARDBs to play a meaningful role in this direction, NABARD needs to extend liberal refinancing support so that ARDBs can continue to remain as an active partner in rural development. In the first place, Govt. continues to ignore the potential role of Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS), which is the only specialized agency for investment credit to farmers. The revamping of LTCCS is badly delayed affecting its ability to meet the Long Term credit needs of farmers. Govt. should implement the revival package for LTCCS recommended by Vaidyanathan Task Force II without further delay.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt. has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of

about 8.50% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 12-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt. has set up Long Term Rural Credit Fund with NABARD out of deficit in commercial banks' lending to agriculture started initially with an allocation of in 2014-15 was further increased to ₹ 15000 crore during 2015-16. NABARD has been using this Fund for giving investment credit refinance at a lower rate for a maximum period upto 5 years. However, SCARDBs got only a small share of LTRCF as their loans are mostly of longer term than 5 years.

Financing agriculture, especially under rain-fed conditions, which accounts for 63% of the total area under cultivation, involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

Implementation of Debt Waiver Scheme by Central and State Govts, continued to vitiate the climate of loan recovery. Govt. support to farmers for agriculture insurance should be extended for insuring farm assets also apart from crops. Govt. should also refrain from actions that vitiated recovery climate and restrain from interference in the recovery process of ARDBs.

Most part of the institutional credit goes to a few developed states in the South and North-west regions of India. Consequently, rural areas in Eastern and North-eastern states with huge potential for agricultural growth are not getting adequate credit. Addressing the skewed distribution of credit between various regions as well as between rural communities within each region is another major challenge for rural financial system.





IV. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE — OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem debts on land. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of a large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also recommended diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the IInd Five Year Plan which came to be known as State Cooperative Land Development Banks which were renamed as State Cooperative Agriculture & Rural Developmegnt Banks with further diversification into rural non-farm sector in the 80s.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post-Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to

promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment. It will not be out of place to mention that till the 1980-1990 the ARDBs were effectively the only banks which were engaged in providing investment credit for agriculture. The role of the commercial banks was limited primarily to financing corporate sector in plantation, commercial poultry and dairy units.

The Long Term Cooperative Credit Structure comprises of SCARDBs in 16 States operating either through their own branches at ground level or through Primary Agricultural and Rural Development Banks affiliated to the state level Apex. In Andhra Pradesh, the SCARDB was merged with Andhra Pradesh State Cooperative Bank in 1995 to form an integrated structure. Chhattisgarh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank was also merged with Chhattisgarh State Cooperative Bank in October 2014. In most of the states formed after 1960, State Cooperative Banks also perform investment credit operations in agriculture and rural sectors in the absence of separate structure for Long Term credit.

At present the structure comprises of 16 SCARDBs of which only 13 are fully functional with a network of 1,754 PCARDBs/branches of SCARDBs at ground level. These banks have a total membership of 1,01,77,590 rural households of which 54,26,081 have outstanding loans. The Total Loans Outstanding and Borrowings Outstanding of these banks as on 31.03.2018 were ₹ 20551.34 crores and ₹14996.23 crores respectively. Fully functional SCARDBs have total deposits of these banks as on 31.3.2018 were ₹ 2128.17 crore as against ₹2244.19 crores as on 31.3.2017 while their total lending stood at ₹ 4363.92 crores as against ₹ 4641.61 crores during the previous year. Aggregate recoveries



of these banks stood at 38.44% (upto June 2017) as against 56.23% last year.

Growth of Long-Term Cooperative Credit Structure as on 31 March 2018 (₹ Lakh)

Cr No	Particulars Particulars	During the year		
Sr. No.	Particulars	2016-17	2017-18	
1.	No. of SCARDBs			
	i Fully Functional	13	13	
	ii Others	3	3	
2.	Network of outlets			
	i Branches of SCARDBs	672	679	
	ii PCARDBs and its branches	1,065	1,075	
	TOTAL	1,737	1,754	
3.	Membership of individuals			
	i Borrowing Members	55,13,524	54,26,081	
	ii Non-borrowing Members	47,56,731	47,51,509	
	TOTAL	1,02,70,255	1,01,77,590	
4.	Loans Outstanding	20,21,044.11	20,55,134.33	
5.	Loans Disbursed	4,64,161.23	4,36,391.96	
6.	Borrowings Outstanding	15,42,572.43	14,99,623.04	
7.	Deposit Outstanding	2,24,419.16	2,12,817.44	
8.	Loan Recovery Position			
	As on	30 June 2016	30 June 2017	
	i Demand	11,60,346.45	12,57,892.51	
	ii Recovery	6,52,425.06	4,83,591.77	
	iii Recovery %	56.23	38.44	
9.	Amount of Profit	8502.51	7238.72	
	In Profit (no.)	8	10	
10.	Amount of Losses	24,931.92	4034.57	
	In Loss (no.)	5	3	
11.	Staff Position			
	i SCARDB Level	5039	4902	
	ii PCARDB level	5062	4981	
	TOTAL	10101	9883	

Issues and Challenges in the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)

The LTCCS is primarily designed as non-resource based specialized term lending agency. The structure

consists of Agriculture and Rural Development Banks at State and Primary levels. These institutions are not given license to function as Banks coming under the purview of Banking Regulations Act. Hence they are



not allowed to take deposits from public like other Rural Financial Institutions (RFIs). As a result, they are dependent heavily on borrowed funds for advancing loans. Before Independence, Government was the main source of funds for their operations. In 1961, Agriculture Refinance Corporation (ARC) was established to mobilize Long Term resources for the operations of Land Development Banks (LDBs). In 1963, ARC was renamed as ARDC. Till formation of NABARD in 1982, Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) and Agricultural Credit Department (ACD) of RBI together provided funds for the operations of LTCCS. In July 1982, NABARD was formed by merging ARDC and ACD. Since then, NABARD is the main source of funds for the structure for carrying out its lending operations. The refinance support of NABARD, however, has been steadily declining since the beginning of 2000s. This has severely restricted the lending operations of SCARDBs. Moreover, SCARDBs in some States which could not access NABARD's refinance due to nonavailability of Govt. guarantee or failure to meet the eligibility conditions for refinance based on Risk Rating norms introduced had to suspend lending operations for want of resources. Most of the ARDBs had to bear the guarantee fee ranging from 0.25% (Gujarat) to 2% excepting West Bengal in addition to the Risk Cost being fixed by NABARD based on its Risk Rating parameters. Thus, effectively, the margin available for ARDBs is getting reduced year after year and their profitability is getting eroded. The resource poor institutions created for the specific purpose of providing long term investment credit need to be treated on a slightly different footing by the higher financing agencies like NABARD rather than compelling the ARDBs to fall in line with other rural financial institutions which are resource rich. It may not be out of place to mention here that NABARD does not insist on Government default guarantee while extending refinance support to other Cooperative credit institutions. Since NABARD has been insisting on for Government's default guarantee as security for its refinance, payment of guarantee fee to the

concerned State Government and payment of risk cost are adding up to the cost of funds to ARDBs, which needs to be dispensed with. It should be appreciated that the ARDBs cannot pass on these additional charges to the ultimate borrowers when other rural financial institutions in their area of operation provide loans at a much cheaper rate. Further, there has been inordinate delay in getting the guarantee from some of the State Governments as a result of which they could not avail the NABARD refinance fully. In order to avoid this, NABARD may consider releasing certain percentage of the refinance limit sanctioned to eligible ARDBs without insisting on the submission of the default guarantee. Alternatively, those ARDBs which are fulfilling the covenants of refinance terms and conditions of NABARD and have never defaulted in their repayment commitments to NABARD need to be given certain relaxed treatment like giving a free limit upto a certain level of refinance allocation out of LTRCF without insisting on the Government guarantee, to begin with. This issue needs to be viewed compassionately for helping the resource poor institutions to enable them to reduce their cost of funds and continue to ensure smooth flow of investment credit in rural areas.

Inability to meet Short Term production credit/working capital needs of Long Term borrowers has been another major deficiency in the working of ARDBs. Because of restrictions in the Act, SCARDBs in general, were unable to diversify lending to short term purposes until recently. In recent years, ARDBs in most of the States are also meeting short term credit needs of long term borrowers out of funds mobilized as deposits from members and short term borrowings from NCDC and banking system. However, ARDBs still are unable to advance crop loans at 7% interest p.a. as crop loan interest subvention scheme of Government of India is not extended to ARDBs.

The financial performance of institutions in the structure started declining since 90s due to heavy overdues and losses in Govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins to meet their transaction and risk



costs and implementation of debt waiver scheme in 1990 by Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme. In fact, all rural financial institutions including Commercial banks, RRBs and Short Term Cooperative Credit Structure also incurred heavy financial losses due to the above reasons. While such losses of the Commercial banks, RRBs and STCCS have been compensated by the government through various revamping processes, the losses of ARDBs continue to remain uncompensated. Even though Task Force No.2 for LTCCS headed by Prof. Vaidyanathan recommended a revival package comprising of one time assistance by Central and State Govts for recapitalisation of ARDBs in 2006, it has not been operationalised so far.

The undue delay in implementing the revival package has considerably affected the ability of the structure to meet the credit needs of its members. In spite of these setbacks, the structure continues to be relevant and needs to be strengthened to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self-reliant member driven organizations capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment with focus on capital formation in agriculture.

Deteriorating recovery climate is another major challenge faced by ARDBs. Aggregate average loan recovery at the ground level has been hovering around 50% in the last few years. Though loans are secured by mortgage of land recovery of loan by selling agricultural land is difficult in many States. Inability of the structure to give production credit/working capital loans along with investment credit results in full benefits of investments not accruing to borrowers who are not able to access short term loans from other agencies. Further, ARDBs which have not introduced short term loan products and saving products are unable to maintain regular contacts with borrowers which is necessary for high rate of repayment. Announcement of agricultural loan waiver by all major political parties prior to legislative assembly elections in 4 States held in March 2017 and writing off of entire crop loans by the Govt of Uttar Pradesh followed by Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab immediately after elections has severely affected the repayment of agricultural loans all over the country. Loan waiver though may be done as an one time measure, gives rise to expectations of further waivers in the future leading to total break-down of agricultural credit system which cannot function without recycling of resources.



V. FEDERATION DURING 2017-18

A significant event in the history of agriculture and rural development banking sector has been the establishment of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd (NCARDBF) in 1960. Since its inception, the Federation has been playing an important role in the growth of institutions in the sector. It has established effective coordination and promoted understanding among member banks and liaison with Central and State Governments, NABARD and financing agencies of SCARDBs.

Other activities of the Federation include organizing Seminars and Workshops, undertaking research studies and formulation of Plans and programmes through its Planning, Research and Development Cell, compilation and publishing of statistics of member banks' operations, sponsoring of study teams, coordinating investments in debentures, undertaking special training programmes, publicity work, providing guidance and advice on issues relating to operations and governance. The quarterly Land Bank Journal published by the Federation since last 55 years has gained considerable popularity. The Federation is also assisting member banks in business development and expansion by designing new products.

Lobbying with the Government for implementing revival package comprising of recapitalisation and reforms, guiding SCARDBs in self-driven reform initiatives and guidance and support to member banks in resource mobilization, recovery, NPA management, business expansion and diversification continued to be the thrust areas of Federation's activities during the year.

Lobbying

Revival package for ARDBs

Demand for revival package has been the main focus

of Federation's lobbying with Central Govt in the last few years. Vaidyanathan Task Force recommended revival package for LTCCS in 2006 and Government announced its implementation in the Union Budget for 2008-09. Subsequently, a revival scheme was also approved by Union Budget 2009 which, however, could not be circulated due to Lok Sabha election of 2009 was notified soon after that. After elections, Ministry of Finance appointed a Committee headed by Shri Chaturvedi, then Additional Secretary (Finance) to review the revival scheme in the light of implementation of Agricultural Debt Waiver & Debt Waiver Scheme of 2008. Chaturvedi Committee submitted its report in February 2010 recommending implementation of this revival scheme for long term cooperative credit structure with certain minor modifications. However, no further action was taken to implement this scheme thereafter. Federation has been taking up this matter with various authorities in the Government including Prime Minister and Finance Minister from time to time. Federation has also convened Meetings of Parliamentarians on this issue. Federation has submitted fresh memorandum on this issue to Hon'ble Prime Minister in the eve of this year's Union Budget pointing out the need to revive institutions in the long term cooperative credit structure to boost capital formation in agriculture and to address the credit crisis faced by their member farmers.

The delay in implementing the package aggravated financial weakness of ARDBs and drastically reduced their capacity to meet the credit requirements of about 98 lakh farmers (members of ARDBs with outstanding loans as on 31.3.2015) who by and large are unable to access credit from other agencies since their land is already mortgaged with ARDBs. Implementation of the proposed revival package is the



only solution to address credit crisis faced by them. The structure which is present in all major states with a network of 2600 outlets has the potential of expanding its annual lending at least by 5 times in the short run from the present level of about ₹ 5000 crs, if revived.

A delegation from the Federation met Finance Minister Shri Arun Jaitley once again during the year on this issue. Representatives of the Federation also had a meeting with Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture, Farmers' Welfare & Panchayati Raj on this as well as other outstanding issues, who assured support in resolving these issues. The continuous representations and delegations thus keep the revival proposal live and the Federation hopes for a favourable decision on the same at political level.

Restructuring of ARDBs into Banks

RBI constituted a Working Group in 2002 to evolve norms for licensing of ARDBs as banks which, however, did not favour conversion of ARDBs into full-fledged banks in accordance with the policies of RBI at that time. However, guidelines are already issued for establishing small finance banks in the private sector for supply of credit to micro and small enterprises, agriculture and providing banking services in unbanked and underbanked regions in the country. Although there is a provision in these guidelines to convert Non-Banking Financial Companies and Micro Financial Institutions into small finance banks, there is no such provision to convert cooperative entities into small finance banks. In the context of changing banking architecture in the country, there is a strong case for licensing ARDBs as banks as either small finance banks in the cooperative sector or treating them at par with primary cooperative banks (urban cooperative banks).

There is growing consensus among all its stakeholders that ARDBs should be brought within the purview of Banking Regulation Act, 1949 to address the deficiency in their design as non-resource based lender dealing in a single product. Vaidyanthan Task Force also

endorsed the need to transform these institutions as banks and recommended that the regulator may consider giving banking licence to entities in the structure which fulfil the conditions necessary for the same. We have moved Govt of India and Reserve Bank of India for taking steps to evolve appropriate norms for giving banking licence to ARDBs.

Crop loan interest subvention scheme

The interest subvention scheme for crop loans implemented by Govt of India is presently not extended to farmers who avail crop loans from ARDBs. The Federation has been persistently taking up with Ministry of Finance to address this issue by including SCARDBs in the list of institutions through which the crop loan interest subvention scheme is implemented.

<u>Subventing cost of investment credit to agriculture</u>

Federation has also moved Government to introduce an interest subvention scheme for investment credit to agriculture in the pattern of crop loan interest subvention scheme in order to reduce the cost of long term loans for capital formation in agriculture.

Reform initiatives

Core Group for Reform Initiatives (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of new avenues for raising resources including deposit mobilisation and introduction of new products, identifying crucial areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management.

Follow-up with State Governments for enhancing policy support to SCARDBs

The two Conferences of Principal Secretaries of



Cooperation and Registrars of Cooperative Societies organised by the Federation in 2012 and 2014 made several important recommendations for improving legal and policy environment of ARDBs and improving their working in general. Priority to SCARDBs in giving govt guarantee along with simplifying the procedure thereto and waiving guarantee fee or keeping such fees at lower rate in case waiver not possible, making adequate budget allocations for providing matching contributions with Govt of India to meet shortfall in refinance given by NABARD, waiver of stamp duty and registration fee which is yet to be done in some States, introducing the system of loan documents being executed by the bank and sending the same to sub registrar directly by the bank without involving the borrower which also needs to be introduced in a few more States, removing restrictions on legal recovery measures with regard to wilful defaulters, vesting sale powers with bank officials which also has not yet been implemented in some States, giving permission for accepting deposits by ARDBs in a couple of States where it has not been done so far, amendment in the ARDB/State Cooperative Societies Act to enable ARDBs to meet short term credit needs of members. doing away with separate approval by the Govt for recruitment of staff as per the approved staffing pattern etc. were among the important recommendations relating to State Govts made by the above Conferences.

Scheme for Sanctioning Supplementary Credit Limit to meet Short term credit needs of long term borrowers

Absence of further financial support to supplement investment credit is a major shortcoming in the working of ARDBs. ARDBs generally give only long term loans leaving the short term credit needs of their members unattended and making them dependent on informal sources for such credit at exorbitant interest rates. Inadequate availability of short term credit also leads to sub-optimum utilisation of long term assets financed by ARDBs which affects borrowers' income and repaying capacity. Further, high cost of informal

credit reduces the capacity of members to repay loans availed from the bank. Frequent contact of the borrower with the bank is necessary for timely repayment of loan is also not possible in the absence of further credit support after issuing investment credit.

Fixing supplementary credit limit which can be operated like a revolving cash credit to borrowers of long term loans will serve the twin purpose of meeting short term credit needs and improving loan recovery by increased borrower contact and reduced dependence of borrowers on informal sources of credit. Following are the salient aspects of the scheme.

- To start with SCARDB needs to assess the requirement of funds to finance the scheme and arrange for mobilising required funds through deposits, borrowings from NCDC, short term credit structure, commercial banks etc.
- Depending on the availability of funds, credit limits may be fixed as a certain percentage of investment credit sanctioned to a member.
- In the case of fresh long term loans, credit limit should be an essential additional component. In the case of existing loans credit limit being sanctioned in the case of non-overdue loans.
- The quantum of credit limit to be fixed on the basis of requirement, repaying capacity, security and availability of funds which can be used for the purpose.
- Credit limit can be sanctioned on the basis of residual market value of security given for long term loan.
- Credit limit can be operated by the borrower like a revolving cash credit subject to payment of quarterly interest and repayment of outstanding principal at the end of its tenure.
- Credit limit which is sanctioned for one year is renewed in subsequent years subject to fulfilment of terms and conditions including timely payment of instalment in other loans.



• The interest on credit limit is being charged on the basis of actual drawals on a quarterly basis.



- 3) Shri E. Devadasan, IAS, Managing Director, Kerala SCARDB
- 4) Shri A.C. Diwakara, Managing Director, Karnataka SCARDB
- Dr. N. Vilvasekaran, Managing Director, Tamil Nadu CSARDB
- Shri V.M. Chaudhari, General Manager, Gujarat SCARDB
- Shri Naresh Goyal, Managing Director, Haryana SCARDB
- 8) Shri Y.P.S. Verma, Managing Director, Himachal Pradesh SCARDB
- 9) Shri H.S. Sidhu, Managing Director, Punjab SCADB
- 10) Shri Vijay Kumar Sharma, Managing Director, Rajasthan RSBVB
- 11) Dr. Nethi Muralidhar, Managing Director, Telangana SCAB
- Shri V.I. Ganesan, Senior Consultant, NCARDBF Member Secretary
- 13) Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF Convenor

The Working Group in its first meeting finalised the following terms of reference and also questionnaire for obtaining information from member banks.

- Review the present Human resource policies of SCARDBs and suggest a draft model policy of various aspects of HRM such as recruitment, induction, performance appraisal, transfer, promotion, training, compensation package including perks, leave, working conditions, grievance redressal, vigilance cell, prevention of harassment at work place, disciplinary proceedings etc.
- Reviewing existing staff pattern of ARDBs and making realistic assessment of requirement of staff in various categories based on business volume and suggest their minimum qualification and experience.
- Categorisation of SCARDBs and PCARDBs as

- per business volume and suggesting suitable staffing pattern based on business models.
- Assess the requirement of core staff to strengthen the second line of management with capabilities in critical areas of business operations including resource mobilisation, finance, risk management, information and communication technology etc.
- Departmentalisation Functional and Geographical staffing of H.O. departments and Regional/District offices, Division of works and delegation of powers.
- Identify areas of work for outsourcing.
- Consider the need/feasibility of common cadres and identify cadres for SCARDBs and PCARDBs.
- Study the existing system of recruitment including filling up the posts of management cadres and suggest changes taking into account the need to maintain the staff of right size and quality.
- Review the arrangements for training including in-house, incentives for self-training.

Seminars on Functional Restructuring of ARDBs

In the changing scenario of banking and rural credit in the country, the traditional business model of ARDBs based on a single product and total dependence on external funding sources is increasingly becoming outdated and irrelevant. Various committees on rural credit including Vaidyanathan Task Force recommended functional restructuring involving measures to make them resource based institutions capable of meeting the diverse credit needs of rural sector to address the above issue. In view of the long delay in implementing these recommendations, the National Conference of ARDBs in 2012 decided to embark on self-driven initiatives for resource augmentation, business diversification and expansion, improving loan recovery by revamping lending and recovery systems, application of information and communication technology etc.



SCARDBs are pursuing these initiatives since 2013 with varying levels of success in different States.

On the above background, Federation organised 2 Seminars in collaboration with National Institute for Rural Banking, Bangalore for middle level officers of SCARDBs to deliberate on restructuring initiatives in the sector and prepare them to play a more effective role in this process. The first seminar held on 3-4 October 2017 was attended by 25 delegates and the second seminar during 15-16 January 2018 had a participation of 28 delegates from various SCARDBs. Following are the subjects deliberated in the seminars.

- Status of LTCCS major challenges and reform initiatives by the Federation.
- 2) Appraisal of farm and non-farm loans.
- 3) Human resource issues and solutions.
- 4) Financial inclusion in cooperatives.
- 5) NPA management and recovery.
- 6) Business expansion by ARDBs

Resource persons for the Seminar included Shri K.K. Ravindran, Managing Director and Shri V.I. Ganesan, Senior Consultant from the Federation, Shri P.V. Prabhu, Trustee Secretary, Shri R. Venkataswamy, Director and Shri Shivanna, Faculty Member from NIRB.

The Seminar succeeded in its objective of sensitising junior/middle level officers of SLDBs on internal reforms and in obtaining their feedback on its ground level impact. The outcome of the Seminar will certainly help SCARDBs to take the reform process forward more effectively.

Focus of CGRI meetings during 2017-18

CGRI constituted by SCARDBs play a very important role in guiding and speeding up internal reforms in the sector. CGRI focused mainly on deposit mobilisation and intensive recovery drive in the earlier rounds of its meetings. The theme for CGRI meetings during 2017-18 was communicated to

SCARDBs in May 2017 for which following areas of focus were suggested.

- Implementation of scheme for sanctioning supplementary credit limit to long term loanees to meet their short term credit requirements.
- 2. Progress of computerisation and introduction of CBS.
- 3. Progress of recruitment of staff and strengthening arrangements for training.

CGRI meetings also review progress of reforms in the areas of resource mobilisation, loan recovery and NPA and also to undertake periodical review of performance in key operational areas.

Guidelines for revival action plan as part of preparations for Centenary Year

The Board of Management in its last meeting decided that ARDBs at state and primary levels should prepare separate action plans for next two years to address structural and operational issues in order to take the movement to a path of sustainable growth by 2020, the centenary year of long term cooperative credit structure. The Federation vide its letter dt. 22 December 2017 has communicated the decisions taken by the Board regarding preparations for celebrating centenary year. As part of the special action plan for revival, it was also suggested that SCARDBs and PCARDBs should constitute special teams to finalise and implement revival action plans with specific time bound targets in the areas of recovery, NPA reduction, deposit mobilisation, business expansion, documenting success stories etc.

Pilot Project for Agriculture Value Chain Financing by SCARDBs/Member StCBs based on Group Approach

The Board of Management of the Federation in its meeting on 20th December 2017 at Bangalore approved the Pilot Project for Agriculture Value Chain Financing by SCARDBs and member StCBs based on



Group Approach. It was decided that all member banks which are eligible for refinance from NABARD should participate in the pilot project by selecting a contiguous area consisting of one or more panchayats in the respective States, suitable for the crops/activities identified by the banks.

The pilot project has two parts. The first part consists of financing farmers for raising of crops or undertaking activities as per package of practices recommended in the Project in the area identified. Banks should try to finance 15-20 farmers in each of the clusters/compact locality. If there is no provision for sanctioning a group loan, loans may be sanctioned to individual beneficiaries observing usual lending norms but the bank/field officer should facilitate formation of an informal group of all beneficiaries in the cluster for extending support services, facilitating effective supervision and credit discipline.

The second part of the pilot project is facilitating backward and forward linkages through a Multi Service Centre (MSC) set up by the SCARDB/PCARDB or in the absence of which through Farmer Producer Organisation (FPO) set up by the beneficiaries of the project. The objective of MSC/FPO is to maximize income of producers by undertaking post-harvest operations like procurement, processing including drying, cleaning, grading, packing, storage and marketing.

Publications

LAND BANK JOURNAL with a new look

Recently, the Federation has changed the size of the Land Bank Journal with improvement in the quality of paper and printing. The Federation has engaged the services of a Senior Accredited Journalist worked with the important National Dailies for professional support in editing and publishing the journal. His services are also available to member banks for feature writing based on sit-down interviews with Chairperson or Leadership team of the bank and for preparing features/reports on important events

organised by the bank etc. The Journal will also give an overview of the recent developments in the sector and a regular column featuring article/write-up from a sector leader/veteran in order to build a point of view so that the Journal becomes a platform that can give voice and argue positions that can weigh on policy makers for publishing in the Journal. These new features were introduced from March 2017 issue of the Journal.

Publication of Land Bank Journal is an important work of the PRD Cell. Three issues of Land Bank Journal i.e. June 2017, September 2017 & December 2017 have been published and circulated during the year and March 2018 issue is under print.

Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Statistical Bulletin for the year 2015-16 was published during the year. The Bulletin for 2016-17 is under compilation. Federation is trying to make this important publication up to date by streamlining the reporting system based on ground level data relating to the operations of ARDBs.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. 11 consolidated monthly reports from April 2017 to February 2018 were brought out during the year 2017-18. March 2018 report is under compilation.





VI.DEVELOPMENTS DURING 2017-18 — HIGHLIGHTS

Conference of CEOs of SCARDBs held on 14 June 2017 – Summary of discussions

At the request of the Federation, NABARD convened the Conference of CEOs of SCARDBs on 14th June 2017 after a gap of 3 years. The meeting was chaired by Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD. Other Executives from NABARD who attended the meeting included Shri R. Amalorpavanathan, Dy. Managing Director, Dr. U.S. Saha, Chief General Manager, IDD, Smt. Padma Raghunathan, Chief General Manager, Department of Refinance and Shri K.V. Rao, Chief General Manager, Department of Supervision. Federation had already communicated certain points for consideration in the meeting which mainly related to operational and policy issues in availing refinance from NABARD.

Dr. Bhanwala in his introductory address highlighted about the need for three important areas ARDBs to give focus.

- (i) Need to enhance the share of the sector in investment credit which has come down drastically in the last 20 years and now only less than 2%.
- (ii) Computerisation and core banking.
- (iii) Improving rating which also involves governance and management practices apart from substantially bringing down NPAs.

Shri R. Amalorpavanathan, Dy. Managing Director, NABARD also briefed about the strategies to be adopted to increase business. He said that being non resource based ARDBs should explore the possibility to act as Business Correspondents of banks for rural lending. This was followed by presentation by Shri Nilay Kapoor, General Manager (IDD) on LTCCs and suggested strategies for reviving SCARDBs in different categories based on their operations and financial

strength.

Shri K.K. Ravindran, MD, NCARDBF made a presentation on policy and operational issues in the working of institutions in the LTCCS requiring consideration and actions by NABARD.

Gist of important suggestions made in his presentation and response of NABARD to the same, is furnished below.

[1] Set-back to loan recovery resulting in shortage of funds for repayment

Recovery suffered two serious set-backs in the last 6 months. Though the adverse impact of demonetisation lasted for 3-4 months, the current problems on account of widespread demand for agricultural loan waivers all over the country is of a long term nature with far reaching adverse impact on recovery. In spite of disruptions in the repayment and recovery process consequent of demonetisation, SCARDBs managed to meet their repayment commitment to NABARD even by creating short term liabilities. NABARD, therefore, should consider appropriate measures including rescheduling of demand falling during the next one year till normal recovery is restored.

In response to this, NABARD informed that they could not afford any of their assets turning NPA due to default in repayment as that will affect their rating and in turn cost of funds raised from the market.

[2] Deposit mobilisation

NABARD inspection team insists adhering to all the conditions including tenure of deposits exceeding one year and less than three years and ceiling on total deposits upto net worth etc. in the case of member deposits also which disrupts the deposit mobilisation programme of SCARDBs. At the same time, RBI has permitted all cooperatives to accept member deposits



without any of the restrictions as applicable to public deposits. NABARD HO, therefore, should take appropriate steps to avoid such unwarranted objections by their inspection team.

In earlier meetings also NABARD HO clarified that member deposits were not covered by conditions laid down for accepting public deposits as per 1997 guidelines of NABARD. However, NABARD inspection teams continue to raise unnecessary objections in this regard obstructing the deposit mobilisation programme of ARDBs. SCARDBs need to resist such obstructions by giving suitable clarifications and ensuring that their member deposit schemes are implemented strictly as per the following norms.

- Member deposits and non-member deposits should be segregated and shown separately.
- (ii) Ensure compliance of all the conditions laid down in 1997 circular in the case of non-member deposits.
- (iii) Under member deposit schemes, all depositors should be members with voting rights and byelaws may be amended to reserve one position in the board for the representative of non-borrowing depositor members.
- (iv) In view of increasing problems in availing refinance on account of issues in getting govt guarantee and the trend of tightening of eligibility norms by NABARD, SCARDBs should try to tap full potential for mobilising deposits and expand business funded by deposits.

[3] Cut-off dates for DCB and NPAs

NPAs and DCB are having different cut-off dates at present. NABARD should permit SCARDBs to shift the cut-off date for annual DCB to 31st March as in the case of asset classification.

NABARD informed that now they are considering only NPAs for deciding refinance eligibility and rating and SCARDBs are free to decide the cut-off date for DCB as per their choice.

[4] Interest rates on SAO refinance

NABARD is charging interest on SAO refinance at the same rate as applicable to refinance against investment credit in the normal channel. Since crop loans have to be issued at 7% at the level of farmer NABARD should allocate funds for this purpose from Long Term Rural Credit Fund, which carries a lower interest rate.

NABARD, however, did not respond to the request positively without giving any reason for the same.

[5] Need for relaxing the condition of Govt. guarantee in the case of banks in low risk category

NABARD should consider other options in the place of Govt. guarantee as security for refinance given to SCARDBs since it has become difficult for State Govts to give guarantee to the extent required by SCARDBs due to statutory ceiling on Govt. guarantee.

NABARD did not agree to examine the issue, explaining that Govt. guarantee is a requirement as per NABARD Act and cannot be relaxed.

The structure has been repeatedly requesting for relaxing the condition of Govt. by bringing appropriate amendments in the Act in the case of SCARDBs which fulfil qualitative norms followed by NABARD in giving refinance to other agencies without government guarantee. However, NABARD continues its reluctance to consider any option other than Govt. guarantee in giving refinance to SCARDBs. This will result in substantial reduction in the refinance to SCARDBs irrespective of their performance and financial strength due to problems in getting Govt. guarantee.

[6] Restoring permission to fix loan period lower than that of tenure of refinance

NABARD since inception allowed ARDBs to fix lower loan period than the tenure of refinance which acted as a cushion for repayment in spite of certain level of overdues. NABARD, however, stopped this facility at the time of switch over to loan system. This facility should be restored especially when loan recovery is



declining due to factors beyond the control of banks.

NABARD, however, did not agree to the request pointing out that it will lead to shortfall in assets against refinance outstanding, which is not correct since additional refinance is linked to the quantum of standard assets and that no lending institution gets 100% recovery in agricultural loans.

[7] Due dates falling on holidays of NABARD

NABARD agreed to postpone the due date to the next working business day for NABARD/banks if the original due date falls on a holiday for NABARD as has already been done in the case of commercial banks.

CEOs meeting convened by NABARD used to be an important forum to address issues concerning refinance policies of NABARD. NABARD, however, had stopped the practice of convening such meetings on a regular basis. It is also seen that such meetings when convened occasionally also fail to address the genuine problems and difficulties pointed out by SCARDBs.

Provision of short term refinance by NABARD to SCARDBS for financing seasonal agricultural operations – Policy for financial year 2017-18

NABARD has decided to provide short term refinance to SCARDBs for financing seasonal agricultural operations during 2017-18 under section 25(1)(d) of NABARD Act and finalised the policy for the same, the salient aspects of which are as below.

- Refinance will be given as a cash credit facility in respect of crop loans disbursed during 2017-18.
- Eligible SCARDBs will be sanctioned a consolidated limit. Loans granted to defaulter borrowers will not be eligible for refinance support.
- Audit of SCARDB/PCARDBs should have been completed for the year 2015-16 and audit for the financial year 2016-17 should be completed before 30th September 2017.
- SCARDBs in low risk category only will be eligible

for short term refinance.

- The limit sanctioned to the SCARDB should be covered by govt guarantee.
- Rate of interest fixed payable to NABARD against outstanding drawals from the limit will be 7.5% pa with half yearly interest to be paid on 30th September and 31st March
- Each drawal from the limit should be repaid on expiry of 12 months from the date of drawal.

Union Budget 2017-18

There is a clear shift of emphasis in this year's budget in favour of social sector in sharp contrast to the thrust on reforms in the previous three budgets. There are a number of announcements for poor and underprivileged sections. National Health Protection Scheme offering free medical expenses up to ₹5 lakh per individual in 10 crore poor families and raising the target of free LPG connection to poor women from 5 crore to 8 crore are important among these announcements. Budget also gives high priority to education which is an important area in social sector with an allocation of ₹85000 crore and focus given on strengthening and modernising infrastructure and systems and also providing quality education to tribal communities by setting up special schools for them. Even in agriculture, there is a shift of emphasis to income and welfare of farmers rather than just growth in terms of production.

Agriculture was the theme of a good part of this year's budget speech. Govt once again reiterated its commitment to the goal of doubling farmers' income by 2022. It was stated that the objective is to help farmers to produce more and realise higher prices. Following are the important measures announced in the budget to achieve this goal.

 Introducing a general norm for fixing Minimum Support Price (MSP) at 150% of production cost and fixing MSP for all crops throughout the country. Govt also promised arrangements to



ensure that farmer gets a price which is not less than MSP.

- Creating an institutional mechanism for appropriate measures to ensure doubling of farmers' income within the target time. Developing 22000 Gramin Agro Centres as direct sales points and linking 470 APMCs to eNAM are proposed for ensuring optimal farm price realisation by farmers.
- Govt. will launch 'Operation Green' to regulate prices of potato, onion and tomato which is expected to benefit both farmers and consumers but the allocation of ₹500 crore for this appears to be not enough to create required impact.
- Food processing sector is given higher allocation from ₹750 crore last year to ₹1400 crore. It is also proposed to promote specialised agro processing and financial institutions and cluster based crop production to boost this sector.
- Setting up state of the art testing facilities in 42 mega food parks for agri exports which has potential to reach 100 billion US \$ from 42 Billion US \$ at present.
- The target for agriculture credit is raised to ₹11 lakh crores from ₹10 lakh crores last year. It is also proposed to extend Kisan Credit Card scheme to fisheries and animal husbandry loans as well.

In agriculture, increase in production does not guarantee higher income. Stability in prices and markets is the main factor determining farm incomes. The new norm for fixing MSP at 150% of production cost is an important measure to ensure remunerative prices for agriculture produce. But MSP will not benefit farmers unless there is market intervention especially during harvesting season when prices are the lowest. Market intervention for multiple crops throughout the country is a big challenge in terms of transport, storage and other logistics. When it comes to perishable items like vegetables and most of the

fruits, market intervention involves not only procurement but also timely resale or processing. The infrastructure and finance required for market intervention at this scale just does not exist at present. All that is mentioned in the budget is that Niti Aayog in consultation with Central and State Govts. will put in place a full proof mechanism so that farmers get adequate price for their produce. It is also seen that the budget has provided only ₹200 crores for 2018-19 for market intervention and price support scheme causing serious concerns about the implementation of the scheme. The only way to make MSP effective is to equip the network of rural cooperatives with infrastructure and working capital for market intervention. However, it is seen that the Govt. once again failed to see the useful role of rural cooperatives and involve them in this process. Agriculture cooperatives being farmers' organisations also offer scope for undertaking post-harvest value addition activities like Farmer Producer Organisations separately set up as companies of cooperatives. These institutions are in existence for ages and a good number of them have required infrastructure and capability to perform these functions. Central and State Governments should jointly implement a scheme to strengthen these institutions to undertake activities like aggregation, processing, storage and marketing of agriculture produce in addition to their present activities which mainly relate to credit services.

The budget also has not included any of the proposals submitted by cooperative movement including those related to long term cooperative credit structure. Implementation of revival package for LTCCS which was announced in the Union Budget 2008-09 continues to be a non-starter. Farmers who avail crop loans from ARDBs along with long term investment credit continues to be excluded from the benefit of interest subvention under the crop loan interest subvention scheme of the Govt. Similarly, we have been repeatedly requesting Govt of India and RBI for



evolving norms for conversion of ARDBs into fullfledged banks which is also not considered so far. NABARD's refinance to SCARDBs is slowly drying up due to difficulties in obtaining govt guarantee. Under this circumstance, there is a strong case for SCARDBs which fulfil required norms to be licensed as Primary Cooperative Banks or Small Finance Banks in order to make them resource based institutions capable of meeting the credit demand in the rural sector adequately.

Budget allocation for 2018-19 for investments in the debentures of SLDBs

Govt of India, Ministry of Agriculture has been implementing a scheme for investments in the debentures of SCARDBS since the time of establishment of Agriculture Refinance and Development Corporation (ARDC) in 1963. The Union Budget also was providing allocations for implementing the scheme of investments in the

debentures of SCARDBs to the extent not refinanced by NABARD, on matching basis with the State Govts. However, for the first time this scheme was discontinued in the budget 2016-17 at the BE stage. Later on, at the request of the Federation the same was restored in the revised budget for 2016-17 which was continued in the budget for 2017-18 as well with an allocation of ₹25 crores each. However, it is seen that no allocation has been given to the Ministry of Agriculture in this year's budget for continuing the above scheme during next financial year 2018-19. In view of the usefulness of the scheme in stepping up capital formation in agriculture, the Federation has once again requested Ministry of Agriculture to take necessary steps in the budget for 2018-19 at the stage of final approval of allocations.

Refinance Policy of NABARD for Schematic lending for Financial year 2017-18 for SCARDBs

The eligibility criteria for availing of refinance are as given below:

Criteria	Quantum of refinance
a. Low risk(Marks 65 and above)	Refinance up to the level of the bank's realistic lending programme approved by NABARD and the overall allocation for the State/Bank.
b. Moderate Risk (Marks 50 to 64)	Quantum of refinance will be average of 95 % of last three years' recovery or 95 % of last year's recovery whichever is lower.
c) Medium Risk (Marks 40 to 49)	Cases to be referred to HO with specific
d) High Risk (Marks below 40)	recommendations of the RO for consideration.

SCARDBs with audit classification 'A' or 'B' only will be eligible for refinance. Disbursements made by PCARDBs with audit classification 'D' are not eligible for refinance. The audit report for the year 2016-17 should be submitted to the concerned RO of NABARD latest by 30.09.2017. Risk assessment for SCARDBs during April 2017 to September 2017 will be based on their audited financial position as on 31.3.2016. Risk assessment from October 2017 to March 2018, will be based on the audited financial position as on 31.3.2017. Drawals on or after 01.10.2017 will be permitted only to such SCARDBs, which have completed the audit for 2016-17 and submitted the

relevant audit report to concerned RO of NABARD.

Automatic Refinance facility will be extended to the SCARDBs without any upper ceiling of refinance quantum, bank loan or Total Financial Outlay for projects both under Farm Sector and Non-Farm sector.

Extent of Refinance will be 100% for all 'thrust areas' and 95% for all other approved purposes for investment credit and Krishak Sathi Yojana.

Effective from **09 February 2018** the interest rate on ST refinance to low risk SCARDBs has been revised from 7.50% to 7.70%.



Interest rate on refinance

Following is the interest rate on long term refinance from NABARD effective from 22 January 2018.

Sr.	Product Group	Existing interest rate (%)	Revised interest rate (%)	
No		p.a. at half-yearly rests	p.a. at half-yearly rests	
1.	Refinance for 5 years and above	8.00	8.30	
2.	Refinance for above 3 years and upto 5 years	8.10	8.40	
3.	Refinance for above 18 months and upto 3 years	8.10	8.40	

NABARD's refinance to SCARDBs

A statement showing statewide drawal of NABARD's refinance by SCARDBs during 2017-18 along with comparative figures for the previous 3 years and refinance allocation for the year 2018-19 is furnished below.

The total refinance drawals by SCARDBs during 2017-18 were ₹ 2594.47 crores compared to ₹ 3397.34 crores during 2016-17 and ₹ 3258.26 crores during 2015-16. There was a decline of 23.6% in the refinance availed during 2017-18 as compared to 2016-17.

Out of 13 fully functional SCARDBS, only 9 SCARDBS have been drawing refinance from NABARD. However, due to non-availability of State Government guarantee, Gujarat SCARDB could not draw any refinance during 2017-18. Out of fully functional SCARDBS, Tamil Nadu,

Tripura, Jammu & Kashmir & Pondicherry continued to remain ineligible for refinance for want of govt. guarantee/non fulfilment of eligibility norms. Kerala SCARDB which drew refinance of ₹ 1095.02 crores accounted for 42.2% which was less by 1.67% of total drawals. There was growth in drawals by Karnataka and West Bengal SCARDBs, while in respect of the remaining the drawals were less than that of the previous year. (Rajasthan, Punjab, Karnataka, and Himachal Pradesh). Notable decrease was noticed in the drawals of Punjab, Uttar Pradesh, Kerala, Haryana and Himachal Pradesh SCARDBs.

NABARD has allocated ₹ 3000 crores to 9 SCARDBs for the year 2018-19 as against drawal of ₹ 2594.47 crores by 8 SCARDBs during 2017-18.

₹ (Crore)

Sr. No.	Name of SCARDB	Refinance drawn				Refinance allocated
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	Gujarat	80.00	80.00	80.00	0.00	100.00
2	Haryana	124.81	161.39	100.00	73.13	100.00
3	Himachal Pradesh	45.00	63.70	100.00	63.96	100.00
4	Jammu & Kashmir	-	-	-	-	-
5	Karnataka	236.36	250.00	239.73	350.00	350.00
6	Kerala	1154.79	1450.09	1490.32	1095.02	1350.00
7	Pondicherry	-	-	-	-	-
8	Punjab	532.00	518.08	538.30	286.52	400.00
9	Rajasthan	171.00	200.00	250.00	225.00	225.00
10	Tamil Nadu	-	-	-	-	
11	Tripura	-	-	-	-	
12	Uttar Pradesh	450.00	450.00	450.00	288.84	150.00
13	West Bengal	129.99	165.00	150.00	212.00	225.00
	TOTAL	2923.95	3258.26	3397.34	2594.47	3000.00



VII. AFFILIATIONS

At National level

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

National Cooperative Union of India (NCUI)

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman, is Federation's representative in the General Body of NCUI, who has been elected unanimously to NCUI Governing Council. During the year, the following programmes were organized by NCUI.

- 1) International Study Exposure Visit to USA & Canada to strengthen contacts between the cooperative organisations to facilitate bilateral cooperation, cultural, educational and social contacts and also to develop linkages and partnership within the ICA member organizations to share development experiences in the field of cooperatives and allied sectors during 2 12 May 2017, which was attended by Shri S.S. Marar, ExChairman, NCARDBF
- 2) Symposium on "Cooperatives and Sustainable Development Goals: Member's participation on 20th September 2017 at New Delhi, which was attended by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF
- 3) Conference on Cooperative Development for Southern States held on 10th March 2018 at RICM Bangalore, which was attended by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF

Federation is also affiliated to the following other national level organizations/associations.

Cooperative Bank of India (COBI)

Federation is one of the founder members of COBI. Shri S.S. Marar, Chairman of the Federation was also one of the Directors of COBI.

During the year, the National Seminar on "Need and Importance of Adoption of Information Communication Technology (ICT) and Digitalization in Cooperative Banks" was held during 3rd – 6th September 2017 at Stockhlom, Sweden, which was attended by Shri Sukhbir Singh Panwar, Vice President, Delhi SCB.

National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)

Managing Director, Federation is a member on its General Body.

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Shri K.K. Ravindran, MD, Federation has been nominated as a Member of General Council of NCDC by Govt of India under Section 3(4)(XVII) of NCDC Act 1962.

During the year, 82nd Meeting of the General Council was organized by NCDC on 21st November 2017 at New Delhi, which was attended by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.



- Indian Merchants Chamber (IMC)
- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

MD, Federation is a member of its General Council. Federation regularly nominates officials and non-officials from member banks to the programmes of CICTAB.

At International level

International Cooperative Alliance (ICA)

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with the various Committees of ICA.

Shri K. Sivadasan Nair, as a representative of the Federation, continues to be the Chairman of Regional Cooperative Banking Association under ICA-AP. The representatives of the Federation participated in the following programme of ICA during the year.

- 10th Asia Pacific Cooperative Minister's Conference during 18 – 21 April 2017 at Hanoi, Vietnam organized by ICA-AP – Participated by Shri Dalip Singh, Vice Chairman and Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation.
- ICA General Assembly during 14 17 November 2017 at Kuala Lumpur, Malaysia – Participated by Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman and Shri K.K.

Ravindran, Managing Director, Federation, Shri Soloman Alex, President, Shri Devadasan and Mrs. Aparna Prathap, General Manager, Kerala SCARDB.

- Gender Equality Committee Meeting and other ICA events during 13th November 2017 to 17th November 2017 at Kuala Lumpur, Malaysia – Participated by Smt. Rajashree R., Chief Director, Federation.
- Consultation on Autonomy & Independence of Cooperatives organized by ICA-AP during 14-15 September 2017 at Hyderabad – Smt. T. Jyothi, General Manager (L&A) and Shri K. Ananth Rao, Director, CTI, nominated by Telengana Cooperative Apex Bank Ltd.
- Asia Pacific Cooperative Development Conference during 26 February 2018 to 1st March 2018 at Colombo, Sri Lanka – Participated by Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation and Shri KonduruRavinder Rao, President, Telangana SCAB.

Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA)

Federation is a founder member of APRACA.

International Raiffeisen Union (IRU)

Federation is a member of IRU. Chairman represents the Federation in the General Body of IRU. During the year, there was no delegation from Federation for programmes/meetings of IRU.





VIII. MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation as on 31.3.2018.

- 1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
- 2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar- Jharkhand)
- 3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
- 4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
- 5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
- Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
- 7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
- 8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.

- 9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
- 10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
- 11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
- 12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
- 13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
- 14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
- 15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
- 16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
- 17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
- 18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
- 19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

Board of Management

As per Byelaw No.20 (iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The Board of Management as on 31.03.2018 consisted of the following persons:-

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri Sukhdarshan Singh Mrar Chairman (till December 2017)	Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.
2.	Shri K. Sivadasan Nair Vice Chairmen	Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
3.	Shri Dalip Singh Yadav Director	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
4.	Shri Bijay Kumar Singh Chairman	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)
5.	Shri B.H. Jadeja Director	Gujarat State Cooperative Agriculture &Rural Development Bank Ltd.
6.	Shri K.K. Ravindran	Managing Director - Ex-officio Member
	<u>Directors</u>	
7.	Dr. Bijender Singh President	Delhi State Coop. Bank Ltd.
8.	Shri Shiv Lal Chairman	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.
9.	Shri K. Shadakshari, MLA President	Karnataka State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
10.	Shri M. Syiem Chairman	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
11.	Shri B. Shahul Ameed Chairman	Tamil Nadu Co-op. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.
12.	Shri Konduru Ravinder Rao President	Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.
13.	Shri Rash Behari Datta President	Tripura Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
14.	Shri Tejinder Singh Middukhera Director	Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.
15.	Shri K.P. Singh Managing Director	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
16.	Shri Y.C. Nanda	Coopted Member
17.	Shri G.S. Mangat	Coopted Member

Note: As on 31.3.2018, there were 16 members on the Board consisting of 13 elected Directors against 20 Directors to be elected by the General Body, 2 Co-opted Directors and the Managing Director.

Executive Committee

As per Byelaw No.26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

- (1) Shri Sukhdharshan Singh Mrar, Chairman (till December 2017) (Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.)
- (2) Shri K. Sivadasan Nair, Vic e Chairman, (Kerala State Coop. Agricultural & Rural Development Bank Ltd.)

- (3) Shri Bijay Kumar Singh, Vice Chairman (Multi State Land Dev. Bank Ltd. – Bihar-Jharkhand)
- (4) Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman (Haryana State Coop. Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.)
- (5) Shri B.H. Jadeja, Vice Chairman (Gujarat State Cooperative Agri. & Rural Development Bank Ltd.).
- (6) Shri K. Shadakshari, MLA (Karnataka State Cooperative Agri. & Rural Dev.



Bank Ltd.)

(7) Shri B. Shahul Ameed

(Tamil Nadu Coop. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.)

(8) Shri M. Syiem

(Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)

(9) Shri K.K. Ravindran
Managing Director, NCARDBF

Administrative Committee

As per Byelaw No.27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as on 31.3.2018.

1.	Shri Sukhdarshan	Singh	Mrar,	Chairman	(till
	December 2017)				

- 2. Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Vice Chairman
- 3. Shri Bijay Kumar Singh, Vice Chairman
- 4. Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman
- 5. Shri B.H. Jadeja, Vice Chairman
- 6. Shri K.K. Ravindran, Managing Director

Meeting of General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2017-18

The Meetings of the General Body, Board and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below:

Meetings	Place	Date
(a) Annual General Meeting (57 th)	Mumbai	21 July 2017
(b) Board of Management		
152 nd Board	Mumbai	21 July 2017
153 rd Board	Bangalore (Karnataka)	20 Dec. 2017
154 th Board	Chennai (Tamil Nadu)	24 March 2017
(c) Administrative Committee	Mumbai	21 July 2017

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1. Future of ARDBs
- 2. Constitution of Working Group on HR Policies in SCARDBs & affiliated PCARDBs.
- 3. Constitution of Working Group on Enhancing the Market share of ARDBs in Investment Credit.
- 4. Conference of CEOs of SCARDBs held on 14 June

2017 - Summary of discussions.

- 5. Seminar on Functional Restructuring of ARDBs.
- 6. Provision of short term refinance by NABARD to SCARDBs for financing seasonal agricultural operations Policy for financial year 2017-18.
- Meeting with Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture, Farmers' Welfare & Panchayati Raj.
- 8. Next round of CGRI Meetings
- 9. Refinance allocation to SCARDBs by NABARD for the year 2017-18.
- 10. The calendar of programmes for the financial year 2017-18.
- 11. 95th International Cooperative Day and 23rd United Nations International Day of Cooperatives on 1st July 2017.



- 12. TDS on deposits mobilized by ARDBs.
- 13. United Nations Sustainable Development Goals and Cooperatives
- 14. Pilot Project for Agriculture Value Chain Financing by SCARDBs based on Group Approach.
- 15. Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Rural Credit Proceedings of first Meeting.
- 16. Working Group on HR Policies in ARDBs Proceedings of first Meeting.
- 17. Accepting Fixed Deposits from member banks.
- 18. Administrative approval for implementation of Centrally sponsored Scheme National Livestock Mission EDEG component during 2017-18.
- 19. Guidelines for Revival Action Plan to be prepared as part of preparations for Centenary Year.

- 20. Pilot Project for Agriculture Value Chain Financing by SCARDBs / Member SCBs based on Group Approach Draft Guidelines.
- 21. Union Budget 2018-19
- 22. Budget allocation for 2018-19 for investments in the debentures of State Land Development Banks
- 23. Model Act on Contract Farming
- 24. International Day of Cooperatives 2018
- 25. National Livestock Mission EDEG Component Continuation of Scheme upto 28.2.2018.
- 26. Revision in interest rate on refinance.
- 27. Review of Performance of SCARDBs during April 2017 January 2018 in key operational areas.
- 28. Costs and Margin details of fully functional SCARDBs.







IX. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2017-18 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	LIABILITIES	As o	on	Sr. No.	ASSETS	As o	on
		31.3.18	31.3.17			31.3.18	31.3.17
1.	Reserves & Other Funds	2104.58	2030.29	1.	Cash & Bank Balances	13.93	19.19
2.	Secured Loans	464.04	0.00	2.	Investments	2280.99	1761.96
3.	Other Liabilities & Provisions	85.98	73.27	3.	Fixed Assets	227.63	236.67
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	14.88	12.96	4.	Sundry Debtors & Receivables	117.64	90.99
				5.	Loans & Advances	27.99	5.30
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	1.30	2.41
	TOTAL	2669.48	2116.52		TOTAL	2669.48	2116.52

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Amount		
	INCOME	2017-18	2016-17	
1.	AMS & Additional contributions from member banks	80.72	78.78	
2.	Interest & Dividend Incomes	164.83	159.82	
3.	Grants received (GOI)	10.00	15.00	
4.	Miscellaneous Income / Guest House service charges	0.07	0.17	
5.	Recovery from BDDR, Excess Provision reversed & old Payables written off	3.77	3.86	
	TOTAL (1 to 5)	259.39	257.63	
	EXPENDITURE			
1.	Management Cost	104.63	83.23	
2.	Other Office Expenses	33.63	24.84	
3.	Meetings/Seminar/Conference Expenses/Award Function	9.17	11.79	
4.	Premises Maintenance Expenses	10.13	9.53	
5.	Provisions /Reserves	86.96	115.28	
	TOTAL (1 to 5)	244.52	244.67	
	Surplus	14.87	12.96	





X. BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

Fully Functional SCARDBs

Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.					
489, Ashram Road, Opp. Nehru Bridge, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009					
Email gscardb@gmail.com Website : www.khetibank.org Telephone Nos. 079-26585365/71/79					
Chairman Shri Dhirenkumar B. Chaudhari			eral Manager: V. M. Chaudhari		
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) : 346			Interest Rate On Loans: 11.00% to 13.50% On Deposit Collection: 6.75% to 7.50%		
Key Financial Parameters (₹ Lakh)					
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18	
Loans Outstanding	57275.60		56128.44	58754.31	
Loans Disbursed	15395.35		14256.09	17634.68	
Total Paid up Capital	4523.67		4563.35	4654.62	
Free Reserves	52762.30		53901.51	55518.56	
Capital to Asset Ratio (%)	46.76		47.65	49.07	
Deposit Outstanding	24781.87		27200.72	26195.66	
Borrowings Outstanding	39229.79		45702.35	46547.45	
Net Profit	2087.46 1804.83 1843.98				
Accumulated Loss, If Any					

Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.					
E	Bay No. 31-34, Sector	2, Panch	ıkula – 134 112		
Email – haryanaagribank@gmail.com Website: ww	w.haryanacardbank.org		Telephone Nos. 0172-	2587040/2587069	
Chairman Shri Dhanesh Adlakha			naging Director: Naresh Goyal		
Staff Position At SCARDB: 72 At PCARDB: 837	Interest Rate On Loans: 8.75% to 13.00% On Deposit Collection: 6.50% to 7.05%			7.05%	
Key Financial Parameters (₹ Lakh)					
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18	
Loans Outstanding	207542.38		201444.37	196679.28	
Loans Disbursed	17100.89		9865.75	7545.47	
Total Paid up Capital	4799.36		4729.36	4509.36	
Free Reserves	37682.81		37679.91	37718.41	
Capital to Asset Ratio (%)	NR		NR	NR	
Deposit Outstanding	11.13		223.43	15.16	
Borrowings Outstanding	176278.19		173880.63	165209.22	
Net Loss	(2570.78)		(21809.87)	(3188.11)	
Accumulated Loss, If Any NR denotes Not Reported					



Himachal Pradesh State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.					
Block	No. D-3, SDA Complex	, Kasum	pti, Shimla - 171 009		
Email: hpardbank@gmail.com / Website	– www.hpardb.org		Telephone No. 017	77-2621437	
Chairman Pt. Shiv Lal			aging Director Y.P.S. Verma, HAS		
Staff Position At SCARDB (HO & Branches): 177 At PCARDB: 54			Interest Rate on Loans: 10.50% on Deposit Collection: 6.90%		
	Key Financial Pa	ramete	rs (₹ Lakh)		
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18	
Loans Outstanding	35611.06		34042.25	42566.46	
Loans Disbursed	9513.83		8746.46	8217.82	
Total Paid up Capital	2069.20		2425.26	2440.36	
Free Reserves	17.21		17.21	17.21	
Capital to Asset Ratio (%)	4.61		4.99	4.99	
Deposit Outstanding	9412.57		11821.63	13757.20	
Borrowings Outstanding	21331.50		26560.56	27083.93	
Net Profit	1386.50		500.00	0.85	
Accumulated Loss, If Any	-		-	•	

Jammu & Kashmir State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.					
12, Post Office	Lane, Hyderpora, Near	Mubara	k Hospital, Srinagar - 190 014		
Email: scardjk@rediffmail.com / Website: ww	/w.J&KSCARDB.org		Telephone Nos. 0194-24	31892/2431965	
Chairman Shri Chering Dorjey			ef Executive Officer Mohammad Aslam Bhat		
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) - 240			Interest Rate On Loans – 11.50% to 14.50% On Deposit Collection – 7.25% for 1 year and above		
Key Financial Parameters (₹ Lakh)					
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18	
Loans Outstanding	4895.42		5251.09	5285.40	
Loans Disbursed	1311.15		788.94	1268.75	
Total Paid up Capital	2955.22		2974.25	3011.51	
Free Reserves	237.63		237.63	237.63	
Capital to Asset Ratio (%)	56.77		61.52	57.15	
Deposit Outstanding	9454.25		12935.41	16449.27	
Borrowings Outstanding	616.00 616.00 616.00			616.00	
Net Loss	(623.00)) (356.61) (825.07)			
Accumulated Loss, If Any	5750.64		6107.24	6932.31	



Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.					
Tippu Sultan Palace	e Road, Chamrajpet, P.	O. Box N	lo.1811, Fort, Bangalore - 560	018	
Email – finance.sldb@yahoo.com / finance.sldb@gmail.com			Telephone Nos. 080-2	6702024/74	
President: Shri K. Shadakshari, MLA		Managing Director: Shri A. C. Diwakara, KCS			
Staff Position At SCARDB : 312 At PCARDB : 613			Interest Rate on Loans – 3.00% to 6.00% on Deposit Collection – 9.40%		
	Key Financial Par	amete	rs (₹ Lakh)		
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18	
Loans Outstanding	163836.55		163460.32	185290.24	
Loans Disbursed	27551.86		45077.84	19858.20	
Total Paid up Capital	6725.36		7779.53	7867.46	
Free Reserves	2832.04		2854.52	2854.52	
Capital to Asset Ratio (%)	5.80		6.05	NR	
Deposit Outstanding	19677.43		28396.81	35971.58	
Borrowings Outstanding	148048.62		146719.65	148731.22	
Net Profit	10.45		14.87	NR	
Accumulated Loss, If Any	-		-	-	
NR denotes Not Reported					

Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Dev. Bank Ltd.							
S	Statue Junction, Thiruvananthapuram - 695 001						
Email: ho.cardbank@gmail.com / Website: www.keralalandbank.org Telephone No. 0471-2460595							
President Shri Soloman Alex			naging Director ri E. Devadasan, IAS				
Staff Position At SCARDB: 221 At PCARDB: 1229			Interest Rate On Loans – 11.00% to 16.50% On Deposit Collection – 5.00% to 8.00%				
	Key Financial Para	ameter	s (₹ Lakh)				
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18			
Loans Outstanding	541045.72		583725.29	636161.04			
Loans Disbursed	204988.08		203893.80	232755.01			
Total Paid up Capital	15848.94		17312.51	18843.28			
Free Reserves	19019.12		25300.68	30201.41			
Capital to Asset Ratio (%)	9.36		10.10	10.71			
Deposit Outstanding	86749.76		77716.02	59378.94			
Borrowings Outstanding	481680.47		565965.31	577682.28			
Net Profit	2432.03		2330.97	2827.81			
Accumulated Loss, If Any	-		-	-			



Pondiche	erry Cooperative Ce	entral	Land Dev. Bank Ltd.	
	No. 24, Colas Nagar, F	Puduche	erry - 605 001	
Email – pccldb@dataon	e.in		Telephone No. 0413-2	2357985
Administrator: Thiru D. Krishnamoorthy			aging Director: u A. Iryasappan	
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) : 31		on L	rest Rate oans : 14.00% leposit Collection : NR	
	Key Financial Par	ameter	s (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18
Loans Outstanding	2126.60		2721.69	3021.58
Loans Disbursed	1949.40		2422.05	2381.76
Total Paid up Capital	445.32		455.56	463.69
Free Reserves	233.98		256.36	271.82
Capital to Asset Ratio (%)	NR		NR	NR
Deposit Outstanding	1740.91		2267.58	2691.86
Borrowings Outstanding	511.51		638.50	534.66
Net Loss	(24.34)		(30.24)	(21.39)
Accumulated Loss, If Any	311.87		342.11	363.50
NR Denotes Not Reported.				

Punjab S	tate Cooperative Agric	cultural Development Bank I	Ltd.
SC	CO No.51-54, Bank Square, S	ector 17-B, Chandigarh-160 017	
Email: sadbmd@gmail.com / Website	: www.agribankpunjab.org	Telephone Nos. 0172-2	708134/5011708
President:		Managing Director:	
Shri D. P. Reddy, IAS		Shri Harinder Singh Sidhu	
Staff Position		Interest Rate	
At SCARDB: 136		on Loans – 10.90% to 12.10%	
At PCARDB: 785		on Deposit Collection – 6.50% to	6.75%
	Key Financial Par	ameters (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16	2016-17	2017-18
Loans Outstanding	261795.94	270241.17	264148.00
Loans Disbursed	55979.94	49022.07	28562.51
Total Paid up Capital	7586.65	7716.65	7853.00
Free Reserves	36115.02	37420.64	37831.00
Capital to Asset Ratio (%)	14.32	13.12	13.02
Deposit Outstanding	35659.03	33631.65	34350.00
Borrowings Outstanding	233210.37	236863.30	240463.00
Net Profit	2542.32	2410.35	713.46
Accumulated Loss, If Any	-	-	-



Rajastha	n Rajya Sahakar	i Bhoo	mi Vikas Bank Ltd.	
			odam Circle, Jaipur - 302 005	
Email: rsldbjaipur@yahoo.com / Website:	www.rsldb.nic.in		Telephone Nos. 014	1-2740440/335
Administrator: Shri G. L. Swami			aging Director: Vijay Kumar Sharma	
Staff Position - NR		on L	rest Rate oans: NR Deposit Collection: NR	
	Key Financial Par	rametei	s (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18
Loans Outstanding	150491.08		153325.41	NR
Loans Disbursed	24369.30		19527.79	NR
Total Paid up Capital	3871.69		3817.55	NR
Free Reserves	18828.44		19292.40	NR
Capital to Asset Ratio (%)	NR		NR	NR
Deposit Outstanding	1010.14		1130.78	NR
Borrowings Outstanding	117399.03		119754.50	NR
Net Profit	522.81		561.21	NR
Accumulated Loss, If Any	-		-	-
NR denotes Not Reported.	•			

Tamil Nadu Coc	perative State Ag	ricult	ure & Rural Dev. Bank	Ltd.
No. 18 ²	1, Luz Church Road, My	lapore,	Chennai - 600 004	
Email – sldbchn@yahoo.	co.in		Telephone No. 044-2	4993854
Chairman Thiru B. Shahul Ameed			naging Director N. Vilvasekaran	
Staff Position At SCARDB : 113 At PCARDB : 475		On	rest Rate Loans – 8.25% to 9.00% Deposit Collection: 7.00% to	7.25%
	Key Financial Para	ameter	s (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18
Loans Outstanding	154478.23		65918.34	66439.25
Loans Disbursed	81298.49		68187.37	70037.41
Total Paid up Capital	4037.12		4037.12	4037.12
Free Reserves	5699.98		5810.59	8101.13
Capital to Asset Ratio (%)	9.01		37.33	NR
Deposit Outstanding	24534.17		23655.36	20325.29
Borrowings Outstanding	6400.75		6409.36	6394.77
Net Profit	658.12		821.00	NR
Accumulated Loss, If Any NR denotes Not Reported,	-		-	-



Tripura Coo _l	perative Agricult	ture &	Rural Dev. Bank Ltd.	
	Office Lane, Aga	artala - 7	799 001	
Email – tcardbltd.2012@gm	ail.com		Telephone No. 0381	-2323972
President Shri Rash Bihari Datta			eral Manager Prafulla Kr. Debbarma	
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) : 27			rest Rate Loans: 14.25% to 16.25%	
	Key Financial Para	ameter	s (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18
Loans Outstanding	2232.65		1935.01	1646.94
Loans Disbursed	299.79		63.25	13.70
Total Paid up Capital	996.28		1029.92	1019.35
Free Reserves	33.69		33.69	33.69
Capital to Asset Ratio (%)	NR		45.48	39.53
Borrowings Outstanding	1899.78		1417.05	961.02
Net Profit/Loss*	65.90		(62.73)	19.69
Accumulated Loss, If Any	1602.34		1665.07	1645.38
NR Denotes Not Reported.	*Figures in brackets in	dicate L	oss.	

Uttar Prado	esh Sahakari Gra	m Vika	as Bank Ltd.	
	10, Mall Avenue, L	ucknow	- 226 001	
Email – upsgvb@yahoo.	in		Telephone Nos. 0522-223884	4/3056439/2239806
Chairman Shri Shivpal Singh Yadav			aging Director K. P. Singh	
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) : 3050		on L	rest Rate oans: 13.00% to 13.50% Deposit Collection: 6.25% to 6	.60%
	Key Financial Para	ameter	s (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18
Loans Outstanding	352508.90		360456.16	336079.54
Loans Disbursed	65570.88		23592.09	6251.27
Total Paid up Capital	33067.38		33149.62	31822.82
Free Reserves	94554.10		80661.20	79628.77
Capital to Asset Ratio (%)	25.28		22.89	23.76
Deposit Outstanding	5732.97		7513.37	6033.79
Borrowings Outstanding	157823.68		166641.86	151300.57
Net Profit/Loss*	1516.10		(2695.86)	191.80
Accumulated Loss, If Any	-		2695.86	2504.06
*Figures in brackets indicate Loss.	•			



West Bengal	State Coop. Agric	culture	e & Rural Dev. Bank Lt	d.
	25-D, Shakespeare Sa	rani, Kol	kata - 700 017	
Email – wbscardb@gmail	I.com		Telephone Nos. 033-22	871786 / 87
Managing Director: Shri Ashis Kr. Mondal				
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) : 85 At PCARDB : 573		On I	rest Rate Loans : 9.79% Deposit Collection : 7.15%	
	Key Financial Par	rameter	s (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18
Loans Outstanding	106708.25		107724.88	110015.55
Loans Disbursed	19530.65		18736.73	22333.84
Total Paid up Capital	4087.46		4145.40	4161.11
Free Reserves	1707.29		1824.38	2001.55
Capital to Asset Ratio (%)	5.00		5.16	5.38
Deposit Outstanding	18107.89		20246.72	20577.52
Borrowings Outstanding	85565.20		81565.16	84030.41
Net Profit	60.20		59.28	244.05
Accumulated Loss, If Any	1313.56		1313.91	1211.27

SCBs

	Delhi State Coope	erative	Bank Ltd.	
31, Neta	aji Subhash Marg, Dary	⁄a Ganj,	New Delhi – 110 002	
Email: dscbho@gmail.com/bkg.dscb@	gmail.com		Telephone Nos. 011-23	3272447/23281875
Chairman: Dr. Bijender Singh			aging Director: . Anita Rawat	
Staff Position At HO: 52 At Branches: 475		On I	rest Rate Loans : 7.00% to 17.50% Deposit Collection: 4.00% to 7	.00%
	Key Financial Para	ameter	s (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16		2016-17	2017-18
Loans Outstanding	59500.09		66742.41	76965.33
Loans Disbursed	47494.82		58866.53	55473.36
Total Paid up Capital	819.96		971.19	1335.98
Free Reserves	19538.30		20557.67	23557.44
Capital to Asset Ratio (%)	29.15		27.30	47.36
Deposits Outstanding	101966.24		116478.26	114184.35
Borrowings Outstanding	3345.50		1777.06	1103.29
Net Profit	1140.44		2857.51	2913.17
Accumulated Loss, If Any	-		-	-



Me	ghalaya Cooperative	Apex Bank Ltd.	
	M. G. Road, Head Office, S	hillong – 793 001	
Email – apexbank@sancharnet.in / Website	- www.mcab.gov.in	Telephone Nos. 0360-	2224160/3753
Chairman:		Managing Director:	
Shri Marchynna Syiem		Shri Osmand E. J. Nongl	ori
Staff Position At HO: 154 At Branches: 449		Interest Rate On Loans: 7.00% to 13.5 On Deposit Collection: 5.	
	Key Financial Parame	ters (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16	2016-17	2017-18
Loans Outstanding	105745.07	106792.85	117281.45
Loans Disbursed	31663.00	23360.00	11846.00
Total Paid up Capital	856.79	919.80	935.75
Free Reserves	11252.26	11497.52	12123.90
Capital to Asset Ratio (%)	23.17	18.98	21.00
Deposits Outstanding	185809.61	225999.67	245978.99
Borrowings Outstanding	3865.37	4475.37	5004.53
Net Profit	250.46	807.25	2078.22
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

T	elangana State Cooper	ative Apex Bank Ltd.	
	4-1-441, Troop Bazar, H	yderabad - 500 001	
Email – mdoffice@tscab.org / We	bsite – www.tscab.org	Telephone No	. 040-23443822
President: Shri Konduru Ravinder Rao		Managing Director: Dr. Nethi Muralidhar	
Staff Position At HO: 211 At Branches: 247		Interest Rate on Loans: 9.50% to 15.00% on Deposit Collection: 4.00% to	to 7.10%
	Key Financial Parar	neters (₹ Lakh)	
Particulars	2015-16	2016-17	2017-18
Loans Outstanding	408028.01	445789.78	519575.61
Loans Disbursed	535553.25	426463.45	604400.18
Total Paid up Capital	10927.05	12048.16	14410.03
Free Reserves	13244.98	14178.75	15290.86
Capital to Asset Ratio (%)	1.66	1.67	1.89
Deposits Outstanding	325241.39	342438.44	385125.24
Borrowings Outstanding	305537.28	320204.38	338891.85
Net Profit	1697.23	5906.87	6656.45
Accumulated Loss, If Any	-	-	-







XI. REPORT ON MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2017-18

1. General Information

The Membership of the Federation as on 31 March 2018 comprises of 16 SCARDBs and 3 StCBs. Of the 16 SCARDBS, 7 have federal structure operating at ground level through affiliated PCARDBs, 7 are unitary, operating through their branches and the remaining 2 SCARDBs have a mixed structural pattern with PCARDBs in some areas and own branches in other areas of the State. A brief report of organizational and operational information for 13 fully functional SCARDBs for the year 2017-18, based mainly on preaudited data is furnished in this Section.

Fully functional SCARDBs with unitary/mixed structure were operating through 679 branches, while those with federal structure had a network of 602 PCARDBs and 473 branches of PCARDBs as on 31 March 2018. The total membership of 13 functional SCARDBs as on 31 March 2018 was 101.78 lakh of which borrowing members were 54.26 lakh. Out of 13 fully functional banks 9 had elected boards, and 561 out of 602 PCARDBs also had elected boards as on 31 March 2018. Overall information on structure, Membership, staff and elected boards are furnished below in the table.

2. Loans advanced

The total loans advanced by 13 SCARDBS (fully functional) during the year 2017-18 amounted to ₹4363.92 crore as against ₹4641.61 crore during 2016-17 showing a negative growth of 5.98% mainly on account of set back to normal lending operations in the aftermath of demonetization in November 2016. The aggregate loans outstanding of these banks at Apex Bank level stood at ₹20551.34 crore for the year 2017-18 as against ₹20210.44 crore for the previous year 2016-17, showing a growth of 1.69%.

3. Borrowings

Total borrowings by 13 SCARDBS (Fully functional) during 2017-18 decreased to ₹ 3088.79 crore from ₹ 3998.71 crore during 2016-17. NABARD continued to be the main source of borrowings during the year, with total refinance support of ₹ 2586.97 crore accounting for 83.75% of total borrowings by the banks. Remaining 16.25% of borrowings by theses SCARDBS were sourced from Govt. NCDC, NHB and various SCBs.

The Borrowings Outstanding of 13 SCARDBs as on 31 March 2018 (Fully functional) stood at ₹ 14996.23

Sr. No.	Particulars	As on 31-03-2017	As on 31-03-2018
1)	Number of SCARDBs (Federal)	7	7
2)	Number of SCARDBs (Unitary)	7	7
3)	Number of SCARDBS with mixed Structural pattern	2	2
4)	Number of Branches of SCARDBs (Unitary)	672	679
5)	Number of PCARDBs (Federal)	602	602
6)	Number of Branches of PCARDBs (Federal)	463	473
7)	Total Membership (in Lakh)	102.70	101.78
8)	Of item 7, Borrowing members (in Lakh)	55.14	54.26
9)	Number of SCARDBs having Elected board	9	9
10)	Number of PCARDBS having elected board	565	561
11)	Staff in SCARDBs (Number)	5039	4902
12)	Staff in PCARDBs (Number)	5062	4981



crore as against ₹ 15425.72 crore as on 31 March 2017. Borrowing outstanding of 4 banks viz. Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, and West Bengal showed an increase and that of 7 states viz., Gujarat, Haryana, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh decreased over the previous year. Jammu & Kashmir SCARDB did not show any change in their outstanding position.

4. Deposit Mobilisation

All fully functional SCARDBs except Rajasthan and Tripura have been taking deposits during the year under report. Deposits of these banks mainly comprised of member deposits under various deposit schemes as approved by their Board of Directors. Some of the SCARDBs are also collecting fixed deposits of 1 to 3 years duration from public as permitted under NABARD's guidelines for deposit mobilization by SCARDBs issued in 1997.

Total deposit Outstanding of SCARDBs as on 31 March 2018 were ₹ 2128.17 crore as against ₹ 2244.19 crore as on 31 March 2017 registering a decline of 5.17% over the previous year.

5. Financial performance

The Profit / Loss position as on 31 March 2018, in respect of 13 SCARDBs (Fully functional) shows that 10 SCARDBs are in profit and remaining 3 SCARDBs (Haryana, Jammu & Kashmir and Pondicherry) have incurred losses. All SCARDBs which received NABARD's refinance except Haryana were in profit during the year. Tamil Nadu though not getting NABARD's refinance continued to maintain the growth in net profits during the year. The position is likely to undergo changes once the audited figures in respect

of Karnataka, Rajasthan, and Tamil Nadu are available. In respect of these banks, the previous year's position has been retained for review.

6. Non-Performing Assets

The total loan outstanding of 13 SCARDBS (Fully functional) amounted to ₹ 20075.85 crore as on 31 March 2018 with Gross NPA of ₹ 4898.96 crore which worked out to 24.40% of the total loan outstanding as against 25.30% as on 31 March 2017. Of the 13 SCARDBS, NPAs of 3 SCARDBS were significantly below the tolerable level of 5%.

7. Recovery Performance

The yearly recovery performance at Apex and Ultimate Borrowers level is reported as of 30 June every year. Hence the latest available position of DCB is 30th June 2017. The total ground level demand of 13 SCARDBs (Fully functional) at the end of 30 June 2017 were ₹12578.93 crore against which collections were ₹ 4835.92 crore which formed 38.44% of demand as against 56.23% as on 30 June 2016. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 50% in the case of 4 SCARDBs viz., Karnataka, Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu whereas Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal were in the range of below 50%. The amount of overdues as on 30 June 2017 stood at ₹ 7743.01 crore compared to ₹ 5079.21 crore as of 30 June 2016, showing an increase of ₹ 2663.80 crore over previous year. The recovery climate was vitiated by the declaration of debt waiver scheme in some of the States and post demonetization impact.



XII. ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Agriculture. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry for its continued support and guidance to the Federation and to the Long Term Cooperative Credit Structure.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBS. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBS and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

We also extend our gratitude to NCDC, NHB, Scheduled Commercial Banks and State Cooperative Banks for continuing to provide funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on

record its appreciation and gratitude to Dr. Chandrapal Singh Yadav, President and Dr. Dinesh, Chief Executive.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge our profound gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri Sukhdarshan Singh Mrar (Chairman, till December 2017) who with the able support of Vice Chairpersons Shri K. Sivadasan Nair, Shri Bijay Kumar Singh, Shri Dalip Singh Yadav and Shri B.H. Jadeja gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

K. Sivadasan Nair Chairman



TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

(₹ Lakh)

3		Loans	Loans Disbursed during 2017-18	2017-18		Loans Outs	Loans Outstanding as on 31 March 2018	March 2018	
N O	Name of SCARDB	Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loans Disbursed (3+4)	Loans Disbursed during 2016-17	Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loan Outstanding (7+8)	Loans Outstanding as on 31 March 2017
-	2	3	4	S	9	7	80	6	10
1.	GUJARAT	NR	NR	17634.68	14256.09	NR	NR	58754.31	56832.93
2.	HARYANA	5069.06	2480.16	7549.22	9835.00	130760.81	65918.47	196679.28	201444.37
3.	HIMACHAL PRADESH	6100.34	2117.48	8217.82	8759.01	29413.84	13152.62	42566.46	34042.25
4.	JAMMU & KASHMIR	688.93	579.82	1268.75	788.94	3794.25	1491.15	5285.40	5251.09
5.	KARNATAKA	19850.09	8.11	19858.20	45077.04	184018.58	1271.66	185290.24	183460.32
6.	KERALA	82882.90	149872.11	232755.01	203893.80	183894.52	452266.52	636161.04	583725.29
7.	PONDICHERRY	00.00	2381.76	2381.76	2422.05	00'0	3021.58	3021.58	2721.69
8.	PUNJAB	22531,47	6031.04	28562.51	49022.07	166706.17	93163.16	259869.33	264206.37
9.	RAJASTHAN*	NR	NR	19527.79	19527.79	NR	NR	153325,41	153325.41
10.	TAMIL NADU	00'0	70037,41	70037,41	68187.37	00'0	66439.25	66439.25	65918,34
11.	TRIPURA	9.20	4.50	13.70	63.25	430,98	1215.96	1646.94	1935.01
12.	UTTAR PRADESH	4612.61	1638.66	6251.27	23592.09	277647.28	58432.26	336079.54	360456.16
13.	WEST BENGAL	19146.40	3187.44	22333.84	18736.73	79828.70	30186.85	110015.55	107724.88
	TOTAL [1 to 13]	160891.00	238338,49	436391.96	464161.23	1056495.13	786559,48	2055134.33	2021044.11
] :									

Note: (1) NR denotes Not Reported.
(2) * Position as on 31.03.2017 is considered for review.



TABLE 2 - BORROWING

(₹ Lakh)

			Raised Dur	ing 2017-18		Grand	l Total
Sr. No.	Name of SCARDB	NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2017-18 (3+4+5+6)	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GUJARAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8200.01
2.	HARYANA	7313.22	39.29	15039.29	33917.67	56309.47	74495.14
3.	HIMACHAL PRADESH	6396.00	0.00	0.00	271.90	6667.90	10000.00
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	KARNATAKA	19249.79	-553.59	165.01	-16849.64	2011.57	-1328.97
6.	KERALA	124501.50	0.00	0.00	0.00	124501.50	169031.52
7.	PONDICHERRY	0.00	0.00	0.00	-103.84	-103.84	126.99
8.	PUNJAB	28652.01	0.00	0.00	0.00	28652.01	53829.89
9.	RAJASTHAN *	22500.00	128.09	128.09	10000.00	32756.18	25516.64
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	TRIPURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	UTTAR PRADESH	28883.98	0.00	0.00	8000.00	36883.98	45000.00
13.	WEST BENGAL	21200.00	0.00	0.00	0.00	21200.00	15000.00
	TOTAL [1 to 13]	258696.50	-386.21	15332.39	35236.09	308878.77	399871.22

Note:-* Data from Monthly Progress Report March 2018.



TABLE 3 - BORROWING OUTSTANDING

(₹ Lakh)

		Borrowing	gs Outstandir	ng as on 31 M	larch 2018	Grand	l Total
Sr. No.	Name of SCARDB	NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2018 (3+4+5+6)	As on 31/03/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GUJARAT	12085.11	89.22	260.44	0.00	12434.77	18105.61
2.	HARYANA	85325.27	3441.13	53733.15	22709.67	165209.22	173880.63
3.	HIMACHAL PRADESH	26434.50	610.06	39.37	271.90	27355.83	26560.56
4.	JAMMU & KASHMIR	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	KARNATAKA	99964.99	2480.06	2035.87	44250.30	148731.22	146719.65
6.	KERALA	576895.41	390.77	390.77	5.33	577682.28	565965.31
7.	PONDICHERRY	0.00	0.00	0.00	534.66	534.66	638.50
8.	PUNJAB	214320.33	196.52	18.83	0.00	214535.69	236863.31
9.	RAJASTHAN#	NR	NR	NR	NR	112270.08	119761.21
10.	TAMIL NADU	0.00	0.00	6389.37	5.40	6394.77	6409.36
11.	TRIPURA	919.17	1.61	40.23	0.00	961.01	1417.05
12.	UTTAR PRADESH	127760.30	447.41	447.41	20211.98	148867.10	164070.09
13.	WEST BENGAL	83939.92	31.13	59.36	0.00	84030.41	81565.16
	TOTAL [1 to 13]	1227645.00	7967.19	63751.52	87989.24	1499623.04	1542572.44

Note: (1) NR denotes Not Reported. (2) # Data from Monthly Progress Report March 2018.



TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ Lakh)

Sr.	Name of COARDS	Deposit Ra	ised During	Deposit Outstandi	ng as at the end of
No.	Name of SCARDB	2016-17	2017-18	31.03.2017	31.03.2018
1.	GUJARAT	23535.45	21090.91	27200.71	26195.66
2.	HARYANA	213.00	0.00	223.43	15.16
3.	HIMACHAL PRADESH	2409.06	1935.57	11821.63	13757.20
4.	JAMMU & KASHMIR	3481.16	3513.86	12935.41	16449.27
5.	KARNATAKA	8719.38	7574.77	28396.81	35971.58
6.	KERALA	36212.51	23878.97	70522.30	51207.55
7.	PONDICHERRY	526.67	424.28	2267.58	2691.86
8.	PUNJAB	21096.14	21360.00	19635.84	19654.00
9.	TAMIL NADU	21860.86	17831.36	23655.36 20325.29	
10.	UTTAR PRADESH	4252.10	1570.06	7513.37	5972.35
11.	WEST BENGAL	2138.83	330.80	20246.72	20577.52
	TOTAL [1 to 11]	124445.16	99510.58	224419.16	212817.44



TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	As on 31-03-2017	As on 31-03-2018
1.	GUJARAT	1804.83	1843.98
2.	HARYANA	(21809.87)	(3188.11)
3.	HIMACHAL PRADESH	500.00	0.85
4.	JAMMU & KASHMIR	(356.60)	(825.07)
5.	KARNATAKA *	14.87	14.87
6.	KERALA	2330.97	2827.81
7.	PONDICHERRY	(30.24)	(21.39)
8.	PUNJAB	2410.35	713.46
9.	RAJASTHAN *	561.21	561.21
10.	TAMIL NADU *	821.00	821.00
11.	TRIPURA	(40.80)	19.69
12.	UTTAR PRADESH	(2695.86)	191.80
13.	WEST BENGAL	59.28	244.05

Note:- (1) Figures in brackets indicate loss.

^{(2) *} Position as on 31.03.2017 is considered for review.



TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

	A.	IABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)	-FIRTORIMI	NG ASSELS (NFA)		(₹ Lakh)
		As	As on 31 March 2017	017	As	As on 31 March 2018	018
Sr. No.	Name of SCARDB	Total Loan Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding	Total Loans Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding
1.	GUJARAT	59632.93	30542.83	51.22	58474.31	30542.83	52.23
2.	HARYANA	201444.37	159135.27	79.00	196679.28	163363.54	83.06
3.	HIMACHAL PRADESH	34042.25	7405.30	21.75	42566.46	9820.22	23.07
4.	JAMMU & KASHMIR	5251.09	901.41	17.17	5285.40	923.10	17.47
5.	KARNATAKA *	183460.32	39692.35	21.64	183460.32	39692.35	21.64
9.	KERALA	583725.29	6140.96	1.05	636161.04	3199.23	0:00
7.	PONDICHERRY	2721.69	38.05	1.40	3021.58	57.98	1.92
8.	PUNJAB	262812.98	10710.19	4.08	259869.33	11781.21	4.53
9.	RAJASTHAN *	153325.42	62346.08	40.66	153325.42	62346.08	40.66
10.	TAMIL NADU *	65918.34	13363.49	20.27	65918.34	13363.49	20.27
11.	TRIPURA	1935.31	963.31	49.78	1646.94	773.74	46.98
12.	UTTAR PRADESH	313290.72	142883.15	45.61	291161.28	128434.70	44.11
13.	WEST BENGAL	107724.88	25535.20	23.70	110015.55	25597.15	23.27
	TOTAL [1 to 13]	1975285.59	499657.59	25.30	2007585.25	489895.62	24.40

Note:- * Position as on 31.03.2017 is considered for review.



TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION

(₹ Lakh)

		At Apex	Apex Bank Level as on 30 June 2017	s on 30 June	2017	Recovery (%)	At Ultimate	Borrowers' L	At Ultimate Borrowers' Level as on 30 June 2017) June 2017	Recovery (%)
No.	Name of SCARDB	Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	as on 30.06.2016	Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	as on 30.06.2016
-	GUJARAT	59236.90	18479.82	40757.08	31.20	39.64	59236.90	18479.82	40757.08	31.20	39.64
2.	HARYANA	146320.01	17377.25	128942.76	11.88	27.18	159618.24	24689.16	134929.08	15.47	31.28
3.	HIMACHAL PRADESH	11975.22	3829.36	8145.86	31.98	45.97	12887.87	4742.01	8145.86	36.79	54.68
4.	JAMMU & KASHMIR	1874.63	951,31	923.32	48.18	50,61	1874.63	951.31	923.32	48.18	50,61
5.	KARNATAKA	104606.54	46041.80	58564.74	44.01	89'59	69346.94	42593.42	26753.52	61.42	67.53
9.	KERALA	161342.48	159587.83	1754.65	98.91	98.26	215914.81	154062.34	61852.47	71.35	75.32
7.	PONDICHERRY	2380.83	2255.48	125.35	94.74	94.67	2380.83	2255.48	125.35	94.74	94.67
8.	PUNJAB	58356.97	35774.67	22582.30	61.30	92'58	179051.15	35007.01	144044.14	19.55	54.15
9.	RAJASTHAN	93539.30	28052.52	65486.78	29.99	35.78	117845.54	39990.20	77855.34	33.93	35.29
10.	TAMIL NADU	82821.74	70423.78	12397.96	85.03	86.83	108061.38	97292,51	10768.87	90'03	60'68
11.	TRIPURA	1473.00	574.37	898.63	38.99	50.23	1473.00	574.37	898.63	38,99	50.23
12.	UTTAR PRADESH	256697.60	35855.35	220842.25	13.97	44.41	256697.60	35855,35	220842.25	13.97	44.41
13.	WEST BENGAL	64539.40	24614.83	39924.57	38.14	42.85	73503.70	27098.79	46404.91	36.87	34.45
	TOTAL [1 to 13]	1045164.62	443818.37	601346.25	42.46	60.15	1257892.59 483591.77		774300.82	38.44	56.23



TABLE 8 - NETWORK, MEMBERSHIP, ELECTED BOARD & STAFF (SCARDBs)


(Number)

Name of SCARDB	98	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures) 31.3.2017 31.3.2018	Branches / Mixed tures)	No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures) 31.3.2017 31.3.20	CARDBs I / Mixed tures) 31.3.2018	No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure) 31.3.2017 31.3.201	ranches (RDBs structure) 31.3.2018	Total Membership (Borrowings + Non-Borrowings) 31.3.2017 31.3.20	nbership vings + owings) 31.3.2018	Borrowing Members 31.3.2017 31.3.2	Staff of Members	Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)	SCARDB ected (es/No)	Number of PCARDBs having elected Boards 31.3.2017 31.3.2018	er of s having Boards 31.3.2018	Staff of SCARDBs (Number)	of DBs ber) 31.3.2018;	Staff of PCARDBs (Number) 31.3.2017 31.3.	f of DBs ber) 31.3.2018
GUJARAT 181	181		181	NA	AN	NA	NA	58823	37504	6485	8878	Yes	Yes	AN AN	N A	346	342	N A	NA
HARYANA 0	0	_	0	19	19	92	92	735868	728305	152253	131370	Yes	Yes	19	19	92	72	606	837
HIMACHAL PRADESH 44	4		51	-	-	20	30	85788	87646	28969	29421	Yes	Yes	-	-	109	177	54	54
JAMMU & KASHMIR 51	51	_	51	NA A	A.	AN AN	NA NA	96996	97381	77106	77565	2	o _N	¥	A A	242	240	¥.	¥.
KARNATAKA * 25	25		25	178	178	A N	N A	1207267	1207267	676476	676476	Yes	Yes	175	175	226	312	299	613
KERALA* 14	41		14	75	75	149	149	1221198	1221198	711310	711310	Yes	Yes	74	74	240	221	1229	1229
PONDICHERRY 1	-		-	AN	NA A	AN A	A A	4991	5079	16	10	S S	o _N	¥	¥.	31	31	¥.	AN
PUNJAB 0	0	Ι	0	88	68	0	0	851145	840989	113432	106618	Yes	Yes	84	88	255	136	751	785
RAJASTHAN * 0	0		0	36	36	143	143	1190597	1190597	772507	772507	oN N	o _N	6	6	96	96	415	415
10. TAMIL NADU 26	56		26	180	180	2	2	1358533	1355660	181974	181974	Yes	Yes	180	180	117	113	486	475
11. TRIPURA 5	5		5	NA	NA	NA	NA	22564	22573	2739	2742	Yes	Yes	NA	NA	59	27	NA	NA
UTTAR PRADESH 323	323		323	NA	NA	NA	NA	3050898	3024657	2582585	2519647	Yes	Yes	NA	NA	3181	3050	NA	NA
WEST BENGAL 2	2		2	24	24	73	73	385887	358734	207672	207563	No	No	23	23	91	85	551	573
TOTAL [1 to 13] 672	672		629	602	602	463	473	10270255	10177590	5513524	5426081	•	•	292	561	5039	4902	5062	4981
		i																	

Note:-

⁽¹⁾ NA denotes 'Not Applicable'. (2) * Position as on 31.03.2017 is considered for review.





Participants of General Body with the newly elected Chairman and the office bearers of the Federation on 30,06,2018





Shri R. Venkataswamy, Director, NIRB, P.V. Prabhu, Trustee, NIRB, K.K. Ravindran, MD and V.I. Ganesan, Senior Consultant, NCARBF.



Shri R. Venkataswamy, Director, NIRB, P.V. Prabhu, Trustee, NIRB & K.K. Ravindran, MD NCARBF.

अहावनवीं वार्षिकरिपोर्ट २०१७-२०१८



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग, रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२)२७८१ ४११४, २७८१ ४४२६ फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५ ई-मेल : nafcard.org@gmail.com वेबसाईट : www.nafcard.org



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017 की राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन लि. की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक शनिवार 15 सितम्बर 2018 को मध्यान्ह 12.00 से होटल पोलो टावर्स, शिलांग में निम्नांकित व्यवसाय प्रबन्धन हेतु आहूत की गई है :—

- 1. दिनांक २१ जुलाई २०१७ को सम्पन्न फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टिकरने,
- 2. वर्ष २०१७–१८ के लेखापरीक्षित खातों के विवरण पत्रों पर विचार ।
- वर्ष 2017—18 के अधिशेष का निपटान ।
- 4. 31.03.2018 को समाप्त हुऐ वर्ष के सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार।
- 5. वर्ष 2017–18 की सम्प्रेक्षण अनुपालन आख्या पर विचार।
- 6. वर्ष 2017—18 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
- 7. वर्ष 2018—19 के लिये सम्प्रेक्ष कों की नियुक्ति तथा सम्प्रेक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार।
- 8. वर्ष 2018—19 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।

बहु राज्यीय सहकारी सिमित अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो सम्बन्धित सदस्य बैंक के निदेशक मण्डल के प्रस्ताव, अथवा प्रशासक द्वारा, जहां निदेशक मण्डल नहीं है, जिस नाम से भी कहा गया हो, नामित अध्यक्ष / सभापति अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तदनुसार, सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह फेडेरशन को, सामान्य सभा के लिये अपने अपने प्रतिनिधि का नाम, निदेशक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा की बैठक से न्यूनतम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

फेडरेशन के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

स्थान नवी मुम्बई **दिनांक** – 14 अगस्त, 2018

हस्ताक्षरित / — (कं.कं.रविन्द्रन) प्रबन्ध निदेशक



I. आर्थिक परिदृश्य

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत विश्व में तीव्रतम गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुदृढ़ लोकतंत्र तथा सहभागिता के संरक्षण में आने वाले 10—15 वर्षों में इसके विश्व की तीन बड़ी आर्थिक शक्तियों में एक महा शक्ति होने की उम्मीद है। 2017—18 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया है जिसके 2018—19 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ के अनुसार) सितम्बर से दिसम्बर 2017 की तिमाही में, स्थिर मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018—19 में पूंजीगत बहाली के साथ भारत के व्यावसायिक उपार्जन (कार्पोरेट आय) में 15—20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। प्रथम

अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, योजित सकल मूल्य (जीवीए) की वृद्धि दर ,केन्दीय सांख्यकी संगठन (सीएसओ) के अनुसार भारत केसकल घरेलू उत्पाद में सितम्बर से दिसम्बर की तिमाही में निश्चित मूल्य पर 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018—19 में पूंजी व्ययों की देयता के समर्थन के साथभारत के कार्पोरेट अर्जन मे 15—20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। प्रथम अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार 2016—17 के में रखे गये 6.1 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2017—18 के लिये जोड़े गये सकल मूल्य (जीवीए) की वृद्धि स्थिर को मूल्य स्थिर के आधार पर मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने के कारण दूसरी छमाही में आई मंदी को देखते हुए, 6.7 प्रतिशति पर ही रखा गया। 2012—13 से 2017—18 तक की मौलिक कीमतों पर विभिन्न क्षेत्रों के जोड़े गये मूल्य (जीवीए) की वृद्धि दर निम्नांकित तालिका में दी गई हैं।

स्थिर मूल्य (2011-12) पर विभिन्न क्षेत्रों के जोड़े गये मूल्य (जीवीए)ं की वृद्धि दर (%में)

उद्योग	2012.13	2013.14	2014.15*	2015.16#	2016.17@	2017.18 (द्वितीय एई)
।. कृषि	1.5	5.6	-0.2	0.6	6.3	3.0
॥. उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.8	6.8	4.8
खनन एवं उत्खनन	0.6	0.2	9.7	13.8	13.0	3.0
विनिर्माण	5.5	5.0	7.9	12.8	7.9	5.1
विद्युत गैस एवं जलआपूर्ति	2.7	4.2	7.2	4.7	9.2	7.3
भवन निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.7	1.3	4.3
॥. सेवाये	8.3	7.7	9.8	9.6	7.5	8.3
संचार एवं सेवा सम्बन्धी प्रसारण	9.8	6.5	9.4	10.3	7.2	8.3
वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा तथ्ज्ञा व्यावसायिक सेवायें	9.7	11.2	11.0	10.9	6.0	7.2
सार्वजनिक प्रशासनु सुरक्षा एवं अन्य सेंवायें	4.3	3.8	8.3	6.1	10.7	10.1
आधारभूत मूल्य पर जीवीए	5.4	6.1	7.2	8.1	7.1	6.4

*: तीसरा संशोधित प्राक्कलन, @:प्रथम संशोधित प्राक्कलन, ए ई : अग्रिम प्राक्कलन

द्वितीय संशोधित प्राक्कलन

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय



विगत लगातार दो साल के असामान्य वर्षों के बाद, सामान्य मानसून के कारण 2017-18 के दौरान क्षेत्र स्तर पर, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र मे उल्लेखनीय सुधार हुआ है। खनन एवं उत्खनन तथा विनिर्माण क्षेत्र में कमशः 0.8 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि से औद्योगिक क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत की गिरावट हुई यद्यपि निर्माण क्षेत्र ने 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई। सेवा क्षेत्र ने जहा पहली छमाही में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की, अपनी वृद्धि की गति बनाये नहीं रख सका परिणामस्वरूप 7.5 प्रतिशत की वृद्धि ही अंकित करा पाई इसके बावजूद वर्ष 2001 से अपने 9 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 57 प्रतिशत के योगदान के साथ सेवा क्षेत्रसबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बना हुआ है। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के बाद भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान मात्र 17.1 प्रतिशत है जो विगमत वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है जब कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान 28.9 प्रतिशत पर लगभग स्थिर है और निर्माण क्षेत्र विगत कुछ वर्षों से 54-56 प्रतिशत की सीमा में संकृचित है।

11.02 प्रतिशत से 273.73 बिलियन डॉलर के निर्यात वृद्धि से 2017—18 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान नकारात्मक निर्यात वृद्धि की प्रवृत्ति कुछ हद तक उलट गई थी, 2017—18 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान आयात में 20.58 प्रतिशत से 416.86 बिलियन डॉलर की वृद्धि

हुई । यद्यपि इसी अवधि में गत वर्ष 105.72 बिलियन डॉलर की तुलना में 2017-18 (अप्रैल से दिसम्बर) में व्यापार घाटे में बढ़ोत्तरी हुई। 2017–18 के प्रथम छमाही मेंप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पुष्ट प्रवाह तथा विशुद्ध विदेशी अंश समूह के निवेश के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भण्डार में हुई संवृद्धि चालू खातों के घाटे को पूरा करने के लिये पर्याप्त थे। दिसम्बर 2016 के अंत से दिसम्बर 2017 के अंत तक विदेशी मुद्रा भण्डार में साल दर साल के आधार पर 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016–17 में विदेशी मुद्रा भण्डार 370 बिलियन डॉलर का प्राक्कलन किया गया था। जो 2017-18 में बढ़ कर 409.4 बिलियन हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 422.53 बिलियन डॉलर था। पूंजी बाजार के ऋण प्रखण्ड में विदेशी निवेश के कारण सितम्बर के अंत, तिमाही तक भारत का विदेशी ऋण 495.7 बिलियन डॉलर से मार्च 2017 के अंत तक 5.1 प्रतिशत ऊपर पहुंच गया। क्रमबद्धता के आधार पर जून 2017 के अंत के स्तर से सितम्बर 2017 के अंत तक कुल विदेशी ऋण 10 बिलियन डॉलर (2.1 प्रतिशत) पर पहुंच गया। इस अवधि में विदेशी ऋण में बढ़ोत्तरी का मूल कारण व्यापारिक देनदारियों के अंतर्गत सम्मिलित घरेलू पूंजी बाजार के ऋण प्रखण्ड में विदेशी अंश समूह निवेश (एफपीआई) में वृद्धि हो जाना था।

॥. कृषि - सामान्य परिदृश्य

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि 58: ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। पिछलें कुछ वर्षों से इस क्षेत्र पर जनसंख्या की निर्भरता स्तर में तदनुरूप कोई कमी हुए बिना ही जीडीपी में कृषि के अंशदान में निरन्तर गिरावट हो रही है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अग्रवर्ती प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2017—18 में 2011—12 के मूल्यों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों (कृषि, पशुधन, वानिकी तथा मत्स्य पालन सिहत) का अंशदान योजित सकल मूल्य (जीवीए) का 17.1 प्रतिशत अपेक्षित है। स्वाधीनता के बाद से भारत का खाद्यान्न उत्पादन पांचगुना बढ़ कर 2017—18 में 277.49 मिलियन टन पहुंच गया है। अनाज की औसत उपज जैसे कि चावल और गेहूँ 1970 दोगुनी हो गई है लेकिन चीन और अमेरिका से अभी भी कम है।

2017—18 के दौरान प्रमुख खाद्य फसलों अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है:—

(उत्पादन मिलियन टन में)

कुल खरीफ खाद्यान्न	277.49
चावल	111.01
गेहूँ	97.11
सभी मोटे अनाज	45.42
सभी दलहन	23.95
कुल तिलहन	298.82 लाखटन
गन्ना	3532.26 .''

स्त्रोतः— अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग



तथापि, 2016-17 तथा 2018-17 में लगातार अच्छी फसलों के कारण थोक फसलों के थोक मूल्यों में आई गिरावट से किसानों में विरोध की भावना पैदा हुई। केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में लागत में पचास प्रतिशत मार्जिन (उपान्त) जोड़ कर निकाले गये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित करने का वादा किया है और कहा कि समर्थन मूल्य पर एक प्रभावशाली नीति की घोषणा की जाएगी। वैश्विक उत्पादन में 14 प्रतिशत भाग गन्ने का उत्पादन कर भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। यह वैश्विक निर्यात में 2.76 प्रतिशत शक्कर का निर्यात करने वाला छठवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अच्छे मानसून के कारण फसलों में सम्भावित ७० प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए वित्तीय वर्ष २०१५–१६ में 537,888 टन के निर्यात की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मूंगफली का निर्यात 700000 टन से अधिक होने की सम्भावना हैं। इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण अच्छे उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धी चिली द्वारा अमेरिकी बाजार की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण बढ़ी मांग को देखते हुये भारत से यूरोप और चीन को अंगूर निर्यात में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है। पिछले दो दशक से भारत विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है और विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 19 प्रतिशत दुग्ध उत्पादित करता है। भारत इंस्टेण्ट काफी के निर्यातक केन्द्र के रूप में उभर रहा है जिसके कारण 2017 में 17 प्रतिशत वृद्धि के साथ 958.80 मिलियन डॉलर तक काफी की निर्यात बढ़ी है। भारत से चाय की निर्यात चालू वर्ष 2017 में विगत 36 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर 240.68 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गया है। वर्ष 2016 में 3.8 बिलियन डॉलर के निर्यात जिसके वर्ष 2022 तक 7 बिलियन डॉलर पर पह्चने का प्राक्कलन किया गया है के साथ भारत झींगा मछली के वैश्विक निर्यातकों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर है।

भारत विश्व का सबसे अधि फल उत्पादन करने वाला देश है। 2016—17 में भारत का औद्यानिकी उत्पादन 300.64 मिलियन टन पहुंच गया है जिसके 2017—18 में 305.43 मिलियन टन हो जाने का प्राक्कलन किया गया है। देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का अंशदान 10% है और यह प्रमुख वस्तुओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। अप्रेल 2017 से जनवरी 2018 के दौरान भारत से बासमती चावल तथा भैंस के मास सहित कृषि निर्यात क्रमशः 6.19 बिलियन तथा 6.59 बिलियन डॉलर पहुंच गया। भारत में दुग्ध क्षेत्र

के 15 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 2020 तक 9.4 ट्रिलियन (145.7 बिलियन डॉलर) तक बढ़ने की आशा है।

आगामी कुछ वर्षों मे भारत के कृषि क्षेत्र में बढ़ रहे कृषि सम्बन्धी संरचनात्मक निवेश, जैसे कि सिंचाई सुविधायें, भण्डारण एवं शीतगृह विस्तार, को देखते हुएं बेहतर गति प्राप्त करने की आशा की जाती है। लेन—देन लागत एवं कार्यअविध में कमी, उन्नत पोर्टगेट प्रबन्धन तथा बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे कारक तत्व इस क्षेत्र की वृद्धि में अपेक्षित योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त आनुवांशिक उपांतरित फसलों के बढ़तें चलन से सम्भवतः भारतीय किसान की कृषि पैदावार में सुधार होगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न भण्डारण क्षमता को 35 मीट्रिक टन तक बढाये जाने का प्राक्कलन है।

जलवायु परिवर्तन एवं कृषि

भारत मौसम की अनिश्चितता से ग्रस्त है जैसा कि 52 प्रतिशत कृषि क्षेत्र (141.4 मिलियन हेक्टर में से 73.2 मिलियन हेक्टर क्षेत्र शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र) वर्षा पोषित है, कृषि क्षेत्र अभी भी असिंचित है तथा वर्षा पर निर्भर है। अखिल भारतीय कुल फसल वाले क्षेत्र में सकल निवल सिंचित क्षेत्र अभी भी 34.5 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। कम से कम तीन प्रमुख स्त्रोत – औसत तापमान में वृद्धि, औसत वृष्टि में गिरावट तथा सूखे दिनों में वृद्धि, जिनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन कृषि आय को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा में कहा गया कि "1970 और अंतिम दशक के मध्य में खरीफ वाली वृष्टि पर औसतन 26 मिलीमीटर तथा रबी वाली वृष्टि पर 33 मिलीमीटर की गिरावट आयी तथा सूखे के दिनों में वृद्धि हुई । इस अवधि की वार्षिक औसत वृष्टि में औसतन लगभग 86 मिलीमीटर की गिरावट हुई।" इसीप्रकार, रबी और खरीफ में इसी अवधि में तापमान में क्रमशः लगभग 0.45 डिग्री व 0.63 डिग्री औसत वृद्धि हुई। इसमें कहा गया कि "सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को अनेक जोखिमों को कम करने के लिये अपनी आय सृजन के अवसरों को बहुआयामी बनाने हेतुपशुधन तथा मत्य पालन जैसे कृषि-उपक्षेत्रों, की स्विधा उपलब्ध कराये जाने की होगी"। सरकार से कृषि की कठिनाइयों को जानकारी करने तथा किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आमूल आवतर्न कार्यवाही करने का भी आग्रह किया गया है। जलवायु परिवर्तन से वार्षिक कृषि आय में 15 से 18 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र में 20 प्रतिशत से 25



प्रतिशत तक की कमी हो सकती है।

2017—18 के केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

- ग्रामीण, कृष्णिफष तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में 2017—18 के लिये रु1,87,223 करोड़ का कुफल आवंटन किया गया है जो गत वर्ष से 24% अधिक है।
- वर्ष 2016—17 के रु 9.00 लाख करोड़ के सापेक्ष 2017—18 में कृषि ऋण के लिये रिकॉर्ड स्तरीय लक्ष्य रु 10 लाख करोड़ निधारित किया गया है।
- फसल बीमा योजना का आवृत्त क्षेत्र हेतु 9000 करोड़ के प्रावधान के साथ 2016—17 के 30 प्रतिशत फसलीकृत क्षेत्र से बढ़ा कर 2017—18 में 40: तथा 2018—19 में 50 प्रतिशत किया गया है।
- सरकार कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) में नई लघु प्रयोगशालायें स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) का शतप्रतिशत आवृत्त किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- रु 20,000 करोड़ का संयोजन दीघ्रकालीन सिंचाई कोष की निर्धारित निधि में किया जाएगा।
- रु 5000 करोड़ की प्रारम्भिक निर्धारित निधि के साथ "प्रति बूंद अधिक फसल" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि नाबार्ड में स्थापित की जाएगी।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई—एनएएम) का कार्यक्षेत्र वर्तमान
 250 से बढ़ाकर 585 कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (एपीएमसी)
 किया जाएगा।
- तीन वर्षों में रु 8000 करोड़ की निर्धारित निधि के साथ नाबार्ड में दुग्ध प्रसंकरण एवं आधारिक संरचना विकास निधि की स्थापना की जायेगी। प्रारम्भ में निधि रु 2000 करोड़ के कार्पस से शुरू होगा।
- नाबार्ड के निगरानी में प्राथिमक कृषि साख सिमितियों का कम्प्यूट्रीकरण किया जाएगा ।

2018—19 के केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:—

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पाद की लागत से कम से कम 50% अधिक
- मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम्स) में परिवर्धित एवं विकसित किया जाना। ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम्स) को इलेक्ट्रानिक पद्धित से ई—एनएएम से जोड़ा जाएगा तथा कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) के नियमों—अधिनियमों से मुक्त रखा जाएगा।
- 22,000 ग्राम्स एवं 585 एपीएमसी में कृषि बाजार आधारभूत संरचना के विकास एवं परिवर्धन के लिये रु 2000 करोड़ के कार्पस के साथ कृषि—बाजार संरचना निधि स्थापित किया जाएगा।
- ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम्स) से किसान के आवास तक जोड़ने वाले सड़को को प्रमुख मार्गो से जोड़ते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज। में सम्मिलित करना।
- कृषि एवं कषक मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण, वाणिज्य तथा
 अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों की भागीदारी में समूह आधारित कृषि
 वस्तुओं एवं क्षेत्रों का विकास।
- बड़े समूह में विशेष रूप से प्रत्येक 1000 हेक्टर वाले कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) तथा ग्रामीण उत्पादक संगठनों (वीपीओ) द्वारा जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- महिला स्वयंसहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका
 मिशन (एनआरएलएम) के अन्तर्गत आनेवाले समूहों में जैविक खेती के लिये प्रोत्साहित किया जाना।
- औषधीय पौधों तथा सम्बन्धित उद्योगों के संगठित उत्पादन का समर्थन। रु 200 करोड़ का प्रावधान।
- सरकार विशेष कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देगी
- "ऑपरेशन फ्लड" की भांति टमाटर, प्याज और आलू के लिये
 "ऑपरेशन ग्रीन" का शुभारम्भ कराना। इससे एफपीओ की कृषि सामग्री व्यवस्था, प्रसंस्करण सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रबन्धन को बढ़ावा मिलेगा।



- कृषि उत्पादों के निर्यात का उदारीकरण, सभी 42 मेगा फूड पाकों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधायें।
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन वाले किसानों को भी किसान केडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा विस्तार।
- रु1290 करोड़ के परिव्यय के साथ पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन का शुभारम्भ।
- दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुये उसमें विशेष समादेश विकास परियोजनाओं सम्मिलित किया जाएगा।
- रु 10,000 करोड़ के कुल कोष साथ मत्स्यपालन एवं एक्वकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट निधि तथा पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट निधि की स्थापना।
- कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त के लक्ष्य को वर्ष 2017—18 के रु 10 लाख करोड़ से बढ़ा कर 2018—19 में 11 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाना।
- रु 100 करोड़ के कारोबार वाले किसान उत्पादक कम्पनियों के अर्जित लाभ पर शत—प्रतिशत कर में छूट।
- वैधानिक नियंत्रित मूल्यों पर यूरिया की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुये मार्च 2018 में भारत सरकार ने यूरिया खाद पर देय अनुदान की अवधि 2020 तक बढ़ा दी है। वर्ष 2018–19 के यूरिया अनुदान का प्राक्कलन रु 45,000 करोड़ (6.95 बिलियन डॉलर) है।
- भारत से कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मालवाहक हवाई जहाज (एयर कार्गो) उपलब्ध कराये जाने की एक योजना पर सरकार कार्य कर रही है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) के कियान्वयन में तेजी लाई जायेगी साथ ही सरकार योजना के अन्तर्गत आवृत्त क्षेत्र को2018–19 में सकल फसली क्षेत्र का 50 प्रतिशत तक बढाये जाने पर लक्ष्यित कर रही हैं।
- भारत सरकार ने डिजिटल टेक्नालॉजी से सहकारिताओं को

मिलने वाले लाभ को सुनिश्चित कराने के लिये प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूट्रीकरण के लिये रु 2000 करोड़ (306.29 मिलियन डॉलर) प्रदान कराने जा रही है।

- 2015—17 के दौरान पूरे देश में लगभग 100 मिलियन मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स (एसएचसी) वितरित किये गये तथा किसानों की मदद के लिये मृदा स्वास्थ्य ऐप का भी शुभारम्भ किया गया है।
- अनुभवी संरक्षण में शुभारम्भ के साथ सम्भाव्य निवेशक से जुड़ने में सक्षम बनाने हेतु कृषि में नवोत्थान तथा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार एक नया कार्यक्रम 'एग्री—उडान' प्रारम्भ कर रही हैं।
- सिंचाई के साधनों के विकास को ध्यान में रख कर सूखे की स्थिति से स्थाई रूप से निदान पाने के लिये रु 50,000 करोड़ (7.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) के निवेश के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) का शुभारम्भ किया हैं।
- सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता वर्तमान कृषि उत्पाद के 10 प्रतिशत से बढ़ा कर उसे तिगुना करना चाहती है एवं एग्रो मेरीन फूड प्रासेसिंग एण्ड डेवलेपमेण्ट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स (सम्पदा) के हिस्से के रूप में देश में मेगा फूड पार्क के लियें रु 6000 करोड़ (936.38 बिलियन डॉलर) के निवेश के लिये प्रतिबद्ध है।
- भारत सरकार ने खाद्य उत्पादों के विपणन तथा ई कामर्स खाद्य उत्पादों के स्वतः अनुमादित मार्गों पर शत—प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमित प्रदान की है।



III. ग्रामीण साख परिदृश्य

पिछले एक दशक कें दौरान योजना लक्ष्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में ऋण के वास्तविक के प्रवाह (अर्थात 2005—06 से 2017—18 तथा 2018—19 के लक्ष्य) वृद्धि दर तथा उपलब्धि के प्रतिशत के साथ नीचे तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06	1,41,500 (34.76%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (23.67%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (20.76%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.94%)
2010-11	3,75,000 (15.38%)	4,68,291 (21.79%)
2011-12	4,75,000 (26.66%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.31%)
2014-15	8,00,000(14.28%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	8,80,000 (15.68%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	9,59,825 (9.07%)*
2017-18	10,00,000 (11.11%)	10,46,000 (4.6%)
2018-19	11,00,000 (10%)	

टिप्पणी— कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े, गत वर्ष की तुलना में हुये प्रतिशत परिवर्तन इंगित करते है।

स्त्रोतः भारत सरकार का बजट डाक्यूमेण्ट एण्ड इकॉनामिक सर्वे (2005–06 से 2016–17 तक) तथा नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट' आंकड़े–17 एग्रीकल्चर क्रेडिट पीपी.157 (इकनामिक सर्वे) 2016–17 भारत सरकार।

कृषि साख तक पहुंच नियमानुसार कृषि भूमि के स्वामित्व से जुड़ी है। परिणामस्वरूप लघु एवं सीमान्त कृषक जो कुल कृषि भूमि के आधे से अधिक भूमि पर कार्य करते हैं, नियमानुसार कृषि जोत का स्वामित्व न रखने के कारण संस्थागत ऋणं को पाने में असमर्थ हैं। किसानों को अल्पकाल के लिए जैसे कि निवेश वस्तुओं के कार्य, निराई, कटाई, छटाई तथा ढुलाई के लिए अथवा दीर्घ काल के लिये—जैसे कि कृषि यंत्रीकरण तथा संयंत्र में निवेश, अथवा सिंचाई, छटाई तथा ढुलाई के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है। भारतीय कृषि मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है — 60% क्षेत्र वर्षा सिंचित है—तीन 'म'—मानसून, मुद्रा और मार्केट निर्णायक हैं। लघु एवं सीमान्त कृषकों को लगभग 50% — इसमें सामान्य एवं असामान्य दोनों ही वित्त

सम्मिलित है, वित्त पा पाते हैं— (जिसमें 30 प्रतिशत औपचारिक और 20 प्रतिशत अनौपचारिक)। वित्त का अनौपचारिक स्त्रोत का ऋण आमतौर पर ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता हैं तथा उसका समुचित अभिलेखेकरण नहीं किया जाता। कृषि साख के अन्य प्रमुख स्त्रोतों में दुकानदारं, सगे—सम्बन्धीं और मित्रं तथा सहकारी समितियां सम्मिलित हैं। 85 प्रतिशत कृषि जोत के आकार के संदभ्र में 112.5 करोड़ कृषि जोत लघु एवं सीमान्त कृषक भूमि की श्रेणी में आती हैं।

 कृषक परिवारों के व्यय कृषक परिवारों की आय की अपेक्षा कम होने के कारण अधिकांश सीमान्त एवं लघु कृषक—निरन्तर आर्थिक हानि / कुपोषण / बीमारी / मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं।



 अधिकांश कृषक दूसरे व्यवसाय में जाने के लिये लालियत हैं लेकिन दूसरी जगह अवसरों की कमी के कारण उन्हें खेती में रहना पड़ रहा है।

पिछले कुछ दशकों में, देश में अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की प्रवृत्ति विपरीत हो गई है। 1990—91 और उसके बाद के वर्षों में दीर्घकालीन ऋणों का अंश निरन्तर घट रहा है, इसका तात्पर्य है कि किसान दीर्घ कालीन निवेशों के लिये ऋण के स्थान पर आवर्ती व्ययों के लिए ऋण ले रहे हैं। यद्यपि भारत सरकार के दबाव के कारण उत्पादन ऋणों में सार दर साल वृद्धि हो रही है, फिर भी इससे कृषि—पूंजी निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। उत्पादन ऋण से केवल आमलोगों की खाद्य सुरक्षा ही सुनिश्चित हुई हैं। केवल दीर्घकालीन ऋण निवेश का प्रवाह से ही कृषि में पुँजी निर्माण सुनिश्चित है।

ऐसा अनुमान है किकुल कृषि ऋण में 75 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों को योंगदान तथा शेष 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का योगदान कमशः सहकतिाओं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि ऋण के लिये प्रतिवेदित वृद्धि द्वोत्र में शायद ही परिलक्षित हुई है। भारत के लगभग 1540 मिलियन कृषक परिवार औपचारिक ऋण व्यवस्था से बहिष्कृत हैं। साधारण किसान अभी भी बैंकिंग प्रणाली से ऋण पाने में कठिनाई अनुभव करता है।

कृषि ऋण के आंकड़ों में वाणिज्यिक बैंकों के वर्चस्व के बावजूद 60 प्रतिशत ऋण लेने वाले किसानों का ऋण का स्त्रोत अभी भी सहकारी बैंक ही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने ऋण खातों में अपने योगदान से कुल कृषि ऋण का 10 प्रतिशत तथा लगभग कुल ऋण लाभार्थियों का 20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की है। वास्तविकता यह है कि 80 प्रतिशत कृषक परिवारों का कृषि ऋण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों दोनों से एक साथ आच्छादित किए जाने के उपरान्त मात्र 20 प्रतिशत किसानों का कृषि ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जा पाना सम्भव है। वास्तविक तौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋण प्रतिवेदित ऋणों से काफी कम होने चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जा रही कृषि ऋण की अति—गणना से ग्रामीण ऋण व्यवस्था में सरकारी नीतियां दूषित हुई हैं और सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में इस क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में सहकारिताओं के योगदन को काफी मात्रा में कम

किया है।

कृषि उपज (औसत प्रति हेक्टर की दृष्टि से), अधिकांश फसलों के मामलों में, चीन, ब्राज़ील, तथा संयुक्तराज्य अमेरिका जैसे शीर्ष उत्पादक देशों की तुलना में, काफी कम हैं। कृषि जोतों के घटते आकार, अपर्याप्त सिंचाई के साधनों के कारण निरन्तर मानसून पर निर्भरता, देश के विभिन्न भागों में मिट्टी के पोषक तत्वों के असन्तुलित उपयोग के कारण कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता में आई कमी, देश के विभिन्न भागों में आधुनिक तकनीक की असंगत उपलब्धता औपचारिक कृषि ऋण के अभाव, सरकारी एजेन्सियों द्वारा अनाज की सीमित सरकारी खरीद तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिला पाने में असफलता, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित हैं।

विभक्त कृषि जोतों की बड़ी संख्या तथा कृषि श्रम शक्ति का रोजगार के अवसरों की तलाश में शहर की ओर पलायन तथा व्यवसाय के रूप में कृषि का अलाभकारी होना, संस्थागत वित्त के दीर्घ कालीन निवेश के सुगम प्रवाह के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा रहा। इसने कृषि में पूंजी विनिर्माण में घटती प्रवृत्ति में योगदान किया।

कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की लाभप्रदता से कृषि में निजी निवेश पर प्रभाव पड़ता है तथा विभिन्न फसलों की सापेक्षिक लाभप्रदता भूमि तथा अन्य संसाधनों के अन्तर फसल प्रावधान को निर्धारित करती हैं। कृषि में सुस्ती का प्रमुख कारण निजी निवेश तथा कृषि में उत्पादक सामग्री के उपयोग में आई कमी थी, जिससे अधिकांश फसलों की लाभप्रदता में हुई गिरावट से जुड़ी है। सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश के साथ उत्पादक सामग्री के उपयोग के मध्य सम्पूरकता से कृषि क्षेत्र में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया। बढ़ते विखण्डन के साथ अधिकांश राज्यों में सीमान्तीकृत होती कृषि जोतें मिलकर उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि विकास में तेजी के लिये एक चुनौती हैं। लघु कृषकों की संवहनीयता और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना तथा उनकी उत्पादन एवं विपणन में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना बेहतर तकनीक, आदानों, ऋण तथा विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराया जाना उच्च एवं समावेशी कृषि विकास के लिये महत्वपूर्ण है। कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के रोजगारों के मध्य बढ़ते भेदभाव से व्यवधान उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों को रोकने के लिये अकृषि क्षेत्र में लाभकारी कार्य अवसरों के सृजन के द्वारा कार्य-शक्ति के एक



बड़े भाग को कृषि से स्थानान्तरित किये जाने की भी आवश्यकता है। भूमि सुधार, ग्रामीण साख में बढ़ोत्तरी तथा अधिक सार्वजनिक निवेश जैसे नीतिगत उपाय कम विकसित क्षेत्रों में किये जाना महत्वपूर्ण है। कृषि ऋण में दूसरा प्रमुख मुद्दा 90 के दशक से कुल ऋण प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में आई भारी कमी हैं। इसने कृषि में पूंजी निर्माण की गति को बड़ी मात्रा में धीमा कर दिया है। सार्वजनिक निवेश का हिस्सा मात्र 25 प्रतिशत होने के कारण, इस क्षेत्र में बहुत बड़े भाग का निवेश अधिकांशतः बैंक द्वारा दिये गये ऋण के माध्यम से निजी उपक्रम से किया जाता है। कृषि में सकल पूंजी निर्माण की औसत दर अंतिम पांच वर्षों में 15 प्रतिशत आई जो मुद्रास्फीति से समायोजन किये जाने के उपरान्त गिरकर उसके आधे स्तर पर पहुंच जाती है। सही अर्थों में कृषि में पूजी निर्माण जीर्ण हुई परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन आवश्यकताओं को भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती है, जिससे शुद्ध पूंजी निर्माण नकारात्मक रहता है। नकारात्मक शुद्ध पूंजी निर्माण को रोकने के लिये सकल पूंजी निर्माण को अतिरिक्त 10: बढाया जाना चाहिए। 50 प्रतिशत आबादी जो जीवनयापन के लिये अभी भी कृषि पर निर्भर है, के साथ यह क्षेत्र अर्थ व्यवस्था पर इसके गुणक प्रभाव के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता रहा है।

कृषि क्षेत्र की सबसे प्रमुख आवश्यकता किसानों को दीर्घ कालीन निवेश सृजित करने के लिये प्रोत्साहित करने की है। न केवल बढ़े हुये ऋण प्रवाह और आधारभूत ढांचागत निवेश के माध्यम से वरन कृषि बाजार और कृषि प्रसंस्करण में निवेश में वृद्धि के द्वारा भी जनता के सहयोग की अनिवार्य रूप से आवश्यकता हैं। पूरे देश / क्षेत्र में कृषि—जलवायु रिथति तथा कृषि विकास के स्तर तथा उनके द्वारा की जा रही फसल और सम्बद्ध कियाकलापों के अनुसार निवेश की आवश्यकताओं में अंतर हो सकता है।

राजस्व अवरोधों की सम्भावना पर ध्यान रखते हुए, कृषि में निवेश नीति उच्च भुगतान के साथ संसाधनों के कुशल एवं न्यायसंगत उपयोग से मार्गदर्शित होनी चाहिए।

- आपूर्ति अनुक्रिया में तेजी लाये जाने तथा आपूर्ति श्रृंखला में भारी बरबादी रोकने की भी आवश्यकता है।
- इसे प्राप्त करने के लिये आपूर्ति श्रृंखला में बड़े निवेश,
 अनुसंधान एवं विकास, प्रचालन—तंत्र प्रसंस्करण तथा संगठित
 खुदरा व्यापार की आवश्यकता है।

- निजी क्षेत्र के निवेश को एक ओर, खुले तथा बहु—लाभप्रद निवेशक नीतियों के माध्यम से तथा दूसरी ओर एफपीओ जिससे दोनों एक दूसरे को कृषि में बड़े निवेश के लिये मजबूती प्रदान कर सकें — के द्वारा—लाभान्वित किया जा सकता है।
- दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, भण्डारण तथा विपणन, संविदा खेती आदि में अधिक निवेश ऋण प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना, जो किसानों को रोजगार के अवसर और अतिरिक्त आय के स्त्रोत सृजित करें।

ऋण व्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में एक सक्षम और आवश्यक निवेश है। अध्ययनों से पता चलता है कि संस्थागत स्त्रोंतो, यथा-वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा सहकारिताएं उर्वरकों, बीज, तथा अन्य आदानों के लिये सुगम्य एवं व्यवहार्यता प्रदान कराती हैं तथा पूजी निर्माण के साथ अत्यधिक सहसम्बन्धित भी हैं। मांग पक्ष से देखने पर ज्ञात होता है कि भारत में लगभग 86 कृषि निवेश संस्थागत और गैर संस्थागत स्त्रोंतों के उधारित धन से किया जाता है। मौजूदा संस्थागत वित्त तंत्र कुल उत्पादन ऋण आवश्यकता का 65 प्रतिशत पूरा करता है और शेष भाग निवेश ऋण से पूरा होता है। सभी बैंकों द्वारा प्रदान कराये जाने वाले अल्पकालीन ऋण केवल फसल के उत्पादन के लिये होते हैं तथा उनकी कृषि निवेश में बहुत ही कम मात्रा होती है। चूंकि संस्थागत साख एजेन्सियों के माध्यम से लिये गये उधार ऋण से किये गये निवेश से किसानों को अपने निवेश का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है इससे कृषि में पूजी निर्माण प्रभावित हुआ है, जिसमें बीते सालो में साथ काफी हद तक वृद्धि होजानी चाहिए थी।

वर्तमान प्राक्कलन से पता चलता है कि दीर्घकालीन साख न केवल नीचे गिरा है वरन यह कुल कृषि ऋण का एक चौथाई से भी कम है। इसलिये नीतिगत जोर पर्याप्त बजटरी समर्थन के साथ बैंकों को प्रोत्साहित करने पर दिया जाना चाहिये। इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को इस क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) पर गुणात्मक प्रभाव के कारण पुर्नजीवित किया जाना आवश्यक है।

भारत में कृषि विकास के लिये निवेश आवश्यकताओं को प्राक्कलन राज्य स्तर परन कर केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही किया गया। योजना आयोग ने अनुमान किया है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में 3.5 से 4.2 की वृद्धि दर के लक्ष्य को पाने के लिये 20.41 प्रतिशत



निवेश दर की आवश्यकता है। यह निवेश दर वृद्धिशील पूंजी अनुपात (आईसीओआर) के 5.32 प्रतिशत पर आधारित है, को सार्वजनिक और निजी (कृषक परिवारों) क्षेत्र से पूरा किया जाना है। 2007–08 से 2011–12 तथा 2012–13 से 2013–14 के वृद्धि शील पूंजी अनुपात (आईसीओआर) के औसत पर आधारित तथा 9.23 प्रतिशत वास्तविक कृषि आय में वार्षिक वृद्धि पर लक्ष्यित पर निजी खातों में निवेश के लिये अपेक्षित दर 6.62 प्रतिशत है। (कृषि क्षेत्र के लिये) सार्वजनिक निवेश के परिप्रेक्ष्य में निवेश लक्ष्यित दर 6.92 प्रतिशत प्रति वर्ष आंकलित की गई है। पूर्ण शब्दों में, ऊंची कृषि आय सृजन के द्वारा किसानों की वास्तविक आमदनी को दुगना करने के लिये भारत में निजी निवेश 2004–05 के मूल्य पर 2015–16 में 296 बिलियन (29,559 करोड़) से 2022–23 में बढ़ते हुये 463 बिलियन (46,299 करोड़) पहुंच जाना चाहिए।

पूर्व अवधि के लिये किये गये अध्ययनों में भी 2.2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होते कृषि में ऊंचे वृद्धिशील पूंजी अनुपात (आईसीओआर) के बारे में भी बताया है जो यह इंगित करता है कि प्रतिवर्ष उत्पादन में एक रुपये की वृद्धि के लिये 2.2 से 4 तक एकबार निवेश की आवश्यकता है। पूजी की आवश्यकता भी लगभग दोगुनी हो जायेगी यदि आधारभूत संरचना तथा समर्थित निवेशों में सार्वजनिक निवेश को ध्यान में रखा जाता है।विभक्त जोतों की बढी हुई संख्याके साथ ये असम्भाव्य है कि सीमान्त कृषक निवेश ऋण लेना चाहेंगे जबिक ऐसे निवेश में पर्याप्त लाभ सुनिश्चिति नहीं है। इस प्रकार निवेश ऋण पर जोखिम और लाभ का अनुपात काफी अधिक होने के कारण, जहां लाभ की सम्भावना दूर तक न हो ऐसी स्थिति में लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऊंची ब्याजदर पर ऋण लेने में हिचिकचाहट होगी। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है जब तक कि निवेश जोखिम प्रतिफल अनुपात सकारात्मक नहीं होता, किसान अतिरिक्त निवेश के लिये संस्थागत एजेन्सियों से ऋण ले कर कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहेगा।

संस्थागत ऋण वितरण तंत्र के पास दीर्घकालिक स्त्रोत नहीं है। नाबार्ड की पुर्नवित्त सुविधा केवल बैंकों को तरलता समर्थन के माध्यम से ही है। सामान्यतौर पर वाणिज्यिक बैंक अपने निवेश ऋण के समर्थन में पुर्नभुगतान अविध को पूरी तरह से दबा देते हैं जिसके कारण वहं किसानों को बिना किसी आय के ऋण अदायगी के लिये बाध्य करते हैं। तथापि उन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये अनौपचारिक स्त्रोतों से सम्पर्क करने के लिये बाध्य होना पड़ता है जिनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास निवेश ऋण में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिये पर्याप्त दीर्घकालीन संसाधन नहीं हैं। कभी नाबार्ड के सहयोग से और कभी नाबार्ड के पुनिवित्त के सहयोग के बिना, कृषि एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) अपने सदस्यों की निवेश ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक मात्र स्त्रोत है।

यदि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) के द्वारा निवेश ऋण के मात्रा में वृद्धि की जानी है तो उन्हें नाबार्ड से अथवा अन्य किसी उच्च वित्तीय एजेन्सी द्वारा उदारीकृत वित्त पोषण किया जाना चाहिये क्योंकि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) नीति निर्धारकों द्वारा दीर्घकालीन निवेश ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिये सृजित एक मात्र स्त्रोत है। अतः यह नाबार्ड को , जिसे कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) के उदारता के साथ समर्थन की सिक्य भूमिका निर्वहन करनी चाहिये, के पुर्नवित्त नीति के पुनरावलोकन के लिये अपील करता है। वास्तव में, प्रारम्भ से ही नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) से अपने पूर्नवित्त की अदायगी कराता आ रहा है जब कि वे ऋणी सदस्यों से अपना ऋण वसूल कर पाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। नाबार्ड की इस नीति का पुनरावलोकन किये जाने की आवश्यकता है तथा इसे कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) के द्वारा अपनी पुर्नवित्त किश्तों के बाद में अंतिम पूर्नभुगतान नीति को अपनाना चाहिये। इस प्रकार के दृष्टिकोण से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को अनेक सामाजिक और राजनैतिक कारणों से उत्पन्न प्रतिकूल वसूली वातावरण का सामना करने के लिये पर्याप्त अनुग्रह मिल सकेगा तथा नाबार्ड भी जोखिम उठाने में सहभागी हो सकेगा।

यदि देश कृषि उपज के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, इसे बड़े पैमाने पर उपज उपरान्त प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों को आरम्भ करने के लिये, कृषि मे परिसम्पत्तियों के सृजन तथा पूंजी निर्माण के लियें (सार्वजनिक और निजी दोनों ही में) भारी निवेश करने की आवश्यकताहै। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) अपने साख संविभाग के विस्तार में, उन किसानों के लिये जो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को करना चाहते हैं, निवेश ऋण को उदारतापूर्वक प्रोत्साहित कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को इस दिशा में



सार्थक भूमिका निर्वहन के योग्य बनाने के लिये, नाबार्ड को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) के प्रति उदार पुनिवत्त अवलम्ब दिये जाने की आवश्यकता है जिससे कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकें (एआरडीबीएस) ग्रामीण विकास में सिक्य भागीदार बने रह सकें। सर्व प्रथम, सरकार दीर्घकालीन साख संरचना की सशक्त भूमिका की उपेक्षा करती आरही है,जो किसानों के लिए निवेश ऋण का एकमात्र विशेषीकृत अभिकरण है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की पुर्नरचना में अत्यधिक विलम्ब किया गया है जिससे किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने की इसकी सामर्थ्य प्रभावित हुई है। भारत सरकार को दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए वैद्दनाथन टास्क फोर्स -॥ द्वारा संस्तुत पुनरुद्धार पैकेज को बिना किसी देरी के कार्यान्वित कर देना चाहिए। किसानों द्वारा दी जा रही निवेश ऋण पर ऊंची ब्याज दर दूसरा प्रमुख मुद्दा है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने फसली ऋण की ब्याज दर को वहननीय दर पर बनाये रखने हेतु कदम उठाये हैं। फसली ऋण पर अधिकतम अ प्रतिशत ब्याज में छूट के बाद फसली ऋण पर अधिकतम ब्याज 4 प्रतिशत वार्षिक है। राज्य सरकारों द्वारा इसके अतिरिक्त छूट दिये जाने के बाद कुछ राज्यों में फसली ऋण अब शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध है। फिर भी इन उपायों में कोई भी उपाय कृषि साख को कम करने हेतु कृषि निवेश के लिये दिये जा रहे ऋणों के लिये नहीं किए गये हैं। नाबार्ड का निवेश ऋण हेतु बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग लगभग 8.50 प्रतिशत वार्षिक पर है जो आधारभूत ऋण लाभार्थी स्तर तक लागत ऋण 12—14 प्रतिशत वार्षिक की सीमा पर पहुँच जाता है। फसली ऋण और निवेश ऋण में भारी अंतर कृषि निवेश के लिये प्रमुख निरुत्साहक हो गया है। वाणिज्यिक बैंकों के कृषि ऋणों से हानि से बाहर निकालने के लिए वर्ष 2014—15 के लिए रु 5000 करोड़ जिसे 2015—16 में रु 15,000 करोड़ किया गया है, के आवंटन के साथ सरकार ने नाबार्ड के पास एक दीर्घकालीन साख कोश की

स्थापना की है। नाबार्ड इस निधि का उपयोग अधिकतम 5 वर्ष के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर निवेश ऋण पुर्नवित्त देने के लिए कर रहा है। यद्यपि एससीएआरडी बैंकों को उनके अधिकांश ऋण 5 वर्ष से अधिक के होने के कारण एलटीआरसीएफ का एक छोटा हिस्सा ही मिला।

विशेष रूप से वर्षा पोषित स्थितियों के अन्तर्गत, जिसमें कुल कृषि क्षेत्र का 63 प्रतिशत आता है, में कृषि वित्त पोषण बहुत जोखिमपूर्ण है। वर्तमान में कृषि वित्त पोषण में पूरी जोखिम वित्त पोषित करने वाली संस्थाओं द्वारा वहन की जाती है परिणाम स्वरूप उनकी गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का स्तर बहुत अधिक होता है। एआरडी बैंकों सहित सहकारी साख संरचना की अधिकांश संस्थाओं के लिए जो मुख्य रूप से सीमान्त एवं लघु कृषकों का पोषण करती हैं,उनकी गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बहुत ही असंतोषजनक है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी योजनाओं का कियान्वयन ने ऋण वसूली के वातावरण को दूषित किये हुए हैं। कृषि बीमा हेतु सरकार का किसानों को सहयोग फसलों के अतिरिक्त कृषि सम्पत्ति का बीमा करने के लिये बीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी कार्यवाहियों से बचना चाहिए जिससे वसूली का वातावरण दूषित होता है और एआरडीबैकों की वसूली प्रक्रिया में हस्तक्षेप से रोकना चाहिये।

संस्थागत ऋण का अधिकांश भाग भारत के दक्षिण और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ विकसित राज्यों को जाता है। परिणामस्वरूप पूर्वी और उत्तर—पूर्वी राज्यों जिनमें कृषि विकास की बहुत क्षमतायें हैं, पर्याप्त ऋण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण समुदाय के मध्य साख व्यवस्था के विषम वितरण पर घ्यान देना ग्रामीण वित्त पोषण व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।



IV. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना - विहंगावलोकन

भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई—अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक । दीर्घ कालिक साख संरचना का आरम्भ 1920 के प्रारम्भिक काल में किसानों को उनके पुराने ऋणों से मुक्त कराने हेतु दीर्घ कालीन ऋण प्रदान कराने हेतु भूमि बंधक बैंक की स्थापना के साथ हुआ। पहला भूमि बंधक बैंक 1920 में पंजाब में स्थापित हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में इस प्रकार के बैंक दूसरे प्रान्तों में स्थापित किये गये। मद्रास में ऋण पत्र निर्गमन को केन्दीकृत करने तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंक स्थापित किया गया। बम्बई बैंकिंग जांच समिति, 1930 (बॉम्बे बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी 1930) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने के संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुये दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि बंधक बैंक की संरचना का सुझाव दिया।

1930 से 40 के दशक में पूरे देश में भूमि बंधक बैंको की तीव्र वृद्धि हुई जिनके कार्य व आकार की कोई समान संरचना नहीं थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्यस्तरीय शीर्ष निकाय के साथ भूमि बंधक बैंको के पुर्नगठन तथा तालुका स्तर के प्राथमिक भूमि बंधक बैंको को इससे सम्बद्ध किये जाने का सुझाव दिया। समिति ने भूमि बंधक बैंको की कृषि के लिये निवेश साख में किया कलापों को विविधीकृत करते हुये विकासात्मक भूमिका के लिये भी निर्दिष्ट किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लगभग सभी राज्यों में स्थापित किये जा चुके थे जिन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से जाना गया तथा 80 के दशक के आगे ग्रामीण अकृषि क्षेत्र में विविधीकरण कर इन्हें ही पुनः राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का नाम दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। एआरडी बैंकों ने 60 एवं 70 के दशक में कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि कर विशेष रूप से लघु सिंचाई संसाधनों एवं कृषि यंत्रीकरण की सुविधायें प्रदान कर एक सराहनीय योगदान दिया। 80 तथा 90 के दशक में कृषि कार्य में पूंजी निर्माण के साथ ग्रामीण अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में बड़ी मात्रा में वित्त पोषण का कार्य इन बैंकों द्वारा आरम्भ किये जाने से ग्रामीण परिवारों को,अतिरिक्त रोजगार के अवसरों दिये जाने के अलावा अपनी उपज के बेहतर मूल्य वृद्धि के माध्यम से अपनी आय वृद्धि का सुदृढ़ आधार मिला। यहां इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि 1980—1990 तक केवल एआरडी बैंक ही प्रभावीरूप से एकमात्र बैंक थे जो कृषि के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराने में प्रवृत्त थे। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका कार्पोरेट क्षेत्र में वृक्षारोपण, व्यावसायिक मुर्गी पालन तथा डेयरी इकाइयों को मुख्यरूप से वित्तपोषण तक ही सीमित थी।

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में या तो निचले स्तर पर अपनी शाखाओं अथवा राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था से सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से संचालित 16 राज्यों के एससीएआरडी बैंक सम्मिलित हैं। एक समन्वित संरचना बनाने हेतु 1995 में आंध्र प्रदेश एससीएआरडी बैंक का विलय आंध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक से कर दिया गया। अक्टूबर 2014 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का भी विलय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के साथ कर दिया गया।1960 के बाद बने राज्यों में अधिकतर राज्यों में दीर्घ कालीन साख के लिए पृथक संरचना के अभाव में ,राज्य सहकारी बैंक ही कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवेश साख से सम्बन्धित किया कलापों का भी संचालन करते हैं।

वर्तमान में संरचना में 16 एससीएआरडी बैंक हैं जिनमें बुनियादी स्तर पर एससीएआरडी बैंकों की 1754 पीसीएआरडी बैंक / शाखाओं के नेटवर्क के साथ 13 पूर्णतः कार्यात्मक हैं। इन बैंकों की कुल सदस्य संख्या 1,01,77.590 ग्रामीण परिवार जिनमें 54,26,081 बकायेदार हैं। 31.03.2018 को पूरी तरह कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों का कुल



ऋण अवशेष तथा अदत्त बकाया क्रमशः रु. 20551.34 करोड़ तथा रु 14,996.23 करोड़ था। पूर्णतः कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों के पास 31.03.2017 को रु 2244.19 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2018 तक इन बैंकों की कुल जमा राशि रु 2128.17 करोड़ थी जब कि इनकी कुल वितरित ऋण राशि गत वर्ष के रु 4641.61 करोड़ के सापेक्ष रु 4363. 92 करोड़ थी। इन बैंकों की कुल वसूली गत वर्ष के 56.23% की तुलना में 38.44 % (जून 2017 तक) रही।

31 मार्च 2018 को दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की वृद्धि (₹ लाख में)

कृम	विवरण	वर्ष के	दौरान
संख्या		2016-17	2017-18
1.	एससीएआरडी बैंकों की संख्या		
	i पूर्णतया कार्यात्मक	13	13
	ii अन्य	3	3
2.	आउटलेट का नेटवर्क		
	i एससीएआरडी बैंकों की शाखाएं	672	679
	ii पीसीएआरडी बैंक एवं इसकी शाखाएं	1065	1,075
	योग	1,737	1,754
3.	व्यक्तियों की सदस्यता		
	i ऋणी सदस्य	55,13,524	54,26,081
	ii गैर—ऋणी सदस्य	47,56,731	47,71,509
	योग	1,02,70,255	1,01,77,590
4.	बकाया ऋण	20,21,044,11	20,55,134.33
5.	वितरित ऋण	4,64,161.23	4,36,391.96
6.	अदत्त उधार राशियां	15,42,572.43	14,99,623.04
7.	अदत्तजमा	2,24,419.16	2,12,817.44
8.	ऋण वसूली स्थिति		
	इस तिथि को	30 जून 2016	30 जून 2017
	i मांग	11,60,346.45	12,57,892.51
	ii वसूली	6,52,425.06	4,83,591.77
	iii वसूली %	56.23	38.44
9.	लाभ की धनराशि	8502.51	7,238.72
	लाभ में (संख्या)	8	10
10.	हानि की धनराशि	24,931.92	4,034.57
	हानि में (संख्या)	5	3
11.	कर्मचारियों की स्थिति		
	i एससीएआरडी बैंक स्तर पर	5,039	4,902
	ii पीसीएआरडी बैंक स्तर पर	5,062	4,981
	योग	10,101	9,883



दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) मैं मुद्दे एवं चुनौतियां

एलटीसीसीएस को एक गैर स्त्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया। संरचना में राज्य स्तरीय एवं प्राथमिक स्तरीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की अनुमित प्रदान नहीं की गई है। परिणामस्वरूप इन्हें ऋण वितरण के लिये भारी मात्रा में उधारीकृत निधियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व अपने कार्यों के संचालन हेतु सरकार का कोष इनके वित्त पोषण का प्रंमुख स्त्रोत था। भूमि विकास बैंकों के कार्यो के दीर्घ कालीन संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 1961 में कृषि पुर्नवित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कृषि पूर्नवित्त निगम (एआरसी) को एआरडीसी के रूप में नाम दिया गया। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने तक भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों दीर्घ कालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) के कार्यों के लिये कोष की व्यवस्था करते थे। जुलाई 1982 में कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों को मिलाकर नाबार्ड बनाया गया। तब से इस संरचना के ऋण वितरण कार्य संचालन हेतु नाबार्ड ही कोषों का प्रमुख स्त्रोत है। तथापि, वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुर्नवित्त सहयोग शनै शनै घटता जा रहा है। इससे एससीएआरडी बैंकों का ऋण संचालन गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के एससीएआरडी बैंक जो शासकीय गारण्टी न मिल पाने अथवा आरम्भ किये गये जोखिम मूल्यांकन मानदण्डों पर आधारित पुर्नवित्त के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा कर पाने में असफल रहने के कारण नाबार्ड से पूर्नवित्त प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें संसाधनों के अभाव में ऋण वितरण कार्यों को स्थिगत करना पड़ा था। जोखिम मूल्यांकन मानदण्डों पर आधारित जोखिम लागत निर्धारित किये जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल को छोड़ कर अधिकांश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को 0.25% (गुजरात) से 2% तक की सीमा तक पंगारण्टी शुल्क वहन करना पड़ा था। इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों

(एआरडीबीएस) को उपलब्ध मार्जिन हर साल कम होता जा रहा है और उनकी लाभप्रदता घीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। संसाधन हीन संस्था जो दीर्घकालीन निवेश ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के विशेष उद्देश्य के बनाई गई थी, के साथ नाबार्ड जैसे उच्च वित्तीय अभिकरण द्वारा थोडा अलग ढंग से व्यवहार किया जाने की आवश्यकता है , न कि ग्रामीण वित्त पोषण करने वाली अन्य संस्थाओं, जो कि साधन सम्पन्न है, की तरह व्यवहार करने हेतु विवश करना । यहां यह स्पष्ट करना गलत नहीं होगा कि अन्य सहकारी साख संस्थाओं को पूर्नवित्त सहायता प्रदान कराते समय नाबार्ड शासकीय डिफॉल्ट गारण्टी पर ज़ोर नहीं देता है। चूंकि नाबार्ड अपने दिये जा रहे पुर्नवित्त की सुरक्षा के आधार पर शासकीय डिफाल्ट गारण्टी के लिये, विवश करता है, सम्बन्धित राज्य सरकार को गारण्टी शुल्क का भुगतान तथा जोखिम लागत का भुगतान कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को दिये जा रहे पुर्नवित्त की लागत जुडता है जिसे समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। सराहनीय है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) इन अतिरिक्त प्रभारों को अपने मौलिक ऋण प्राप्तकर्त्ता को हस्तांतरित नहीं कर सकता जबकि उसी क्षेत्र में दूसरी अन्य ग्रामीण वित्त पोषण करने वाली संस्थायें अपेक्षाकृत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में गारण्टी मिलने में अत्यधिक विलम्ब होता है जिसके परिणामस्वरूप उन संस्थाओं को पूर्ण पुर्नवित्त की सुविधा नहीं मिल पाती है। इससे बचने के लिये, नाबार्ड पात्र कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) को डिफॉल्ट गारण्टी प्रस्तुत करने के लिये ज़ोर दिये बिना स्वीकृत पुर्नवित्त सीमा की कुछ प्रतिशतता निर्गमित करने पर विचार कर सकता है। विकल्पतः प्रारम्भिक तौर पर, उन कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को जो नाबार्ड के पुर्नवित्त पाने की नियम और शर्तें पूरी करते हैं और जिन्होंने नाबार्ड के पुर्नभुगतान की वचन बद्धता में कभी चूक नहीं की है, के साथ एक निश्चित सीमा तक बिना शासकीय गारण्टी पर ज़ोर दियें एलटीआरसीएफ (दीघ्रकालीन ग्रामीण ऋण कोश) मे से पुर्नवित्त आवंटन में मुक्तता, नाबार्ड द्वारा प्रदान कराये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कमजोर संसाधन वाली संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से उनकी कोश की लागत को कम करते हुये उन्हें सक्षम बनाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश ऋण के सुगम प्रवाह को बनाये रखने के लिये सहानुभूतिपुर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है।



दीर्घकालिक ऋणी सदस्यों की अल्पकालिक उत्पादन/कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम होना, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको (एआरडीबीएस) की कार्यप्रणाली की प्रमुख कमी रही है। अधिनियम में, सामान्यरूप से निहित प्रतिबन्धों के कारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकं (एआरडीबीएस) अल्पकालीन उद्देश्यों के लिये ऋणों को विविधीकृत करपाने में अभी तक असमर्थ थे। हाल के वर्षों में, अधिकांश राज्यों में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) अपने सदस्यों के (सावधि) जमा के रूप में जुटाये गये कोश के माध्यम से तथा एनसीडीसी व बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त ऋण अपने दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तथापि, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकं (एआरडीबीएस) अभी भी 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर फसली ऋण दे पाने में असमर्थ हैं क्योंकि भारत सरकार की फसली ऋण अनुदान योजना को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकं (एआरडीबीएस) पर लागू नहीं किया गया हैं। भारी बकाया तथा शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं में हानि, लेन-देन और जोखिम लागत में पर्याप्त मार्जिन की अनुमति दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की लम्बी अवधि तथा योजना के अन्तर्गत खारिज किये गये ऋणों की प्रतिपूर्ति किये बिना 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के कियान्वयन के कारण 90 के दशक से संरचना – संस्थानों के वित्तीय निष्पादन में गिरावट आना शुरू हो गई। वस्तुतः इन कारणों से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को भी भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। जबकि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं की हानियां सरकार की अनेक पूर्ननिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरित कर दी गईं, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकं (एआरडीबीएस) की हानियों की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। यद्यपि दीर्घकालिक ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिये प्रोफेसर वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल-2 ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2006 में एआरडीबीएस को एकबार सहायता के लिये पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश की जो अभी तक क्रियान्वित हो सका है ।

पुनरुद्धार पैकेज के कियान्वयन में अनुचित विलम्ब ने अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की इस संरचना की क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन असफलताओं के बावजूद यह संरचना अभी भी प्रांसंगिक है जिसे कृषि ऋण के कुल प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में आई तीव्र गिरावट को रोकने के लिए सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है। संरचना के पुनरुद्धार में एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में कृषि में प्रभावी ढंग से पूंजी निर्माण पर केन्द्रित वित्तीय सेवायें प्रदान करने वाले आत्म निर्भर सदस्य संचालित संस्थान में रूपान्तरण किया जाना है।

वसूली की बिगड़ती स्थितियां एआरडीबैंकों का दूसरी प्रमुख समस्या है। बुनियादी स्तर पर कुल औसत ऋण वसूली कुछ वर्षों से 50 प्रतिशत के आस-पास ही बनी हुई है। यद्यपि भूमि बंधक किए जाने से ऋण सुरक्षित हैं किन्तु कुछ राज्यों में कृषि भूमि के विक्री के द्वारा वसूली करना कठिन है। संरचना की निवेश ऋण के साथ उत्पादन ऋण / कार्यशील पूंजी ऋण दे पाने में समर्थता के परिणामस्वरूप उन ऋण लाभार्थियों को जो दूसरी अन्य संस्थाओं से अल्पकालीन ऋण नहीं ले पाते हैं, को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त जिन एआरडी बैंकों में अल्पकालीन ऋण और बचत खाता स्विधायें प्रारम्भ नहीं की हैं, अपने ऋण लाभार्थियों से नियमित सम्पर्क बना पाने में असमर्थ हैं जो ऊंची दरों की ऋण वसूली के लिए आवश्यक है। मार्च 2017 में 4 राज्यों के सम्पन्न विधान सभा चुनावों से पूर्व प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा ऋण माफी की घोषणा तथा चुनाव के तुरन्त बाद सभी फसली ऋणों की उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सरकारों द्वारा माफ कर दिये जाने से पूरे देश में कृषि ऋणों की वसूली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यद्यपि ऋण माफी एक बार के उपाय के रूप में किया जाने से भविष्य में आगे ऋण माफ हो जाने की उम्मीद को बढ़ाती है किन्तु इससे कृषि ऋण व्यवस्था, जो संसाधनों के पुनावर्तन के बिना कार्य नहीं कर सकती है, पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है।



V. 2017 & 18 के दौरान फेडरेशन

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 1960 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन लि (एनसीएआरडीबीएफ) की स्थापना रही है। अपने स्थापना काल से ही फेडरेशन इस क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसने एक प्रभावी समन्वय स्थापित किया है तथा सदस्य बैंक के मध्य आपसी समझ को बढाया है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों,नाबार्ड तथा एससीएआरडी बैंकों को वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं से निकट सम्बन्ध विकसित किये हैं।

फेडरेशन की अन्य गतिविधियों में — संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन,अनुसंधान अध्ययन कराना तथा अपने नियोजन अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ के माध्यम से योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण, सदस्य बैंकों के किया कलापों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, अध्ययन दलों का प्रायोजन, ऋण पत्रों के निवेश में सहसमन्वय स्थापित करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रचार कार्य, संचालन एवं प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन एवं सलाह देना। विगत 55 वर्षों से फेडरेशन द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे त्रैमासिक लैण्ड बैंक जरनल ने विशेष ख्याति अर्जित की है। फेडरेशन अपने सदस्य बैंकों को नये उत्पादों अभिकल्पना के द्वारा व्यवसाय विकास और विस्तार में भी सहायता प्रदान करता है।

पुर्नपूंजी करण एवं सुधार, स्व—प्रेरित सुधारों की पहल के लिए एससीएआरडी बैंकों का मार्गदर्शन तथा संसाधनो के संग्रहण के लिये में सदस्य बैंकों का मार्गदर्शन एवं सहयोग, वसूली एवं अनर्जक परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्यवसाय संवर्धन एवं विविधीकरण सिहत पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के लिए सरकार से पैरवी, फेडरेशन की गतिविधयों के महत्ववाले क्षेत्र वर्ष के दौरान भी बने रहे।

पैरवी करना

एआरडी बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

कुछ वर्षों से पुनरुद्धार पैकेज की निरन्तर मांग करते रहना फेडरेशन का केन्द्र सरकार से पैरवी का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की संस्तुति वैद्यनाथन टास्क फोर्स द्वारा 2006 में की गई थी तथा भारत सरकार ने अपने 2008–09 के बजट में इसके कियान्वयन की घोषणा की थी।

तदनन्तर केन्द्रीय बजट 2009 द्वारा पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन भी कर दिया गया था जो उस समय ही कदाचित 2009 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के परिचालित नहीं किया जा सका था जो उसके तुरन्त बाद अधिसूचित हुआ। चुनाव के बाद वित्त मंत्रालय ने ऋण माफी योजना के कियान्वयन तथा 2008 की ऋण माफी योजना के परिप्रेक्ष्य मे पुनरुद्धार योजना की समीक्षा करने हेत् तत्कालीन अपर सचिव (वित्त) श्री चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया। चतुर्वेदी कमेटी ने दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार योजना के कियान्वयन की संस्तुति कुछ मामूली संशोधनों के साथ अपनी आख्या फरवरी 2010 को सौंपी।तथापि, उसके बाद से उसके कियान्वयन हेतू अभी तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। फेडरेशन समय समय पर इस मामले को सरकार में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री सहित अनेक अधिकारियों के समक्ष भी उठाता रहा है। इस विषय पर फेडरेशन ने माननीय सांसदों की एक बैठक भी आयोजित की। फेडरेशन ने इस वर्ष के केन्द्रीय बजट के अवसर पर कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने तथा सदस्य किसानों द्वारा ऋण के संकट का सामना करने के लिए दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की संस्थाओं के पुनरुद्धार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इस मामले में एक नया ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को दिया है।

पैकेज के कियान्वयन में विलम्ब ने एआरडी बैंकों की वित्तीय कमजोरियों को और अधिक विकृत कर दिया है तथा उनकी लगभग 98 लाख कृषक सदस्यों (31.03.2015 को एआरडी बैंकों के सदस्यों के बकाया ऋण) जो कुल मिलाकर किसी दूसरी संस्था से ऋण प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी कृषि योग्य भूमि एआरडी बैंकों के पास पहले सें ही बन्धक है, की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भारी मात्रा में कम कर दिया है। उनके द्वारा सामना किए जा रहे ऋण के संकट के निवारण का एकमात्र उपाय प्रस्तावित



पुनरुद्धार पैकेज का कियान्वयन है। यदि पुनरुद्धार किया गया तो वर्तमान में प्रमुख राज्यों में कार्यरत 2600 बैंक शाखाओं के नेटवर्क की वर्तमान ऋण वितरण क्षमता जो लगभग 5000 करोड़ है, को इतने कम समय में भी कम से कम 5 गुना बढ़ाया जा सकता है।

फेडरेशन से एक प्रतिनिधि मण्डल ने पैकेज के अविलम्ब कियान्वयन की आवश्यकता के बारे में अवगत कराने हेतु एकबार पुनः माननीय वित्तमंत्री श्री अरुण जैतली से भेंट की। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय कृषि राज्य मंत्री, कृषक कल्याण एवं पंचायतीराज को इस विषय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों बारे में बताया गया इसपर उन्होंनें इस मुद्दे का समाधान कराने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार निरन्तर प्रतिनिधत्व एवं प्रतिनिधायन से पुनरुद्धार पैकेज के प्रस्ताव को जीवन्त बनाये रखा गया है और फेडरेशन को राजनैतिक स्तर पर इसके अनुकूल निर्णय की आशा है।

एआरडी बैंकों का बैंको के रूप में पूनर्गठन

आरबीआई ने 2002 में एआरडीबैंकों को बैंक के रूप में कार्य करने, जो यद्यपि एआरडीबैंक को आरबीआई के निर्धारित नीतियों के अनुरूप उस समय पूर्णकालिक बैंक में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं था, लाइसेन्स देने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया। तथापि, आरबीआई ने हाल ही में निजी क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण आपूर्ति के लिए,कृषि तथा देश के बैंक रहित अथवा न्यूनतम बैक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाए देने वाले छोटे वित्त बैंक स्थापित करने हेतू दिशानिर्देश जारी किए हैं। यद्यपि बैंकिंगरहित वित्तीय कम्पनियों तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित किए जाने के लिए निर्गत दिशा निर्देशों में प्राविधान है किन्तु सहकारी इकाइयों को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित किये जाने के लिए ऐसा कोई प्राविधान नहीं हैं। देश में बैंकिंग के बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में, एआरडी बैंकों को सहकारी क्षेत्र में या तो बैंक के रूप में लाइसेन्स दिये जाने, अथवा उन्हें प्राथमिक सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंक) के समतुल्य मानने का एक सुदृढ़ आधार है। इसके हितधारकों के मध्य आम सहमति बढ़ी है कि एआरडीबैंकों को उनकीं गैर संसाधन आधारित ऋणदाता वाली एक ही उत्पाद के व्यवसायी वाली संरचना की कमी को दूर करने के लिए बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 की परिधि के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। वैद्यनाथन कार्यदल ने भी इन संस्थाओं को रूपान्तरित किये जाने की आवश्यकता का समर्थन किया है तथा संस्तुति की है कि नियामक इस संरचना की उन इकाइयों को बैंकिंग लाइसेन्स देने पर विचार करे, जो इसके लिये निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करती हैं। हमने भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को एआरडी बैंकों को बैकिंग लाइसेन्स दिये जाने के लिए उचित मानदण्डों को निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव भेजा है।

फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कियान्वित फसली ऋणों के लिये ब्याज अनुदान योजना उन किसानों के लिये नहीं है जो एआरडी बैंकों से फसली ऋण ले रहे हैं। एससीएआरडी बैंकों को उस सूची में शामिल करने के लिए जिनके माध्यम फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना का कियान्वयन होता है, फेडरेशन इस मुद्दे को लगातार वित्त मंत्रालय में उठा रहा है।

कृषि में निवेश ऋण की अनुदान लागत

फेडरेशन ने सरकार को फसली ऋण के अनुरूप ही कृषि में पूंजी निर्माण के हेतु दीर्घकालीन ऋणों की लागत कम करने के लिए कृषि के लिए निवेश ऋण पर ब्याज अनुदान योजना लागू करने का प्रस्ताव भेजा है।

सुधार की पहल

स्धार की पहल हेत् कोरग्रप (सीजीआरआई)

एससीएआरडी बैंकों द्वारा गठित सुधार की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई) की नियमित बैठके अधिकांश बैंकों में सम्पन्न हो रही हैं। सीजीआरआई बुनियादी स्तर पर स्व—प्रेरित सुधारों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। सीजीआरआई जमा संचयन तथा नये उत्पादों को लाने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान तथा एससीएआरडी बैंकों की श्रेणी सुधार हेतु सुधारात्मक कार्यवाही अनेक स्तरों पर प्राधिकार एवं जवाबदेही के साथ साथ एनपीए प्रबन्धन एवं वसूली कार्यात्मक क्षेत्रों की सुसंगत नीतियों एवं अच्छी तरह से प्रलेखित प्रकिया विकसित करने की दृष्टि से नियमावली निर्माण सहित संसाधन जुटाने के नये मार्गों के प्रभाव की भी समीक्षा कर रहा है।

एससीएआरडी बैंकों को नीतिगत संबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन

2012 तथा 2014 में फेडरेशन द्वारा आयोजित कराए गये सहकारिता



के प्रमुख सचिवों और निबन्धक सहकारी समितियों के दो सम्मेलनों में एआरडी बैंकों की विधिक एवं नीतिगत वातावरण को सुधारने तथा अपनी सामान्य कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गईं। सरकार की गारण्टी दिये जाने में एससीएआरडी बैंकों को प्राथमिकता के साथ साथ प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना, इसके अलावा गारण्टी शुल्क में छूट अथवा छूट दिये जाने की संभावना न होने पर इस शुल्क को न्यूनतम रखना, नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुर्नवित्त की कमी को पूरा करने हेतु भारत सरकार के साथ समान योगदान के लिए पर्याप्त बजट आवंटन कराना, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क माफ कराना-जो अभी कुछ राज्यों द्वारा किया जाना है, ऋण प्रलेख प्रणाली की शुरुआत जिसे बैंक द्वारा निष्पादित करने तथा उन्हें सीधे ही बिना कृषक को शामिल किये बैंक द्वारा ही सब रजिस्ट्रार को भेजना – इसे अभी कुछ राज्यों द्वारा शुरू किया जाना है, हठी बकायेदारों के परिप्रेक्ष्य में वसूली विधिक उपायों में प्रतिरोधों को दूर करना, बैंक अधिकारियों में भूमि विक्री के अधिकार की शक्तियां निहित करना जिसका कियान्वयन अभी कुछ राज्यों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, कुछ राज्यों द्वारा जहां अभी यह लागू नहीं किया गया है, एआरडी बैंकों को निक्षेप जमा स्वीकार करने की अनुमति दिलाया जाना एआरडी बैंक / राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करते हुए एआरडीबैंकों को अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सक्षम बनाना, अनुमोदित स्टाफ पैटर्न पर कर्मियों की भर्ती के लिए सरकार के पृथक अनुमोदन दिए जाने की प्रथा को समाप्त कराना आदि राज्य सरकार से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण संस्तितुयां उपरोक्त सम्मेलन में की गई।

दीर्घकालिक ऋणी सदस्यों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूरक ऋण सीमा स्वीकृत किये जाने की योजना

निवेश ऋण को पूरा करने के लिये और अधिक वित्तीय सहयोग का अभाव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली की बहुत बड़ा दोष है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक साधारणतया अपने सदस्यों को केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान कराते हैं तथा उन्हें अल्पकालीन आवश्कताओं के प्रति अलभ्य रहा कर उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर ऋण के अनौपचारिक स्त्रोंतों पर निर्भर बना रहने देते हैं। अल्पकालीन ऋणों की अपर्याप्त उपलब्धता से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा वित्तपोषित दीर्घकालीन परिसम्पत्तियों का उप—इष्टतम उपयोग होता

है जिससे ऋणी सदस्य की आय तथा पुर्नभुगतान क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त,अनौपचारिक ऋण की ऊंची लागत सदस्य द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के पुर्नभुगतान करने की क्षमता को कम कर देता हैं। समय से ऋण का भुगतान लिये ऋणी सदस्य का बैंक के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखना बहुत आवश्यक हैं, जो निवेश ऋण निर्गमन के उपरान्त आगे ऋण का सहयोग न मिलपाने के कारण भी सम्भव नहीं है। पूरक ऋण की सीमा निर्धारित करना जिसे दीर्घकालीन ऋणी सदस्य को चक्रीय नगद ऋण की तरह संचालित किया जासकता है, अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ऋणी सदस्यों से बढ़े सम्पर्क के कारण वसूली में सुधार तथा ऋणी सदस्य की ऋण के लिये अनौपचारिक स्त्रोतों पर निर्भरता में कमी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी। योजना के मुख्य पहलू निम्नवत हैं:—

- सबसे पहले, एससीएआरडी बैंकों को वित्तपोषण के लिए धन की आवश्यकता का आंकलन करना चाहिये तथा (सावधि) जमा एनसीडीसी से ऋण, अल्पकालीन साख संरचना, वाणिज्यिक बैंको आदि से अपेक्षित धन के संग्रहण की व्यवस्था करना चाहिये।
- धन की उपलब्धता, ऋण सीमा पर निर्भरता को सदस्य पर स्वीकृत निवेश ऋण की प्रतिशतता के अनुसार निर्धारित किया जा सकता हैं।
- नए दीर्घकालीन ऋणों के सम्बन्ध में, ऋण सीमा एक अनिवार्य अतिरिक्त घटक होना चाहिए। विद्यमान ऋणों के मामलों में यदि ऋण गैर अतिदेय है तो ऋण सीमा स्वीकृत की जानी चाहिए।
- ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण आवश्यकता, पुर्नभुगतान क्षमता, सुरक्षा तथा धन की उपलब्धता के आधार होना चाहिए जिसे निर्धारित उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- ऋण सीमा दीर्घ कालीन ऋण दी जा रही सुरक्षा के अविशिष्ट बाजार मूल्य पर स्वीकृति की जा सकती है।
- ऋण सीमा का संचालन तिमाही ब्याज के भुगतान तथा अदत्त
 मूलधन के पुर्नभुगतान की समय सीमा समाप्ति पर ऋणी
 सदस्य द्वारा चकीय नगद ऋण की भांति संचालित किया
 सकता है।



- ऋण सीमा, जो एक वर्ष के लिये स्वीकृत की जाय, उसे अन्य ऋणों के समय पर भुगतान किए जाने के साथ सहित निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने की दशा मेंही उसे आगामी वर्षों में नवीनीकृत किया जाय।
- ऋण सीमा पर ब्याज त्रैमासिक आधार पर वास्तविक आहरण के आधार पर प्रभारित किया जाता है
- एससीएआरडी बैंको तथा पीसीएआरडी बैंकों दोनों के लिये,
 ऋण सीमा से आहरण पर ब्याजदर का निर्धारण, लेन—देन कार्य और जोखिम लागत को को पूरा करने के लिये कोशों की लागत में उचित मार्जिन को जोड़ कर निर्धारित की जाय।

ग्रामीण ऋण में एआरडी बैंकों का अंशदान बढाने हेतु कार्य दल का विधान

<u>पृष्ठभूमि</u>

90 के दशक के मध्य से एआरडी बैंकों की संरचना में बाजार के हिस्सेदारी में भारी गिरावट हो रही हैं। इसके निम्नांकित कारण हैं:— शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, ऋण माफी के साथ 90 दशक के मध्य से चल रही विनियमित ब्याज दर प्रणाली के अंतर्गत अपर्याप्त मार्जिन से हुई हानियों के कारण वित्तीय कमजोरियां।

गैर स्त्रोत आधारित केवल एक वस्तु के ऋण प्रदाता की अपनी मौलिक स्वरूप की संरचना में ही बने रहना जो पूर्ण बैंकिंग संस्थानों की बहु एजेन्सी, बहु—उत्पाद ग्रामीण ऋण प्रणाली के वर्चस्व के कारण अपनी अपनी महत्ता खो चुका है।

पुर्नवित्त के लिये निरन्तर नाबार्ड पर निर्भरता तथा कोषों को विविधीकृत कर पाने में असफल।

वर्ष 2000 के प्रारम्भ से बाहरी और आंतरिक कारकों के कारण बकाये के स्तर और अनर्जक परिसम्पत्तियों में तीव्र वृद्धि।

शासकीय गारण्टी तथा / अथवा अन्य शतों को पूरा न कर पाने की स्थिति में नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त पोषण रोक दिये जाने निम्नांकित राज्यों की एससीएआरडी बैंकों द्वारा ऋण वितरण कार्य स्थिगत किया जाना:— असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पाण्डिचेरी, त्रिपुरा, व जम्मू एवं कश्मीर।

ऋण वितरण के संसाधनों की कमी तथा सीमित अवसरों के कारण जो एससीएआरडी बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त करते रहे वे भी बाजार की संवृद्धि के समरूप ऋण विस्तार बनाये नहीं रख सके। मानव संसाधन तथा प्रौद्यौगिकी अंगीकरण में न्यूनता ने भी इस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध किया।

यह भी पाया गया कि भूमि आधारित निवेश जैसे कि लघु सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण जो एआरडीबैंकों द्वारा पोषित निवेश ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा रहा, अपने सतृप्त स्तर पहुंच चुका है। इसके साथ ही, एआरडी बैंक सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे उभरते विकास क्षेत्रों विभेदीकरण नहीं कर पाये जो सामान्यरूप से पूंजी और प्रौद्योगिकी सम्पन्न हैं।

एआरडी बैंक ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण के लिये अपेक्षित ऋण प्रबन्धन क्षमता भी विकसित नहीं कर पाये।

सही अर्थों में इसका मंतव्य यह है कि एआरडी बैंकों को भविष्य में प्रत्येक चार वर्षों में अपने ऋण वितरण को दोगुना करने की आचवश्यकता है। इसके लिये स्त्रोतों, अपने नियंत्रण में नेटवर्क और प्रौद्योगिकी सहित मुलभूत संरचना की क्षमताओं के सार्थकप्रवर्धन की आवश्यकता है।

2013 से एआरडी बैंकों ने, विशेषरूप से संसाधनों को बढाने तथा व्यवसाय विविधकरण के लिये अवसरों का विस्तार हेतु आंतरिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। फिर भी अधिकांश राज्यों में वार्षिक ऋण वितरण तथा बाजार अंशदान में अभी भी अभाव की रिथति है, में संतोषजनक वृद्धि के लिये एक बड़े समर्थन की आवश्यकता है। डा. हर्ष कुमार भानवाला, अध्यक्ष, नाबार्ड ने अभी हाल ही में फेडेरशन के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में अपने सम्बोधन में ग्रामीण ऋण में एआरडी बैंकों के लिये उनके बाजार के अंशदान को बढाने के लिये रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा उसके लिये फेडरेशन द्वारा एक कार्यदल के विधान का सुझाव दिया। इस पृष्टभूमी पर, जैसा कि फेडरेशन की प्रबन्धकारिणी समिति ने अपनी बैठक दिनांक 21 जुलाई 2017 में फेडरेशन की बैठक में निर्णय लिया गया, फेडरेशन के अध्यक्ष ने कृषि के लिये निवेश ऋण पर संकेन्द्रित ग्रामीण साख में एससीएआरडी बैंकों के अंशदान को बढ़ाने के लिये श्री वाई. सी. नन्दा, भूतपूर्व चेयरमैन नाबार्ड, की अध्यक्षता, श्री. डी. एन. ठाक्र, उप प्रबन्ध निदेशक, एनसीडीसी की सह अक्ष्यक्षता, तथा निम्नांकित गणमान्य व्यक्तियों की सदस्यता में एक कार्यदल का गठन किया:



- 1. श्री अजीतकुमार सिंह, सहायक महाप्रबन्धक (आईडीडी) नाबार्ड, नाबार्ड द्वारा नामित
- 2. श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष एनसीएआरडीबीएफ
- 3. श्री के. रविन्द्र राव, अध्यक्ष तेलगाना एससीएबी
- 4. श्री के. शदाक्षरी, एमएलए, कर्नाटक एससीएआरडीबी
- 5. श्री सालोमन एलेक्स, अध्यक्ष केरल एससीएआरडीबी
- 6. श्री बी. शाहुल अमीद, अध्यक्ष तमिलनाडु सीएसएआरडीबी
- 7. श्री डी. बी. चौधरी, अध्यक्ष गुजरात एससीएआरडीबी
- 8. श्री एच. एस. सिद्धू प्रबन्ध निदेशक पंजाब एससीएआरडीबी
- 9. श्री धनेश अदलखा, अध्यक्ष हरियाणा एससीएआरडीबी
- श्री विजय कुमार शर्मा, प्रबन्ध निदेशक राजस्थान आरएसबीवीबी
- 11. श्री पंडित शिवलाल, अध्यक्ष हिमांचल प्रदेश एससीएआरडीबी
- 12. श्री के पी सिंह, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश एसजीवीबी
- श्री वी आई गणेशन, विरष्ठ सलाहकार, एनसीएआरडीबीएफ सदस्य सचिव
- 14. श्री के के रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक,एनसीएआरडीबीएफ— संयोजक

संदर्भ और कार्य योजना की शतों को अंतिम रूप देने के लिये कार्यदल की पहली बैठक 6 अक्टूबर 2017 को मुम्बई में सम्पन्न हुई। पहली बैठक श्री वाई. सी. नन्दा, भूतपूर्व अध्यक्ष नाबार्ड तथा श्री डी एन ठाकुर एप महा प्रबन्धक एनसीडीसी की संयुक्त अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें अन्य सदस्यों ने भाग लिया। कार्यदल ने अपनी पहली बैठक में निम्नानुसार संदर्भ की शतों को अंतिम रूप दिया:—

- (1) कृषि साख तथा कुल ऋण प्रवाह में निवेश ऋण के अंश की समग्ररूप से समीक्षा, एआरडी बैंकों की कार्यप्रणली की समीक्षा तथा प्रमुख मुद्दों—संरचनात्मक, कार्यात्मक, मानव शक्ति, प्रौद्योगिकी, विधिक एवं नीतिगत पहलुओ से तादात्म्य।
- (2) एआरडीबैकों का पूंजीकरण तथा नाबार्ड एवं एनसीडीसीतथा अन्य अभिकरणों द्वारा दिये जा रहे वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के उपायों सहित ऋण वितरण के लिये संसाधनों में आत्म—निर्भरता के लक्ष्य का प्राप्त करना।

जमा और बचत उत्पादों और जमा संग्रहण में वृद्धि करना। अल्पकालीन, उत्पादन, और कार्यशील पूंजी ऋण तथा सदस्यों की अन्य वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना।

- (3) अनर्जक परिसम्पत्तियों की वर्तमान प्रणाली तथा वसूली प्रबन्धन का परीक्षण करना तथा अनर्जक परिस्मपत्तियों के स्तर को संतोषजनक स्तर पर लाने हेतु उपाय बताना।
- (4) वित्तीय, संगठनात्मक, मानव संसाधन क्षमताओं के साथ संरेखित करते हुये उसकी प्राप्ति के लिये आगमी पांच वर्षों के लिये राज्यवार संभावित लिंक योजना तैयार करना।

कार्यदल ने समीस्थ क्षेत्र समूह दृष्टिकोण के अर्न्तगत लघु एवं सीमान्त कृषको के वित्त पोषण हेतु तथा उत्पादन के बाद मूल्यसंकलन को प्रारम्भ कर उनके उत्पाद को सीधे बाजार पहुचने योग्य बनाकर मूल्य श्रृंखला के साथ उन्हें एकीकृत करने हेतु किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिये प्रायोगिक योजना को भी कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

एआरडी बैंकों में मानव संसाधन नीतियों पर कार्यदल

कई राज्यों के एआरडी बैंकों में मानव संसाधन परिदृश्य गुणवत्ता व परिमाण में गम्भीर किमयों से ग्रस्त पाया गया। नियमित आधार पर नियुक्तियां विगत कई वर्षों से नहीं हुई हैं परिणामस्वरूप कर्मचारियों की बढ़ी आयु, प्रतिभा का क्षरण, परिलक्षित हुआ है, रचनात्मकता तथा कल्पनाशक्ति संगठानात्मक उद्देश्य की पूर्ति के साथ व्यापार विकास तथा बाजार हिस्सेदारी बनाये रखने के लिये विशिष्ट दक्षतायें हैं।

विद्यमान कर्मचारियों की कार्यक्षमता निर्माण तथा नये कर्मचारियों का आगमन इस क्षेत्र में चल रहे व्यवसाय के विविधीकरण एवं विस्तार के साथ साथ बाजार की हिस्सेदारी बढ़ानें के लिये महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में एससीएआरडी बैंकों द्वाराअपने व्यवसायिक विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिये तथा उचित संख्या और गुणवत्ता के अनेक स्तर के कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं की उपयुक्त नीतियों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि पर, फेडरेशन के प्रबन्धक मण्डल की दिनांक 21 जुलाई 2017 की बैठक में अध्यक्ष महोदय को एआरडी बैंकों में मानव संसाधन



नीतियों पर एक कार्यदल गठित करने के लिये अधिकृत किया। अध्यक्ष महोदय के अनुसार, फेंडरेशन श्री के शिवदासन नायर, फेंडरेशन के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता एवं श्री एन सत्यनारायण, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारीअधिकारी की सह अध्यक्षता एवं निम्नांकित व्यक्तियों की सदस्यता में मानव संसाधन की नीतियों पर कार्यदल के गठन किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करता है:—

- श्री भगवती प्रसाद, उपाध्यक्ष, सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि
- 2. श्री बी एच जडेजा, उपाध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ
- 3. श्री ई. देवदासन, आई ए.एस. प्रबन्ध निदेशक केरल एससीएआरडीबी
- 4. श्री ए. सी. दिवाकर, प्रबन्ध निदेशक, करनाटक एससीएआरडीबी
- 5. डा. एन. विल्वशेखरन, प्रबन्ध निदेशक, तमिलनाडु सीएसउआरडीबी
- 6. श्री वी.एम.चौधरी, महा प्रबन्धक, गुजरात एससीएआरडीबी
- 7. श्री नरेश गोयल, प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी
- 8. श्री वाई.पी.एस. वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचंल प्रदेश एससीएआरडीबी
- 9. श्री एच एस सिद्धू, प्रबन्ध निदेशक, पंजाब एससीएडीबी
- श्री विजय कुमार शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आरएसबीवीबी
- 11. डा नेति मुरलीधर, प्रबन्ध निदेशक, तेलगाना एससीएबी
- 12. श्री वी.आई.गणेशन, वरिष्ठ सलाहकार, एनसीएआरडीबीएफ— सदस्य सचिव
- 13. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ— संयोजक

कार्यदल ने अपनी पहली बैठक में सदस्य बैंकों से सूचनायें प्राप्त करने के लिये निम्नांकित संदर्भ एवं प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया:—

 एससीएआरडी बैंकों की वर्तमान मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा तथा मानव संसाधन प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं की एक नतिगत—नमूना आलेख का सुझाव जैसे कि नियुक्तियां, अधिष्ठापन, कार्य—निष्पादन मूल्यांकन, स्थानान्तरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सुविधायें, अवकाश, कार्य स्थितियां परिवेदना निवारण, सतर्कता प्रकोष्ठ, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम, अनुशासनिक कार्यवाही इत्यादि सहित प्रतिफल पैकेज।

- एआरडीबैंकों का वर्तमान स्टाफ पैटर्न तथा व्यवसाय की मात्रा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में स्टाफ की आवश्यकता का वास्तविक आंकलन तैयार करना तथा उनके लिये न्यूनतम योग्यता व अनुभव की संस्तुति करना।
- व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप एससीएआरडी बैंकों एवं पीसीएआरडी बैंकों का वर्गीकरण करना तथा व्यवसायिक मॉडल पर आधारित उपयुक्त स्टाफिंग पैटर्न के लिये सुझाव देना।
- दूसरे कम के प्रबन्धन को जमा संग्रहण, वित्त, जोखिम प्रबन्धन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इत्यादि सहित व्यवसाय संचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दक्षता के साथ शक्तिशाली बनाने के लिये मूलभत कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकलन करना।
- विभागीकरण—प्रधान कार्यालय के विभागों कार्यात्मक एवं भौगोलिक कर्मचारीकरण तथा क्षेत्रीय / जनपदीय कार्यालयों में कार्य विभाजन तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- बाहरी स्त्रोत से ली जाने वाली सेवाओं वाले कार्य के लिये क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- सामान्य संवर्ग की आवश्यकता / व्यवहार्यता पर विचार करना तथा एससीएआरडी बैंको / पीसीएआरडी बैंकों के लिए अपेक्षित संवर्ग को चिन्हांकित करना।
- प्रबन्धकीय संवर्ग के पदों को भरे जाने की पद्धित के साथ नियुक्ति की विद्यमान प्रणाली का अध्ययन करना तथा सही मात्रा व योग्यता के कर्मियों बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अपेक्षित संशोधनों के लिये सुझाव देना।
- आंतरिक प्रशिक्षण, आत्म प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहन सहित प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा।

एआरडी बैंकों की कार्यत्मक नवीनीकरण हेतु संगोष्ठियां

देश के बैंकिंग और ग्रामीण ऋण के बदलते परिदृश्य में, एक उत्पाद व बाकी वित्तीय स्त्रोतों पर पूर्ण निर्भरता पर आधारित एआरडी बैंकों का परम्परागत व्यवसायिक स्वरूप तेजी से पुराना और अप्रसांगिक होता जा रहा है। ग्रामीण साख पर वैद्यनाथन कार्यदल सहित अनेक समितियों ने उक्त मृद्दे पर विचार कर उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की ऋण



आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम संसाधन आधारित संस्थान बनाने के सुझावों को शामिल करते हुये कार्यात्मक नवीनीकरण की संस्तुति की है। इन संस्तुतियों को लागू करने में दीर्घ विलम्ब को देखते ह्ये, एआरडीबैंकों के 2012 में सम्पन्न राष्ट्रीय सम्मेंलन ने ऋण वितरण व वसूली में संशोधन करते हुये ऋण वसूली में सुधार,सूचना एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि को लागू करने की संसाधन वृद्धि, व्यवसाय विविधीकरण एवं विस्तार के लिये आत्म संचालित पहल करने का निर्णय लिया। कई राज्यों अलग अलग स्तर पर मिली सफलता के साथ एससीएआरडीबैंक इन प्रस्तावों का 2013 से अनुसरण कर रहे हैं। इस पृष्टभूमि पर फेडरेशन ने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थान बैंगलोर के सहयोग से इस क्षेत्र के पुर्नगठन पहल पर विचार करने तथा उन्हें इस प्रक्रिया में और अधिक प्रभावी भूमिका निर्वहन के लिये तैयार करने हेतू एससीएआरडी बैंकों के मध्य क्रम के अधिकारियों के लिये दो संगोष्ठियों का आयोजन किया। पहली संगोष्ठी का आयोजन 3 व 4 अक्टूबर 2017 को किया गया जिसमें 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दूसरी संगोष्ठी का आयोजन 15 व 16 जनवरी 2018 को हुआ जिसमें अनेक एससीएआरडी बैंकों के 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में निम्नांकित विषयों पर विचार किया गया :-

- एलटीसीसीएस की स्थिति—मुख्य चुनौतियां तथा फेडरेशन द्वारा सुधार हेतु की गई पहल।
- 2) कृषि एवं गैर कृषि ऋणों का मूल्यांकन
- 3) मानव संसाधन मृद्दे एवं उनका निवारण
- 4) सहकारिताओं में वित्तीय समावेशन
- 5) अनर्जक परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं वसूली।
- 6) एआरडी बैंकों द्वारा व्यवसाय विस्तार।

संगोष्ठी के लिये विषय प्रवक्ताओं में श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक व श्री वी. आई. गणेशन, फंडरेशन के वरिष्ठ सलाहकार, श्री पी. वी. प्रभू, ट्रस्टी सचिव, श्री आर. वेण्कटस्वामी, निदेशक तथा एनआरआइबी के संकाय सदस्य श्री शिवन्ना सम्मिलित थे। संगोष्ठी सहकारी भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ / मध्य कम के अधिकारियों को आंतरिक सुधार तथा आधार स्तर पर प्रभाव पर प्रतिपुष्टि प्राप्ति के लिये अभिप्रेरित करने के अपने उद्देश्य में सफल रही। संगोष्ठी के परिणाम निश्चितरूप से एससीएआरडी बैंकों की सुधार प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से और अधिकआगे बढाने में सहायक होगी।

2017–18 के दौरान सीजीआरआई बैठकों का केन्द्र बिन्दु

एससीएआरडी बैंकों द्वारा गठित सीजीआरआई इस क्षेत्र में आंतरिक सुधारों में तेजी से आगे बढ़ाने व मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। सीजीआरआई ने अपनी बैठकों के प्रारम्भिक दौर में मुख्य रूप से जमा संग्रहण और सघन वसूली अभियान पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा। 2017—18 के लिये सीजीआरआई बैठकों के मुख्य शीर्षक एससीएआरडी बैंकों को मई 2017 में सम्प्रेषित कर दिये गये जिसमें से निम्नांकित क्षेत्रों को संकेन्द्रित करने का सुझाव दिया गया:—

- दीर्घ कालीन ऋणी सदस्योंकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूरक ऋण सीमा की स्वीकृति योजना का कियान्वयन।
- 2. कम्प्यूट्रीकरण में प्रगति तथा सीबीएस का शुभारम्भ।
- किमयों की नियुक्ति में प्रगति तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

सीजीआरआई बैठकों में संसाधन संग्रहण, ऋण वसूली और अनर्जक परिसम्पत्तियों के क्षेत्रों में सुधार की प्रगति के साथ प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन की पाक्षिक समीक्षा भी करती है।

शताब्दी वर्ष की तैयारी के हिस्से के रूप में पुनरुद्धार कार्य योजना के लिये दिशा निर्देश

प्रबन्धन मण्डल ने अपनी अंतिम बैठक में निर्णय लिया कि राज्य स्तर तथा प्राथमिक स्तर पर एआरडी बैंकों को 2020, जो दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना का शताब्दी वर्ष होगा, तक अभियान को संवहनीय वृद्धि के मार्ग बनाये रखने के लिये अपने संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक मुद्दों पर ध्यान देते हुए आगामी दो वषों के लिये अपनी कार्य योजना तैयार करनी चाहिये। फेडरेशन ने अपने पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2017 के माध्यम से शताब्दी वर्ष की तैयारी एवं आयोजन के सम्बन्ध में प्रबन्धन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को सम्प्रेषित कर दिया है। पुनरुद्धार हेतु विशष कार्य योजना के हिस्से के रूप में यह भी निर्णय लिया गया कि एससीएआरडी बैंक एवं पीसीएआरडी बैंक वसूली, अनर्जक परिसम्पत्तियों को कम कराने, जमा संग्रहण, व्यवसाय सम्वर्धन, सफलता की कहानियों को प्रलेखित करने आदि के क्षेत्र में विशेष (निर्धारित) समयबद्ध लक्ष्य के साथ पुनरुद्धार कार्य योजना को अंतिम रूप देने तथा उसके कियान्वयन के लिये अपने विशेष दस्ते गठित करें।



कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण के लिये अग्रगामी योजना.

फेडेशन के प्रबन्धन मण्डल ने अपनी दिनांक 20 दिसम्बर 2017 की बैंगलोर में आयोजित बैठक में एससीएआरडी बैंकों तथा एससीबी सदस्यों को समूह आधारित कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण के लिये अग्रगामी योजना का अनुमोदन कर दिया है। निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य जो नाबार्ड से पुर्नवित्त के लिये पात्र हैं, उनकों बैंक द्वारा निर्धारित, गतिविधियों / फसलों के लिये उपयुक्त समीपवर्ती क्षेत्र जिसमें सम्बन्धित राज्य की एक या एक से अधिक पंचायत क्षेत्र हों, का चयन कर अग्रगामी योजना में भाग लेना चाहिए।

अग्रगामी योजनाके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में फसलो की वृद्धि के लिये अथवा चिन्हित क्षेत्र में परियोजना में अनुशंसित कार्यों के पैकेज के लिये कार्य आरम्भ करने हेतु किसानों को वित्त पोषण करना। बैंकों को प्रत्येक 15 से 20 किसानों के समूह / सुसम्बद्ध इलाके में वित्तपोषण करना चाहिए। यदि समूह ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है तो सामान्य ऋण वितरण प्रक्रिया के अनुसार भी व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया जा सकते हैं किन्तु बैंक / फील्ड ऑफिसर को उस क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को संगत सहायता देने, प्रभावी निरीक्षण व ऋण अनुशासन प्रदान करने के लिये के अनौपचारिक समूह के निर्माण को सुगम बनाना चाहिए।

योजना के दूसरे भाग में, एससीएआरडी बैंकों / पीसीएआरडी बैंकों द्वारा स्थापित बहु सेवा केन्द (एमएससी) के माध्यम से, अथवा इसके अभाव में योजना के लाभार्थियों द्वारा स्थापित कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से,अगली और पिछली सहलग्नता को सुगम बनाना है। बहु सेवा केन्द्र / कृषक उत्पादक संगठन (एमएससी / एफपीओ) का लक्ष्य फसल के बाद के कार्यों जैसे कि सुखना, सफाई , श्रेणीकरण, संकुलन, भण्डारण एवं विपरण सहित खरीद, प्रसंस्करण, के द्वारा उत्पादक की आय को बढ़ाना है।

प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल एक नए रूप में

हाल ही में फेडरेशन ने कागज़ एवं मुद्रण की गुणवत्ता में सुधार करते हुए लैण्ड बैंक जरनल के आकार में परिवर्तन किया है। फेडरेशन ने जरनल (पत्रिका) के सम्पादन एवं प्रकाशन में पेशेवर सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख दैनिक राष्ट्रीय में कार्य कर चुके एक वरिष्ठ मान्यताप्राप्त पत्रकार की सेवाएं अनुबंधित की हैं। उनकी सेवाएं सदस्य बैंकों के लिए बैंक के अध्यक्ष अथवा नेतृत्व दल के साक्षात्कार पर आधारित विशिष्ट लेख तैयार करने तथा बैंक आदि द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण घटनाओं आदि पर विशिष्ट लेख /रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी उपलब्ध हैं। जरनल (पत्रिका) में (दीर्घकालीन साख संरचना) क्षेत्र की हाल ही की घटनाओं के विवरण के साथ ही एक नियमित स्तम्भ भी दिया जाएगा जिसमें प्रकाशित, एक विचारधारा सृजित करने में अपना विचार और आवाज देने के लिए, क्षेत्र के अग्रणी / दीर्घानुभवी महानुभावों के लेख / समीक्षा, नीति निर्माताओं की सोच का आंकलन और विश्लेषण करने का एक सुव्यवस्थित मंच बन सके। जरनल के ये नये वैशिष्ट्य मार्च 2017 के अंक से आरम्भ किये गये है।

लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन पीआरडी प्रकोष्ठ का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। वर्ष के दौरान लैण्ड बैंक जरनल के तीन अंक अर्थात—जून 2017, सितम्बर 2017 तथा दिसम्बर 2017 को प्रकाशित एवं परिचालित किये जा चुके है तथा मार्च 2018 का अंक प्रकाशन के अधीन है।

वार्षिक सांख्यकी बुलेटिन

सदस्य बैंकों से सम्बन्धित कियाकलापों के आंकड़ों का संकलन एवं संग्रहण तथा वार्षिक सांख्यकीय बुलेटिन का प्रकाशन का कार्य भी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। वर्ष 2015—16 के सांख्यकी बुलेटिन का प्रकाशन वर्ष के दौरान किया गया। 2016—17 का बुलेटिन संकलन के अधीन है। फेडरेशन इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को एआरडी बैंकों के कियाकलापों के बुनियादी स्तर के आंकडों से सम्बन्धित युक्तसंगत सूचना तंत्र से अद्यतन किये जाने के लिये प्रयत्नशील है।

एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरेशन सदस्य बैंकों की अपने स्तर पर तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित करने हेतु समीक्षा के लिये मुख्य कियाकलापों के आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन मासिक आधार पर करता है। ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, उधार राशियां तथा जमा संग्रहण आदि मुख्य क्षेत्र हैं जो इस मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं। अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक 10 समेकित मासिक प्रगति प्रतिवेदन 2017—18 के दौरान प्रकाशित किये गये। मार्च 2018 का प्रतिवेदन संकलन के अधीन है।



VI. 2017-18 के दौरान विकास-मुख्य आकर्षण

14 जून 2017 को सम्पन्न एससीएआरडी बैंकों मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन— चर्चाओं का सारांश

फेडरेशन के अनुरोध पर तीन वर्ष के अन्तराल के बाद 14 जून 2017 को नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया। बैठक डा. हर्ष कुमार भानवाला, अध्यक्ष नाबार्ड के सभापतित्व में हुई। नाबार्ड के अन्य अधिकारीगण जो इस बैठक में उपस्थित हुये — वे थे—श्री आर. अमलोरपवनाथन, उप प्रबन्ध निदेशक, डा. यू.एस.साहा, मुख्य महा प्रबन्धक (आईडीडी) श्रीमती पद्मा रघुनाथन, मुख्य महाप्रबन्धक, पुर्नवित्त विभाग तथा श्री के.वी. राव, मुख्य महा प्रबन्धक पर्यवेक्षण विभाग। फेडरेशन ने बैठक में विचार किये जाने वाले कतिपय बिन्दुओं के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया था जो नाबार्ड के पुर्नवित्त को प्राप्त करने में संचालनात्मक एवं नीतिगत मुद्दों से सम्बन्धित थे।

डा भानवाला ने अपने आरम्भिक सम्बोधन में एआरडी बैंकों को तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संकेन्द्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- (i) निवेश ऋण में इस क्षेत्र के योगदान बढ़ाने की आवश्यकता जो विगत 20 वर्षों में तेजी से नीचे गिरा है और अब मात्र 2 से भी कम है।
- (ii) कम्प्यूट्रीकरण एवं कोर बैंकिंग
- (iii) श्रेणी (रेटिंग) में सुधार जिसमें मूलतः अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीए) के स्तर को नीचे लाने के अतिरिक्त सुशासन एवं प्रबन्धन कार्य भी सम्मिलित हैं।

श्री आर. अमलोरपवनाथन, उप प्रबन्धक निदेशक नाबार्ड ने भी व्यापार बढ़ाये जानें के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में बताया। उन्होनें कहा कि गैर स्त्रोत आधारित एआरडी बैंकों को ग्रामीण ऋण वितरण में व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करते हुये सम्भावनाओं की तलाश करनी चाहिए। इसके पश्चात श्री निलय कपूर, महा प्रबन्धक (आईडीडी) ने दीर्घकालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) पर व्याख्यान प्रस्तुत किया तथा एससीएआरडी बैंकों के उनके अपने कार्य निष्पादन एवं वित्तीय सामर्थ्य पर आधारित विभिन्न श्रीणियों में

पुनरुद्धार नीतियों हेतु सुझाव दिये।

श्री के के रिवन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ ने दीर्घकालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में नाबार्ड द्वारा विचार किये जाने तथा कार्यवाही करने आवश्यकता के साथ नीतियों एवं कार्य निष्पादन के मुद्दों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

व्याख्यान में दिये गए महत्वपूर्ण सुझाव तथा नाबार्ड द्वारा उसके दिये गये प्रतिउत्तर के सारांश नीचे दिये गये हैं:-

[1] ऋण वसूली में गतिरोध के परिणामस्वरूप पुर्नभुगतान के लिये धन की कमी

पिछले छः माह में वसूली को दो गम्भीर गितरोधों का सामना करना पड़ा। 3—4 माह तक चले विमुद्रीकरण के प्रतिकूल प्रभाव, पूरे देश में कृषि ऋण माफी की व्यापक मांग की वर्तमान समस्या दीर्घ काल तक चलने वाली समस्या है जिसके दूरगामी परिणाम ऋण वसूली के प्रतिकूल हैं। विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप पुर्नभुगतान एवं वसूली प्रकिया में व्यवधान के बाद भी, एससीएआरडी बैंकों ने अपनी अल्पकालिक देनदारियां बनाकर नाबार्ड को अपनी पुर्नभुगतान प्रतिबद्धता को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। अतः नाबार्ड को सामान्य ऋण वसूली की बहाली तक आगामी एक वर्ष के दौरान लगने वाली मांग का पुर्निनधिरण करने के साथ, उपयुक्त उपायों पर विचार करना चाहिए।

इसके प्रतिउत्तर में नाबार्ड ने सूचित किया कि बकाया पड़ने के कारण वे अपनी परिसम्पत्तियों का अनर्जक परिसम्पत्तियों में रूपान्तरित होना बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनकी श्रेणी की विश्वसनीयता (रेटिंग) प्रभावित होगी परिणाम स्वरूप बाजार से मिलने वाले कोष की लागत बढ़ जायेगी।

[2] जमा संग्रहण

नाबार्ड निरीक्षण दल एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम अविध के जमा तथा सदस्यों द्वारा किये जा रहे जमा पर शुद्ध जमा तक कुल जमा इत्यादि पर भी अधिकतम सीमा की शर्तों को कड़ाई से



पालन करने के लिये आग्रह कर रही है जिससे एससीएआरडी बैंकों का जमा संग्रहण कार्यक्रम असफल होता है। इसके साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी सहकारिताओं को बिना किसी अवरोध के सदस्यों की जमा, जो सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिये भी मान्य है, स्वीकार करने की अनुमित प्रदान कर दी है। अतः नाबार्ड प्रधान कार्यालय को निरीक्षण दल द्वारा इस प्रकार की लगाई जहा रही अनपेक्षित आपत्तियों को दूर करने के लिये उचित कदम उठाना चाहिए।

पहले की बैंठकों में भी नाबार्ड प्रधान कार्यालय ने स्पष्ट किया कि नाबार्ड के दिशा निर्देश 1997 के अनुसार सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की शतों में सदस्यों द्वारा जमा आच्छादित नहीं है। फिर भी, नाबार्ड निरीक्षण दल द्वारा इस सदंर्भ में अनावश्यक आपत्तियां निरन्तर लगाई जा रही हैं जिससे एआरडी बैंकों का जमा संग्रहण कार्यक्रम बाधित हो रहा है। एससीएआरडी बैंकों को इस प्रकार की आपत्तियों को उपयुक्त स्पष्टीकरण देते हुये तथा यह सुनिश्चित कराते हुये इस का विरोध करने की आवश्यकता है कि उनकी सदस्य जमा योजना निम्नांकित मानदण्डों पर कड़ाई के साथ लागू की गई है:—

- (i) सदस्य जमा और गैर सदस्य जमा को अलग अलग रखते हुये उन्हें पृथक दिखाया जाय।
- (ii) गैर सदस्य जमा के मामलों मे वर्ष 1997 के परिपत्र में अंकित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करें।
- (iii) सदस्य जमा योजना के अन्तर्गत सभी जमाकर्त्ताओं को मतदान के अधिकार के साथ सदस्य होना चाहिए तथा गैर सदस्य जमा कर्त्ता सदस्य के एक प्रतिनिधि के पद के आरक्षण के लिये अधिनियमों में संशोधन कर उसे प्रत्यावर्तित कराय जाये।
- (iv) शासकीय गारण्टी प्राप्त करने तथा नाबार्ड द्वारा पात्रता के नियमों कड़ाई के बढ़ते रुझान के कारण पुर्नवित्त प्राप्त करने में बढ़ती समस्याओं को देखते हुये एससीएआरडी बैंकों को अपनी सभी जमा संग्रहण तथा जमा से सृजित कोशों को बढाने के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाने का प्रयास करना चाहिए।

[3] मांग वसूली एवं बकाया (अवशेष) तथा अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीए) के लिये अंतिम (कट—ऑफ) तिथियां

वर्तमान में अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीए) और मांग वसूली बकाया

(अवशेष) की अंतिम तिथियां निर्धारित हैं। एससीएआरडी बैंकों को वार्षिक मांग वसूली बकाया (अवशेष) की अंतिम तिथि, जैसा कि परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण की निर्धारित है, की भांति, 31 मार्च परिवर्तित किये जाने की अनुमति नाबार्ड को दे देनी चाहिए।

नाबार्ड ने सूचित किया कि अब वे पुर्नवित्त पात्रता तथा मूल्यांकन (रेटिंग) के लिये केवल अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीए) पर ही विचार कर रहे हैं तथा एससीएआरडी बैंक अपने मांग वसूली बकाया (अवशेष) की अंतिम तिथियां अपनी स्वेच्छा से निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं।

[4] मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) पुर्नवित्त पर ब्याज दर

नाबार्ड मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) पुर्नवित्त पर वही ब्याज दर प्रभारित कर रहा है जो सामान्य स्त्रोतों से निवेश ऋण के लिये निर्धारित है। जोकी फसली ऋण कृषक स्तर पर 7% दिया जाना है अतः नाबार्ड को इस उद्देश्य के लिये दीर्घ कालीन ग्रामीण ऋण कोश, जिसकी ब्याज दर कम है, से आवंटित करना चाहिये। हालांकि नाबार्ड ने बिना कोई कारण बताये इस अनुरोध पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया।

[5] निम्न जोखिम श्रेंणी के बैंकों के परिप्रेक्ष्य में शासकीय गारण्टी की शर्त में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

नाबार्ड को पुर्नवित्त की सुरक्षा हेतु एससीएआरडी बैंकों से शासकीय गारण्टी के स्थान पर अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों के लिये एससीएआरडी बैंकों को उनकी अपेक्षित (आवश्यक) सीमा तक के लिये शासकीय गारण्टी पर सांवधिक रोक के कारण शासकीय गारण्टी देना कठिन हो गया है।

नाबार्ड इस मुद्दे पर, इस स्पष्टीकरण के साथ कि शासकीय गारण्टी लिया जाना नाबार्ड के अधिनियम के अनुरूप है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, परीक्षण करने हेतु सहमत नहीं हुआ।

संरचना बार बार उन एससीएआरडी बैंकों के परिप्रेक्ष्य में सरकार की गारण्टी की शर्त में छूट दिये जाने के लिये अधिनियम में यथोचित संशोधन कराने के लिये अनुरोध करता रहा है जो नाबार्ड द्वारा अन्य संस्थाओं को बिना शासकीय गारण्टी के पुनिवित्त देने के लिये निर्धारित मानदण्डों को स्वीकार किये जा रहे हैं। यद्यपि, नाबार्ड एससीएआरडी बैकों को पुनर्वित्त दिये जाने के लिये शासकीय गारण्टी



के स्थान पर अन्य किसी विकल्प पर विचार करने के लिये पूरी तरह उदासीन है। इसके परिणामस्वरूप एससीएआरडी बैंकों के उनके कार्यनिष्पादन और वित्तीय सुदृढ़ता के बावजूद शासकीय गारण्टी प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के कारण पुर्नवित्त में पर्याप्त कमी आयेगी।

[6] पुर्नवित्त की अवधि की तुलना में ऋण की अवधि को कम करते हुये निर्धारित करने की अनुमति बहाल करना।

नाबार्ड ने प्रारम्भ से ही पुर्नवित्त की अवधि को एआरडी बैंकों के ऋण की अवधि से कम पर निर्धारित किया था जो पुर्नभुगतान में विभिन्न स्तरों के बकाया होने के बावजूद रियायत के रूप में कार्य करता था। फिर भी नाबार्ड ने ऋण प्रणाली लागू करते समय इस सुविधा पर रोक लगा दी। विशेष रूप से बैंकों के नियंत्रण से परे उन कारकों के कारण ऋण वसूली में आ रही गिरावट को देखते हुए, इस सुविधा को बहाल किया जाना चाहिए।

यद्यपि नाबार्ड ने पुर्निवत्त बैंको के सापेक्ष पिरसम्पत्तियों में होने वाली गिरावट का उल्लेख करते हुए, इस अनुरोध पर सहमित नहीं जताई, जो सही नहीं है क्योंकि अतिरिक्त पुर्निवत्त मानक पिरसम्पत्तियों के पिरमाण से सम्बद्ध है और किसी भी ऋणवितरण करने वाली संस्था की कृषि ऋणों में शत प्रतिशत वसूली नहीं होती।

[7] नाबार्ड की छुट्टीयों पर आनेवाली देय तिथियां।

नाबार्ड ने, वास्तविक देय तिथि नाबार्ड के किसी छुट्टीयों के दिन पड़ने की स्थित में, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों में किया गया है, आगामी कार्यशील दिवस तक के लिये निरस्त करने पर सहमति व्यक्त की है। नाबार्ड की पुर्नवित्त से सम्बन्धित नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिये मुख्य रूप से नाबार्ड द्वारा आहूत की गई कार्यकारी अधिकारियों की बैठक एक महत्वपूर्ण मंच हुआ करता था। नाबार्ड ने तथापि इस प्रकार की नियमित बैठकों का आयोजन बन्द कर दिया था। यह पाया गया कि उस प्रकार की बैठकें जब यदा कदा सम्पन्न होती हैं तो इन बैठकों में एससीएडी बैंको द्वारा इंगित की गई वास्तविक समस्याओं व कठिनाइयों को समझने में भी असफल रहती हैं।

नाबार्ड द्वारा एससीएआरडी बैंको को मौसमी कृषि कियाकलापों के लिए अल्पकालीन पुर्नवित्त का प्रावधान— वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए नीति

- नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों को नाबार्ड अधिनियम की धारा
 25(डी) के अन्तर्गत 2017—18 के दौरान मौसमी कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन पुर्निवत्त प्रदान कराने तथा इसके लिये नीति को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है, जिसके प्रमुख पहलू नीचे दिए गये हैं:—
- पुर्नवित्त नगदी ऋण सुविधा के रूप में वर्ष 2017—18 में वितिरति
 किये गये फसली ऋण के संबंध में दिया जाएगा।
- पात्र एससीएआरडी बैंकों को एक समेकित सीमा स्वीकृति की जाएगी। बकायेदार ऋणी सदस्य पुर्नवित्त सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
- एससीएआरडी बैंकों की वर्ष 2015—16 तक की लेखापरिक्षा
 पूरी होनी चाहिए तथा वर्ष 2016—17 का सम्प्रेक्षण 30 सितम्बर
 2017 से पहले पूरा हो जाना चाहिए।
- केवल न्यूनतम जोखिम श्रेणी वाले एससीएआरडी बैंक ही अल्प कालीन पुर्नवित्त के लिए पात्र होंगे।
- एससीएआरडी बैंकों को स्वीकृत ऋण सीमा शासकीय गारण्टी से आच्छादित होनी चाहिए।
- नाबार्ड को निर्धारित सीमा से बकाया निकासी के सापेक्ष देय निश्चित निर्धारित ब्याज की दर 31 मार्च को भुगतान किये जाने वाले अर्द्धवार्षिक ब्याज के साथ 7.5: वार्षिक होगी।
- सीमा से निकासी का पुर्नभुगताननिकासी की तिथि से 12 महीने बाद किया जाना होगा।

केन्द्रीय बजट 2017-18

पिछले तीन बजटों में सुधारों पर ज़ोर दिये जाने के विपरीत सामाजिक क्षेत्र के पक्ष में प्रमुखता का स्पष्ट परिवर्तन इस वर्ष के बजट में है। गरीब और वंचित वर्ग के लिये अनेक घोषणाएं की गई हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति रुपये पांच लाख तक के निःशुल्क चिकित्सा व्यय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना तथा गरीब महिलाओं के लिये एलपीजी कनेक्शन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया जाना इन घोषणाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बजट में शिक्षा, जोकि सामाजिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, के



लिये रु.85000 करोड़ के आवंटन किया जाना तथा सामाजिक संरचना और प्रणाली को सशक्त बनाने और उसके आधुनीकरण पर ध्यान संकेन्द्रित करने के साथ जनजाति के समुदायों के लिये विशेष विद्याालयों की स्थापना कर उन्हें गुणात्मक शिक्षा भी प्रदान कराने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। यहां तक कि कृषि में, उत्पादन के माामले में केवल वृद्धि के स्थान पर किसानों की आय तथा कल्याण की दिशा में प्रमुखता का परिवर्तन किया गया है।

इस वर्ष के बजट सम्भाषण के अच्छे हिस्से का मुख्य विषय कृषि था। सरकार ने एकबार फिर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। कहा गया था कि लक्ष्य है अधिक उत्पादन करने और अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वसूल करने में किसानों की सहायता करना। निम्नांकित महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा बजट में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये की गई।

- उत्पादन लागत का 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिये सामान्य मापदंड प्रारम्भ करना तथा पूरे देश में सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना।
 यह सुनिश्चित करना कि किसान को जो कीमत मिलती है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नही होगी, की व्यवस्था का भी वायदा सरकार ने किया।
- निर्धारित समयाविध में किसानों की आय को दुगनी किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपायों के लिये संस्थागत तंत्र बनाना। किसानों को इष्टतम कृषि मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिये, प्रत्यक्ष विक्री सीलों के रूप में 22000 ग्रामीण एग्रो सेण्टर्स को विकसित करना तथा 470 एपीएमसीज को ई—नाम से जोडा जाना।
- सरकार आलू, प्याज तथा टमाटर की कीमतों को विनियमित करने के लिये 'आपरेशन ग्रीन' का शुभारम्भ करगी जिससे किसानों के साथ उपभोक्ताओं के भी लाभान्वित होने की आशा है लेकिन अपेक्षित प्रभाव पैदा करने के लिये रु 500 करोड़ का आवंटन अधिक प्रतीत नहीं होता।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गत वर्ष के रु 750 करोड़ से बढ़ाकर
 रु. 1400 करोड़ किया गया। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये,
 विशिष्ट कृषि प्रसंस्करण तथा वित्तीय संस्थानों तथा समूह
 आधारित फसल उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

- कृषि निर्यात के लिये जिसके वर्तमान 42 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर की सम्भावना है, के लिए 42 वृहत (मेगा) खाद्य पार्कों में खाद्य कला परीक्षण सुविधाओं की अवस्था की स्थापना।
- कृषि साख का लक्ष्य गत वर्ष के 10 लाख करोड़ से बढ़ा कर 11लाख करोड़ बड़ाया गया। किसान केंडिट कार्ड योजना को मत्स्य पालन तथा पशुपालन योजनाओं के लिए भी बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

कृषि में, उत्पादन वृद्धि आय में वृद्धि की गारण्टी नहीं होती है। मूल्यों तथा बाजार में स्थिरता कृषि आय को निर्धाारित करने वाले प्रमुख कारक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का 150% पर निर्धारित करने वाले नये मानक कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिष्चित करने के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय हैं। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य तबतक किसानों को लाभ नहीं पहुंचाएगा जब तक बाजार का हस्तक्षेप, विशेषरूप से फसलों के कटने के समय जब कि मूल्य सबसे कम होते हैं। पूरे देश में बह् फसलों के लिए उत्पाद के परिवहन, भण्डारण तथा अन्य संचालन तंत्र के संदर्भ में बाजार का हस्तक्षेप होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शीघ्र खराब होनेवाले उत्पाद जैसे सब्जियां और अधिकांश फलों के लिये बाजार हस्तक्षेप में न केवल सरकारी खरीद उसका विक्री एवं प्रसंसकरण भी सम्मिलित है। बाजार के हस्तक्षेप के लिये इस पैमाने पर अपक्षित मूलभूत व्यवस्थायें तथा धन अभी मौजूद नहीं है। जो भी बजट में कहा गया गय है वह यह कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के परामर्श से नीति आयोग पूर्ण सुदृढ़ तंत्र के रूप में प्रस्तुत करेगी जिससे कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। ये भी देखा गया है कि बजट में वर्ष 2018-19 हेतु बाजार हस्तक्षेप की योजना तथा मूल्य समर्थन योजना के लिए केवल रु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो योजना के क्रियान्वयन में एक गम्भीर मामला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने का केवल एकमात्र उपाय ग्रामीण सहकारिताओं को बाजार हस्तक्षेप के लिए मूलभूत आवश्यकताओं और कार्यशील पूंजी से समर्थ बनाना है। तथापि, सरकार एकबार फिर सहकारिताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने तथा इस प्रक्रिया में उसे सम्मिलित करने में असफल हुई है। किसानों का संगठन होने के कारण कृषि सहकारिताएं भी फसल उत्पादन के बाद मूल्य संयोजन गतिविधियों का व्यापकरूप से सम्पन्न करती हैं, जैसे कि किसान उत्पादक संगठन, सहकारिताओं की कम्पनी के रूप



में अलग से स्थापित है। दशकों से ये संस्थायें चली आ रही हैं और अधिकांश को ये कार्य सम्पन्न करने के लिए मूलभूत सुविधाये तथा क्षमताओं की आवश्यकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से इन संस्थाओं को अपनी वर्तमान गतिविधियां, जो कृषि साख से सम्बन्धित सेवाएं हैं, के अतिरिक्त कृषि उपज के एकत्रीकरण, भण्डारण, प्रसंस्करण तथा विपणन, कार्यों को कराने के लिये इन्हें मजबूती प्रदान कराने के लिए एक योजना लागू करनी चाहिए।

बजट मे दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों सहित सहकारी गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को सम्मिलित नहीं किया गया है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिये पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन की घोषणा 2008-09 के बजट में की गई थी जो अभी तक उसी स्थिति में है।वो किसान जो एआरडी बैंकों से दीर्घ कालिक निवेश ऋण के साथ फसली ऋण की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, सरकार की फसली ऋण अनुदान योजना के ब्याज परिदान के लाभ से वंचित हैं। इसी प्रकार, हम भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक से एआरडी बैंकों को पूणकालिक बैंक में रूपानतरित करने के लिये मानक विकसित करने के लिए बार बार अनुरोध करते आ रहे हैं जिन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। एससीएआरडी बैंको को नाबार्ड का पुर्नवित्त शासकीय गारण्टी प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण धीरेधीरे मृतप्राय होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में, उन एससीएआरडी बैंको को ग्रामीण क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त ढंग से पूरा करने लिये उन्हे संसाधन युक्त योग्य संस्थान बनाने के लिये ,जो प्राथमिक सहकारी बैंक अथवा लघु वित्त बैंक का लाइसेन्स पाने के लिये अपेक्षित मानको को पूरा करते हैं, के पास एक मजबूत आधार है।

एससीएलडी बैंकों के ऋणपत्रों में निवेश हेतु 2018—19 के लिये बजट विनिधान

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने एससीएआरडी बैंकों के ऋणपत्रों में निवेश के लिये 1963 में, कृषि पूर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) की स्थापना काल से एक योजना चला रखी है। केन्द्रीय बजट भी योजना के कियान्वयन के लिये, राज्य सरकार से मिलान (अनुकूलन) के आधार पर, नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त नहीं प्राप्त होने की सीमा तक आवंटन प्रदान कर रहा था। फिर भी , पहली बार 2016-17 के बजट में बी ई स्तर पर यह योजना बन्द कर दी गई। बाद में फेडरेशन के अनुरोध पर 2016–17 के संशोधित बजट में यह सुविधा बहाल कर दी गई जो 2017-18 के बजट में प्रत्येक रु 25 करोड़ के आंवटन के साथ चालू रही। तथापि, यह पाया गया कि कृषि मंत्रालय को इस वर्ष के बजट में इस योजना को चालू रखते हुये आगामी बजट 2018-19 तक जारी रखने हेत् कोई आवंटन नहीं किया गया। कृषि में पूंजी निर्माण में योजना की ऊपर उठने की उपयोगिता को देखते हुए, फेडरेशन ने एकबार फिर कृषि मंत्रालय से 2018-19 के बजट हेतु आवंटन के लिये अंतिम अनुमोदन की स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के लिये अनुरोध किया है।

वर्ष 2017—18 हेतु एससीएआरडी बैंको के लिये योजनाबद्ध ऋण वितरण की नाबार्ड की पुर्नवित्त नीति

पुर्नवित्त सुविधा का लाभ उठाने हेतु योग्यता मानदण्ड नीचे दिये गये है :--

'ए' अथवा 'बी' सम्प्रेक्षा वर्गीकरण के साथ ही एससीएआरडी बैंक पुर्नवित्त के लिये पात्र होंगे। 'डी' सम्प्रेक्षा वर्गीकरण के साथ पीसीएआरडी बैंकों द्वारा वितरित ऋण पुर्नवित्त के पात्र नहीं होंगे। 2016—17 का सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन नाबार्ड के सम्बन्धित क्षेत्रीय

मानदण्ड	पुर्नवित्त की मात्रा
अ. कम जोखिम (65 व उससे अधिक अंक)	नाबार्ड द्वारा अनुमोदित तथा राज्य / बैंक के लिये कुल आवंटन बैंक
	के वास्तविक ऋण वितरण कार्यक्रम के स्तर तक पुर्नवित्त
ब. साधारण जोखिम (50 अंक से 64तक)	विगत तीन वर्षों की वसूली के औसत का 95% अथवा अंतिम वर्ष
की	वसूली का 95% जो भी कम हो, पुर्नवित्त की मात्रा होगी।
स. मध्यम जोखिम (४० अंक से ४९ तक)	ऐसे मामले आरओ की विशिष्ट संस्तुति सहित विचारार्थ प्रधान
द. उच्च जोखिम (40 अंक से कम)	कार्यालय संदर्भित किये जायेंगे।

कार्यालय पास अद्यतन 30.09.2017 तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। एससीएआरडी बैंकों का अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक का जोखिम मूल्यांकन 30.03.2016 की सम्प्रक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा। अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक का जोखिम मूल्यांकन 30.03.2017 की सम्प्रेक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर होगा 01.10.2017 को अथवा उसके बाद आहरण की अनुमति केवल



उन एससीएआरडी बैंको को दी जायेगी जिन्होनें 2016—17 का सम्प्रेक्षण पूरा करा लिया है तथा उपयुक्त सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन नाबार्ड के सम्बन्धित आर ओ के पास प्रस्तुत कर दिया है।

एससीएआरडी बैंकों को स्वचलित पुर्नवित्त सुविधा, पुर्नवित्त मात्रा की बिना किसी उच्चतम सीमा, बैंक ऋण अथवा कृषि अथवा अकृषि क्षेत्र दोनों की परियोजनाओं के लिये कुल वित्तीय परिव्यय के लिए दी जायेगी।

पुर्नवित्त की सीमा सभी महत्वपूर्ण वाले क्षेत्रों के लिये शत प्रतिशत होगी तथा अन्य सभी निवेश ऋण तथा कृषक साथी योजना के लिये अनुमोदित उद्देश्यों के लिए 95% होगी।

पुर्नवित्त पर ब्याज की दर

नाबार्ड से दीर्घ कालीन वित्त के लिए 22 जनवरी 2018 से प्रभावी निम्नाकित ब्याज दर है:--

क्रम	उत्पाद समूह	वार्षिक प्रतिशत	वार्षिक प्रतिशत
संख्या		अर्द्धवार्षिक अंतराज पर	अर्द्धवार्षिक अंतराज पर
		मौजूदा ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1.	5 वर्ष व उससे अधिक के लिए पुर्नवित्त	8.00	8.30
2.	3 वर्ष अधिक और 5 वर्ष तक के लिए पुर्नवित्त	8.10	8.40
3.	18 माह से अधिक और 3 वर्ष तक के लिए पुर्नवित्त	8.10	8.40

09 फरवरी 2018 से प्रभावी कम जोखिम वाले एससीएआरडी बैंको को अल्पकालीन पुर्नवित्त की संशोधित ब्याज दर 7.50% से 7.70% हो गई है।

नाबार्ड द्वारा एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त

2017—18 में राज्यवार एससीएआरडी बैंकों द्वारा नाबार्ड से आहरित पुर्नवित्त एवं 2018—19 हेतु पुर्नवित्त आंवटन का विगत 3 वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों सहित विवरण नीचे दिया जा रहा है।:— (करोड़ में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम		आवंटित किया गया पुर्नवित्त			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	गुजरात	80.00	80.00	80.00	0.00	100.00
2	हरियाना	124.81	161.39	100.00	73.13	100.00
3	हिमांचल प्रदेश	45.00	63.70	100.00	63.96	100.00
4	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-
5	कर्नाटक	236.36	250.00	239.73	350.00	350.00
6	केरल	1154.79	1450.09	1490.32	1095.02	1350.00
7	पांडिचेरी	-	-	_	-	-
8	पंजाब	532.00	518.08	538.30	286.52	400.00
9	राजस्थान	171.00	200.00	250.00	225.00	225.00
10	तमिलनाडु	-	-	_	-	
11	त्रिपुरा	-	-	_	-	
12	उत्तर प्रदेश	450.00	450.00	450.00	288.84	150.00
13	पश्चिम बंगाल	129.99	165.00	150.00	212.00	225.00
	योग	2923.95	3258.26	3397.34	2594.47	3000.00

2016—17 में रु 3397.34 करोड़ तथा 2015—16 में रु0 3258.26 करोड़ की तुलना में 2017—18 के दौरान एससीएआरडी बैंको द्वाराकुल आहरित पुर्नवित्त रु. 2594.47 करोड़ था। 2016—17 में की तुलना में वर्ष 2017—18 में लिये गये पुर्नवित्त में 23.6 प्रतिशत की



गिरावट आई।

पूर्णतया कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंकों में से केवल 9 एससीएआरडी बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त आहरित कर रहीं थीं। तथापि, राज्य सरकार से शासकीय गारण्टी न मिल पाने के कारण, गुजरात एससीएआरडी बैंक 2017—18 में कोई पुर्नवित्त आहरित नहीं कर सका। पूर्णतया कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंकों में से तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर, तथा पाण्डिचेरी शासकीय गारण्टी के अभाव में / पात्रता मानदण्ड को पूरा न कर पाने के कारण निरन्तर पुर्नवित्त के लिये अपात्र हैं। एससीएआरडी बैंक केरल जिसने रु. 1095.02 करोड का आहरण किया, 42.2% आंकलित कर पाया जो

कुल आहरण से 1.67% कम था। एससीएआरडी बैंक कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल के आहरण में वृद्धि हुई जबिक अन्य सभी के द्वारा किया गया आहरण गत वर्ष से कम रहा। (राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, तथा हिमांचल प्रदेश) पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल तथा हिरियाणा के एससीएआडी बैंकों के आहरण में उल्लेखनीय गिरावट पायी गई।

नाबार्ड ने 2017—18 में 8 एससीएआरडी बैंकों द्वारा किए गये कुल 2594.47 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018—19 के लिये 9 एससीएआरडी बैंकों हेत् रु. 3000 करोड़ का आवंटन किया है।

VII. सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है:-

नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया (एनसीयूआई)

फेडरेशन एनसीयूआई का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सिक्रय रूप से जुड़ा है। श्री के शिवदासन नायर उपाध्यक्ष, एनसीयूआई की सामान्य सभा में फेडरेशन के प्रतिनिधि हैं जिन्हें सर्वसम्मित से एनसीयूआई की संचालक परिषद के लिए चुना गया है। वर्ष के दौरान एनसीयूआई द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किये गये:—

- त) सहकारी संगठनों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिये तथा आइसीए सदस्य संगठनों से सम्बद्धता और साझेदारी विकसित करने के लिये, सहकारिताओं एवं सम्बद्ध व्यवसायिक परिक्षेत्र के क्षेत्र में विकास के अनुभव साझा करने हेतु दिनांक 2 मई 2017 से 12 मई 2017 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं प्रबोधन अमेरिका एवं कनाडा भ्रमण –जिसमें एनसीएआडीबीएफ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस. एस.मार ने भाग लिया।
- सहकारिताएं एवं सतत विकास लक्ष्यों पर विचार —संगोष्ठी :
 सितम्बर 2017 को नई दिल्ली में सदस्यों की भागीदारी,

- जिसमें एनसीएआडीबीएफ के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के. रविन्द्रन ने भाग लिया।
- 3) दक्षिण राज्यों में सहकरिता का विकास पर सम्मेलन आरआईसीएम बैंगलोर में 10 मार्च 2018 को आयोजित किया गया जिसमें एनसीएआडीबीएफ के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के. रिवन्द्रन ने भाग लिया।

फेडरेशन निम्नांकित अन्य राष्ट्रीयस्तर के संगठनों / संघों से भी सम्बद्ध है:--

कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (सीओबीआई)

फेडरेशन सीओबीआई का संस्थापक सदस्य है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री सुखदर्शन सिंह म्रार सीओबीआई के भी संचालक थे। वर्ष के दौरान ''सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अपनाने की आवश्यकता और महत्व तथा सहकारी बैंकों में डिजिटलीकरण पर 3से 6 सितम्बर के दौरान स्टॉकहोम, स्वीडैन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें श्री सुखबीर सिंह पंवार, उपाध्यक्ष एससीबी दिल्ली ने भाग लिया।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (नेफेक)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य सभा तथा संचालक मण्डल के सदस्य हैं।



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

श्री के.के. रिवन्द्रन प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन को भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी अधिनियम 1962 की धारा 3(4)(xvII) के अन्तर्गत एनसीडीसी की सामान्य परिषद का सदस्य नामित किया गया है। वर्ष के दौरान एनसीडीसी द्वारा 82वीं सामान्य सभा का आयोजन 21 नवम्बर 2017 को नई दिल्ली में किया गया था जिसमें एनसीएआडीबीएफ के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के. रिवन्द्रन ने भाग लिया।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से भी एसोसिएट सदस्यता बनाए हुए है:--

- इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आइएमसी)
- इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए)
- इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन
- इण्डियन टूरिज्म कोआपरेटिव लि. (आइटीसी)

सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीआइसीटीएबी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य परिषद के सदस्य हैं। फेडरेशन नियमित रूप से सीआईसीटीएबी के कार्यक्रमों के लिए सदस्य बैंकों से अधिकारी और गैर सरकारी पदाधिकारी नामित करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आईसीए)

फेडरेशन वैश्विक आइसीए के साथ ही आइसीए एशिया पैसिफिक रीजन का सदस्य है। फेडरेशन आइसीए की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है।

श्री के शिवदासन नायर, फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में आसीए—एपी के अन्तर्गत रीजनल कोआपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन के अभी भी अध्यक्ष हैं।

फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आईसीए के निम्नांकित कार्यक्रमों में भाग लिया:—

• 18 से 21 अप्रैल 2017 के दौरान हैनोई, विएतनाम में असईसीए-एपी द्वारा आयोजित 10वीं एशिया पैसिफिक

सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन— में फेडरेशन के श्री दलीप सिंह उपाध्यक्ष एवं श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया।

- 14 से 17 नवम्बर 2017 को कौलालमपुर मलेसिया में आयोजित आईसीए की महा सभा में फेडरेशन के श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष तथा श्री के.के. रविन्द्रन प्रबन्ध निदेशक, केरल एससीएआरडी बैंक के श्री सोलामन एलेक्स, अध्यक्ष, श्री देवदासन एवं श्रीमती अपर्णा प्रताप, महा प्रबन्धक ने भाग लिया।
- 13 नवम्बर से 17 नवम्बर 2017 तक कौलालमपुर, मलेसिया
 में लैगिक समानता सिमिति बैठक तथा आइसीए के अन्य
 कार्यक्रमों में फेडरेशन की मुख्य निदेशक सुश्री राजश्री आर.
 ने भाग लिया।
- आइसीए—एपी द्वारा 14 से 15 सितम्बर 2017 को हैदराबाद में आयोजित सहकारिताओं की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता पर परामर्श में तेलंगाना सहकारी एपेक्स बैंक लि. द्वारा नामित श्रीमती ज्योति, महा प्रबन्धक (एल एण्ड ए) तथा श्री के. अनन्तराव निदेशक सीटीआई ने भाग लिया।
- 28 फरवरी 2018 से 1 मार्च 2018 तक कोलम्बो श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक सहकारी विकास सम्मेलन में फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन तथा श्री कोण्डुरू रविन्दर राव अध्यक्ष तेलंगाना एससीएबी ने भाग लिया।

एशिया पेसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल केंडिट एसोसिएशन (एप्राका)

फेडरेशन एप्राका का संस्थापक सदस्य है।

इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन(आईआरयू)

फेडरेशन आई आर यू का सदस्य है। आईआरयू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष करते हैं। वर्ष के दौरान आई आर यू के कार्यक्रमों / बैंठकों में फेडरेशन की ओर से कोई प्रतिनिधान नहीं किया गया।



VIII. फेडरेशन का प्रबन्धन

सामान्य निकाय

सामान्य निकाय में फेडरेशन कें सदस्य होते हैं जिसमें प्रतिनिधि बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है। 31.03.2018 को फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत है:--

- असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. गुवाहटी।
- 2. बहु—राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार— झारखण्ड) पटना।
- 3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
- 5. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला
- 6. जम्मू—कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
- 7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बैंगलोर।
- 8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
- उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।

- 0. पाण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि. पाण्डिचेरी।
- 11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि. चण्डीगढ़।
- 12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
- 13. तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नई।
- 14. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
- 15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.,लखनऊ।
- 16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
- 17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि. नई दिल्ली।
- 18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि. शिलॉग।
- 19. तेलगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि. हैदराबाद।

निदेशक मण्डल

उपविधि संख्या 20(iii) के अनुसार फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में सामान्य निकाय से निर्वाचित 20 निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित 1 निदेशक, प्रबन्ध निदेशक जो फेडरेशन का पदेन सदस्य है, के अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा सहयोजित 2 निदेशक होते हैं।

31.03.2018 को प्रबन्धन मण्डल

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	प्रतिनिधि सदस्य बैंक
1.	श्री सुखदर्शन सिंह म्रार अध्यक्ष (दिसम्बर 2017 तक)	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड
2.	श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष	केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
3.	श्री दलीप सिंह यादव निदेशक	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
4.	श्री बिजय कुमार सिंह अध्यक्ष	बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (बिहार–झारखण्ड)
5.	श्री बी. एच. जडेजा निदेशक	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
6.	श्री के. के. रविन्द्रन	प्रबन्ध निदेशक
	<u>निदेशकगण</u>	
7.	डा. बिजेन्दर सिंह अध्यक्ष	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड



क्रम संख्या	सदस्य का नाम	प्रतिनिधि सदस्य बैंक
8.	पं. शिव लाल अध्यक्ष	हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
9.	श्री के. शदाक्षरी, एमएलए अध्यक्ष	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
10.	श्री एम. सियेम अध्यक्ष	मेघालय राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
11.	श्री बी. शाहुल अमीद अध्यक्ष	तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
12.	श्री कोण्डुरू रवीन्द्र राव अध्यक्ष	तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
13.	श्री राश बिहारी दत्ता अध्यक्ष	त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड
14.	श्री तेजिन्दर सिंह मिद्दूखेड़ा निदेशक	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड
15.	श्री के.पी.सिंह, प्रबन्ध निदेशक	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड
16.	श्री वाई. सी. नन्दा	सहयोजित सदस्य
17.	श्री जी. एस. मंगत	सहयोजित सदस्य

टिप्पणीः 31.03.2018 को निदेशक मण्डल में सामान्य सभा द्वारा 20 निदेशकों में से 13 निर्वाचित निदेशक,2 सहयोजित तथा प्रबन्ध निदेशक सिहत 16 सदस्य थे।

कार्यकारिणी समिति

उपविधि संख्या 26(ए) के अनुसार, कार्यकारणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित 5 बोर्ड के सदस्य होंगे।

- (1) श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष (दिसम्बर 2017 तक) (पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.)
- (2) श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष (केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (3) श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष (बहराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि.—बिहार—झारखण्ड)
- (4) श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष (हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (5) श्री बी.एच.जडेजा, उपाध्यक्ष (गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (6) श्री के. शदाक्षरी, एमएलए (कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

- (7) श्री बी. शाहुल अमीद (तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (8) श्री एम.सियेम (मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि.)
- (9) श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ।

प्रशासनिक समिति

उपविधि संख्या 27(ए) के अनुसार ,प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। 31.03.2018 को प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्य हैं:—

- 1. श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष (दिसम्बर 2017 तक)
- 2. श्री के. शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष
- 3. श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष
- 4. श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष
- 5. श्री **बी.एच. जडेजा,** उपाध्यक्ष
- **6.** श्री के.के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल



निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक नीचे सूचीबद्ध हैं:-

बैठकें	स्थान	तिथि
(ए) वार्षिक सामान्य निकाय (57वीं)	मुम्बई	21 जुलाई 2017
(बी) प्रबन्धक मण्डल		
152वां बोर्ड	मुम्बई	21 जुलाई 2017
153वां बोर्ड	बैंगलोर (कर्नाटक)	20 दिसम्बर 2017
154वां बोर्ड	चेन्नई (तमिलनाडु)	24 मार्च 2017
(सी) प्रशासनिक समिति	मुम्बई	21 जुलाई 2017

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर बोर्ड की बैठकों में विचार विमर्श हुआ

बोर्ड की बैठकें, सदस्य बैंकों के कियाकलापों की समीक्षा के अलावा नीतिगत एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित परिचालन के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिये अभी भी प्रमुख मंच है।

वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अन्तर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक किया कलापों तथा नाबार्ड से पुनिवित्त के अन्तर्गत ऋण वितरण, वसूली इत्यादि की आवधिक समीक्षा से सम्बन्धित नियमित विषयों पर विचार विमर्श के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा की:—

- 1. एआरडी बैंकों का भविष्य
- 2. एससीएआरडी बैंकों तथा सम्बद्ध पीसीएआरडी बैंकों में मानव संसाधन नीतियों पर कार्यदल का गठन।
- 3. निवेश ऋण में एआरडी बैंकों के बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये कार्यकारी समूह का गठन।
- 4. दिनांक 14 जून 2017 को सम्पन्न एससीएआरडी बैंकीं के मुख्यकार्यकारी अधिकारियों का सम्मेलन— विचार —विमर्श का सारांश।
- कार्यात्मक पुर्नगढन पर संगोष्ठी।
- 6. एससीएआरडी बैंको को मौसमी कृषि कियाकलापों के लिये वित्त पोषण हेतु नाबार्ड द्वारा अल्पकालीन पुर्नवित्त का प्राविधान— वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए नीति।
- 7. माननीय केन्द्रीय राज्यमंत्री कृषि, किसान कल्याण एवं पंचायती राज श्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ बैठक।
- सीजीआरआई बैठकों का अगला चक्र।
- 9. वर्ष 2017—18 के लिए नाबार्ड द्वारा एससीएआरडी बैंकों को पूर्नवित्त आवंटन।
- 10. वित्तीय वर्ष 2017—18 के कार्यक्रमों की तालिका।
- 11. एक जुलाई 2017 को 95 वां अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस तथा 23 वां संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस।

- 12. एआरडी बैंकों द्वारा जमा संग्रहण पर टीडीएस।
- 13. संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास एवं सहकारिताएं।
- समूह दृष्टिकोण पर आधारित एससीएआरडी बैंकों द्वारा कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के लिये अग्रगामी परियोजना।
- ग्रामीण साख में एआरडी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कार्यकारी समूह।
- 16. एआरडी बैंकों में मानव संसाधन नीतियों पर कार्यकारी दल-पहली बैठक की कार्यवाही।
- 17. सदस्य बैंको से सावधि जमा स्वीकार करना।
- 18. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक अनुमोदन—2017—18 के दौरान ईडीईजी घटक।
- 19. शताब्दी वर्ष की तैयारी के रूप में पुनरुद्धार कार्य योजना के दिशा निर्देश तैयार किया जाना ।
- 20. समूह आधारित एससीएआरडी बैंकों / एससीबी के सदस्यों द्वारा कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के लिये अग्रगामी योजना— दिशा निर्देश आलेख।
- 21. केन्द्रीय बजट 2018-19
- 22. 2018—19 के लिये राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणपत्रों में निवेश के लिए बजट आवंटन।
- 23. प्रसंविदा खेती के पर आदर्श अधिनियम
- 24. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2018
- 25. राष्ट्रीय पशुधन मिशन— ईडीईजी घटक— योजना को 28.02. 2018 तक जारी रखना।
- 26. पूर्नवित्त पर ब्याज की दर में संशोधन।
- 27. अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में एससीएआरडी बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा।
- 28. पूर्णतः कार्यशील एससीएआरडी बैंकों की लागत तथा नफा विवरण ।







IX. वित्त एवं लेखा

2017—18 की अस्तियां एवं दायित्व तथा आय और व्यय खातों का सारांश नीचे दिये गया है:

आस्तियां एवं दायित्व

(धनराशि लाख रू में)

क्रम संख्या	दायित्व	जैसा कि इस	। तिथि को था	क्रम संख्या	अस्तियां	जैसा कि इस	तिथि को था
		31-3-18	31-3-17			31-3-18	31-3-17
1.	आरक्षितं एवं अन्य कोष	2104.58	2030.29	1.	नगद एवं बैंक अवशेष	13.93	19.19
2.	प्रतिभूत ऋण	464.04	0.00	2.	निवेश	2280.99	1761.96
3.	अन्य दायित्व एवं प्रावधान	85.98	73.27	3.	अचल सम्पत्तियां	227.63	236.67
4.	आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित अधिशेष	14.88	12.96	4.	विविध देनदार और प्राप्तियां	117.64	90.99
				5.	ऋण एवं अग्रिम	27.99	5.30
				6.	विविध जमा एवं पूर्वदत्त व्यय	1.30	2.41
	योग	2669.48	2116.52		योग	2669.48	2116.52

आय एवं व्यय (धनराशि लाख रू में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
	आय	2017–18	2016–17
1.	एएमएस तथा सदस्य बैंकों से अतिरिक्त योगदान	80.72	78.78
2.	ब्याज एवं लाभांश आय	164.83	159.82
3.	अनुदान प्राप्त (भारत सरकार)	10.00	15.00
4.	विविध आय/अतिथिगृह सेवा प्रभार	0.07	0.17
5.	बीडीआरआर से वसूली अतिरिक्त प्रावधानों को उलटा तथापुराने का भुगतान को खारिज	3.77	3.86
	योग(1 से 5)	259.39	257.63
	व्यय		
1.	प्रबन्धन लागत	104.63	83.23
2.	अन्य कार्यालय व्यय	33.63	24.84
3.	बैठक / संगोष्ठी / सम्मेलन / व्यय	9.17	11.79
4.	परिसर रखरखाव व्यवस्था व्यय	10.13	9.53
5.	प्रावधान / निधियां	86.96	115.28
	योग(1 से 5)	244.52	244.67
	अधिशेष	14.87	12.96





X. सदस्य बैंको का संक्षिप्त विवरण

पूर्ण रूप से क्रियाशील एस.सी.आर.डी. बैंक

The content of the co							
गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड							
489, आश्रम रोड, नेहरू ब्रिज के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद—380 009							
ईमेल—gscardb@gmail.com वेबसाइट—www.kl	hetibank.org		दूरभाष-079-2658536	5/71/79			
अध्यक्ष श्री धीरेन कुमार बी. चौधरी		प्रबन्ध श्री वी	निदेशक .एम. चौधरी				
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 346 एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 346 जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 6.75% से 7.50%							
	प्रमुख वित्ती	य मानदण्ड		(धनराशि लाख रू में)			
विवरण	2015-	16	2016-17	2017-18			
ऋण बकाया	57275	5.60	56128.44	58754.31			
वितरित ऋण	15395	5.35	14256.09	17634.68			
कुल प्रदत्त पूंजी	4523	3.67	4563.35	4654.62			
निर्बाध आरक्षित निधियां	52762	2.30	53901.51	55518.56			
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	46	6.76	47.65	49.07			
अदत्त जमा	24781	.87	27200.72	26195.66			
उधार बकाया	39229	0.79	45702.35	46547.45			
शुद्ध लाभ	2087	46	1804.83	1843.98			
संचित हानियां यदि कोई हैं		_	_	_			

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड						
बे संख्या ३१–	34, सेक्टर 2, पच	<u> कुला</u> —134	112			
ईमेल— haryanaagribank@gmail.com / Website - www.ha	aryanacardbank.org		दूरभाष-0172 258704	0 / 2587069		
अध्यक्ष		प्रबन्ध	निदेशक			
श्री धनेश अदलखा		श्री नरे	श गोयल			
कर्मचारियों की स्थिति		ब्याज	•			
एससीएआरडी बैंक पर 🗕 72			गर ब्याज की दर—8.75% रे			
पीसीएआरडी बैंक पर 🗕 837			नंग्रहण पर ब्याज की दर –	6.50% 전 7.05%		
	प्रमुख वित्ती	य मानदण्ड		(धनराशि लाख रू में)		
विवरण	2015-	16	2016-17	2017–18		
ऋण बकाया	207542	2.38	201444.37	196679.28		
वितरित ऋण	17100).89	9865.75	7545.47		
कुल प्रदत्त पूंजी	4799	9.36	4729.36	4509.36		
निर्बाध आरक्षित निधियां	37682	2.81	37679.91	37718.41		
ानबाध आरक्षित ।नाधया पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)		2 . 81 आर	37679.91 एनआर	37718.41 एनआर		
	एन					
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एन	आर I.13	एनआर	एनआर		
पूजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%) जमा बकाया	एनः 11	आर 1.13 3.19	एनआर 223.43	एनआर 15.16		

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड(सूचना अप्राप्त)



				•	
हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड					
ब्लाक नम्बर डी—3, एसडीए काम्प्लेक्स, कसुमपटी, शिमला—171 009					
ईमेल—hpardbank@gmail.com / Website : www	/.hparbd.org	दूरभाष-0177 2621437			
अध्यक्ष पंडित शिव लाल			प्रबन्ध निदेशक श्री वाय. पी. एस. वर्मा, एचएएस		
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं पीसीएआरडी बैंक पर : 54	शाखाएं) : 177	ब्याज की ऋण पर ब जमा संग्रह	•	0%	
	य मानदण्ड		(धनराशि लाख रू में)		
विवरण	2015-	16	2016–17	2017–18	

	(धनराशि लाख रू में)		
विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
ऋण बकाया	35611.06	34042.25	42566.46
वितरित ऋण	9513.83	8746.46	8217.82
कुल प्रदत्त पूंजी	2069.20	2425.26	2440.36
निर्बाध आरक्षित निधियां	17.21	17.21	17.21
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	4.61	4.99	4.99
अदत्त जमा	9412.57	11821.63	13757.20
उधार बकाया	21331.50	26560.56	27083.93
शुद्ध लाभ	1386.50	500.00	0.85
संचित हानियां, यदि कोई हैं	_	_	_

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड				
12, पोस्ट आफिस लेन, हैदरपुरा, मुबारक अस्पताल के पास, श्रीनगर—190 014				
ईमेल—scardjk@rediffmail.com वेबसाइट—www.J&KSCARDB.org				392 / 2431965
अध्यक्ष श्री चेरिंग डोरजे	मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहम्मद असलम भट्ट			
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं)—240 जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 11.50% से 14.50% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर—7.25% 1 वर्ष व उससे 3				
1	प्रमुख वित्तीय मा	नदण्ड		(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015–16 2016–17 2017–1			2017-18
ऋण बकाया	489	5.42	5251.09	5285 40

	(धनराशि लाख रु म)		
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
ऋण बकाया	4895.42	5251.09	5285.40
वितरित ऋण	1311.15	788.94	1268.75
कुल प्रदत्त पूंजी	2955.22	2974.25	3011.51
निर्बाध आरक्षित निधियां	237.63	237.63	237.63
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	56.77	61.52	57.15
अदत्त जमा	9454.25	12935.41	16449.27
उधार बकाया	616.00	616.00	616.00
शुद्ध हानि	(623.00)	(356.61)	(825.07)
संचित हानियां यदि कोई हैं	5750.64	6107.24	6932.31



कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड				
टीपू सुल्तान पैलेस रोड, चमराजपेट, पी.ओ	ा. बॉक्स नम्बर 1811, फोर्ट, बैंगलोर—560 018			
ईमेल—finance.sldb@yahoo.com/ finance.sldb@gmail.com				
अध्यक्ष श्री के. शदाक्षरी एमएलए.	प्रबन्ध निदेशक श्री ए.सी. दिवाकरा, केसीएस			
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 312 पीसीएआरडीबैंक स्तर पर : 613	ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर — 3.00% से 6.00% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 9.40%			

	प्रमुख वित्तीय मानदण्ड		(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015–16	2016-17	2017-18
ऋण बकाया	163836.55	163460.32	185290.24
वितरित ऋण	27551.86	45077.84	19858.20
कुल प्रदत्त पूंजी	6725.36	7779.53	7867.46
निर्बाध आरक्षित निधियां	2832.04	2854.52	2854.52
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	5.80	6.05	एनआर
अदत्त जमा	19677.43	28396.81	35971.58
उधार बकाया	148048.62	146719.65	148731.22
शुद्ध लाभ	10.45	14.87	एनआर
संचित हानियां, यदि कोई हैं	_	_	_
एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)	•	•	•

केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड				
स्टेचू जंक्स	रान, थिरुवनन्थपु	रम — 695	001	
ईमेल—ho.cardbank@gmail.com वेबसाइट—www.kerala	alandbank.org		दूरभाष-0471-246059	5
अध्यक्ष श्री सोलोमन एलेक्स		प्रबन्ध नि श्री ई.देव	देशक ग्रदासन आई.ए.एस.	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडीबैंक स्तर पर : 221 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 1229	गोएआरडीबैंक स्तर पर : 221 ऋण पर ब्याज की दर—11.00% से 16.50%			
	प्रमुख वित्ती	य मानदण्ड		(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015-	16	2016–17	2017–18
ऋण बकाया	541045	5.72	583725.29	636161.04
वितरित ऋण	204988	3.08	203893.80	232755.01
कुल प्रदत्त पूंजी	15848	3.94	17312.51	18843.28
निर्बाध आरक्षित निधियां	19019).12	25300.68	30201.41
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	9.36		10.10	10.71
अदत्त जमा	86749.76		77716.02	59378.94
उधार बकाया	481680.47		565965.31	577682.28
शुद्ध लाभ	2432	2.03	2330.97	2827.81
संचित हानियां, यदि कोई हैं		_	_	_



पॉण्डिचेरी	पॉण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड					
नम्बर २४	नम्बर 24, कोलासनगर, उप्पलम, पुडुचेरी—605 001					
ईमेल—pccldb@dataone.in			दूरभाष-0413-235798	5		
प्रशासक श्री डी. कृष्णमूर्ति		प्रबन्ध निदे थिरु. ए. इ				
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 31		ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर : 14.00% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर : एनआर				
	प्रमुख वित्तीय म	ानदण्ड		(धनराशि लाख रू में)		
विवरण	2015-	-16	2016–17	2017–18		
ऋण बकाया	2120	6.60	2721.69	3021.58		
वितरित ऋण	1949	9.40	2422.05	2381.76		
कुल प्रदत्त पूंजी	44	5.32	455.56	463.69		
निर्बाध आरक्षित निधियां	23:	3.98	256.36	271.82		
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एन	आर	एनआर	एनआर		
अदत्त जमा	1740.91		2267.58	2691.86		
उधार बकाया	511.51		638.50	534.66		
शुद्ध हानि	(24	.34)	(30.24)	(21.39)		
संचित हानियां यदि कोई हैं	31	1.87	340.66	363.50		

				- 1 16		
TTOTT			-	रिपोर्टेड	/	~ TTTTT)
UHMIY	cnı	ппчи	TIC.	14415.4	(4721-11	स्मपाप्ता

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड					
एससीओ नम्बर 51—54, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17—बी, चण्डीगढ़—160 017					
ईमेल—sadbmd@gmail.com वेबसाइट—www.agrib.	ankpunjab.org		दूरभाष-0172-2708134	4 / 5011708	
अध्यक्ष श्री डी.पी.रेड्डी, आई.ए.एस		प्रबन्ध नि श्री हरिन	देशक दर सिंह सिद्धू		
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 136 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 785	ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर : 10.90% से 12.10% जमा संग्रहण पर ब्याज दर — 6.50% से 6.75%				
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (धनराशि				(धनराशि लाख रू में)	
विवरण	2015-	16	2016–17	2017-18	
ऋण बकाया	261795	.94	270241.17	264148.00	
वितरित ऋण	55979	.94	49022.07	28562.51	
कुल प्रदत्त पूंजी	7586	.65	7716.65	7853.00	
निर्बाध आरक्षित निधियां	36115	.02	37420.64	37831.00	
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	14	.32	13.12	13.02	
अदत्त जमा	35659.03		33631.65	34350.00	
उधार बकाया	233210.37		236863.30	240463.00	
शुद्ध लाभ	2542	.32	2410.35	713.46	
संचित हानियां, यदि कोई हैं		_	_	_	



राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड					
नेहरू सहकार भवन, वेस्टर्न ब्लॉक 22, गोदाम सर्किल, जयपुर—302 005					
ईमेल-rsldbjaipur@yahoo.co.in वेबसाइट-www.	rsldb.nic.in		दूरभाष-0141-2740440)	
प्रशासक श्री जी.एल.स्वामी		प्रबन्ध ि श्री विज	नेदेशक तय कुमार शर्मा		
कर्मचारियों की स्थिति– एनआर	ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर — एनआर जमा संग्रहण पर ब्याज दर—एनआर				
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (धनराशि लाख रू में)				(धनराशि लाख रू में)	
विवरण	2015-	·16	2016–17	2017–18	
ऋण बकाया	150491	1.08	153325.41	एनआर	
वितरित ऋण	24369	9.30	19527.79	एनआर	
कुल प्रदत्त पूंजी	387	1.69	3817.55	एनआर	
निर्बाध आरक्षित निधियां	18828	3.44	19292.40	एनआर	
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर		एनआर	एनआर	
अदत्त जमा	1010.14		1130.78	एनआर	
उधार बकाया	117399.03		119754.50	एनआर	
0पार वपगपा				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
शुद्ध लाभ		2.81	561.21	एनआर	

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड				
नम्बर 181, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चैन्नई — 600 004				
ईमेल—sldbchn@yahoo.co.in			दूरभाष— 044 — 24993	3854
अध्यक्ष थीरू. बी. शाहुल अमीद				
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर : 113 पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 475				
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (धनराशि लाख रू में)				
विवरण	2015-	·16	2016-17	2017–18
ऋण बकाया	154478	3.23	65918.34	66439.25
वितरित ऋण	81298	3.49	68187.37	70037.41
कुल प्रदत्त पूंजी	4037	7.12	4037.12	4037.12
निर्बाध आरक्षित निधियां	5699	9.98	5810.59	8101.13
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	9	9.01	37.33	एनआर
अदत्त जमा	24534.17		23655.36	20325.29
उधार बकाया	6400.75		6409.36	6394.77
शुद्ध लाभ	658.12		821.00	NR
संचित हानियां, यदि कोई हैं		_	_	_
एनआरका तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड(सूचना अप्राप्त।	-			



त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड				
3	ऑफिस लेन, अग	रतला— 799	9 001	
ईमेल—tcardbltd.2012@gmail.com			दूरभाष— 0381—232397	72
अध्यक्ष श्री राश बिहारी दत्ता		महा प्रबन्धक श्री प्रफुल्ल कुमार देबबर्मा		
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखायें) : 27		ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर — 14.25% से 16.25%		में 16.25%
प्रमुख वित्तीय मान				(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015–16		2016–17	2017–18
ऋण बकाया	223	2.65	1935.01	1646.94

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
ऋण बकाया	2232.65	1935.01	1646.94
वितरित ऋण	299.79	63.25	13.70
कुल प्रदत्त पूंजी	996.28	1029.92	1019.35
निर्बाध आरक्षित निधियां	33.69	33.69	33.69
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	45.48	39.53
उधार बकाया	1899.78	1417.05	961.02
शुद्ध लाभ / हानि *	65.90	(62.73)	19.69
संचित हानिया, यदि कोई हैं	1602.34	1665.07	1645.38

^{*}एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड					
10, माल एवेन्यू, लखनऊ —226 001					
ईमेल—upsgvb@yahoo.in		दूरभाष— 0522—2238844 / 3056439 / 2239806			
अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव			प्रबन्ध निदेशक श्री के.पी.सिंह		
कर्मचारियों की स्थिति					
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (धनराशि लाख रु में)					
विवरण	2015–16		2016–17	2017–18	
ऋण बकाया	352508.90		360456.16	336079.54	
वितरित ऋण	65570.88		23592.09	6251.27	
कुल प्रदत्त पूंजी	33067.38		33149.62	31822.82	
निर्बाध आरक्षित निधियां	94554.10		80661.20	79628.77	
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	25.28		22.89	23.76	
अंदत्त जमा	5732.97		7513.37	6033.79	
उधार बकाया	157823.68		166641.86	151300.57	
शुद्ध लाभ / हानि*	1516.00		(2695.86)	191.80	
संचित हानिया, यदि कोई हैं	- 2695.86 2504.06		2504.06		
*कोष्ठक में अंकित धनराशि हानि दर्शाती हैं।					



पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

25—डी, शेक्सपियर सराय, कोलकता— 700 017

ईमेल-wbscardb@gmail.com दूरभाष - 033-22871786 / 87

प्रगन्ध निदेषक :

श्री आशीष कुमार मोण्डल

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 85

पीसीएआरडी बैंक स्तर पर : 573

ब्याज की दर

ऋण पर ब्याज की दर — 9.79%

जमा संग्रहण पर ब्याज की दर - 7.15%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
ऋण बकाया	106708.25	107724.88	110015.55
वितरित ऋण	19530.65	18736.73	22333.84
कुल प्रदत्त पूंजी	4087.46	4145.40	4161.11
निर्बाध आरक्षित निधियां	1707.29	1824.38	2001.55
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	5.00	5.16	5.38
अदत्त जमा	18107.89	20246.72	20577.52
उधार बकाया	85565.20	81565.16	84030.41
शुद्ध लाभ	60.20	59.28	244.05
संचित हानिया, यदि कोई हैं	1313.56	1313.91	1211.27

राज्य सहकारी बैंक

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड				
31,नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली—110 002				
इमेल—bkg.dscb@gmail.com/dscbho@gmail.com	दूरभाष-011-23272447 / 23281875			
अध्यक्ष डा. बिजेन्द्र सिंह	प्रबन्ध निदेशक श्रीमती अनिता रावत			
कर्मचारियों की स्थिति प्रधान कार्यालय : 52 शाखाएं : 475	ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर —7.00% से 17.50% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 4.00% से 7.00%			

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
ऋण बकाया	59500.09	66742.41	76965.33
वितरित ऋण	47494.82	58866.53	55473.36
कुल प्रदत्त पूंजी	819.96	971.19	1335.98
निर्बाध आरक्षित निधियां	19538.30	20557.67	23557.44
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	29.15	27.30	47.36
अदत्त जमा	101966.24	116478.26	114184.35
उधार बकाया	3340.50	1777.06	1103.29
शुद्ध लाभ	1140.44	2857.51	2913.17
संचित हानिया, यदि कोई हैं	_	_	_



मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड				
एम.जी. मार्ग, प्रधान कार्यालय, शिलांग—793 001				
इमेल — aapexbank@sancharnet.in / Web : www.mcab.gov.in		दूरभाष-0360-2224160 / 3753		
अध्यक्षः		प्रबन्ध निदेश	प्रबन्ध निदेशक :	
श्री मार्चिनना सीईएम		श्री ओसमंड ई. जे. नोंगब्री		
कर्मचारियों की स्थिति प्रधान कार्यालयं : 154 शाखाएं : 449		ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर — 7.00% से 13.50% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 5.65% से 7.00%		
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (धनराशि लाख रु				(धनराशि लाख रू में)
विवरण	2015–16		2016–17	2017–18
ऋण बकाया	105745.07		106792.85	117281.45
वितरित ऋण	31663.00		23360.00	11846.00

	3-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11		
विवरण	2015–16	2016–17	2017-18
ऋण बकाया	105745.07	106792.85	117281.45
वितरित ऋण	31663.00	23360.00	11846.00
कुल प्रदत्त पूंजी	856.79	919.80	935.75
निर्बाध आरक्षित निधियां	11252.26	11497.52	12123.90
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	23.17	18.98	21.00
अदत्त जमा	185809.61	225999.67	245978.99
उधार बकाया	3865.37	4475.37	5004.53
शुद्ध लाभ	250.46	807.25	2078.22
संचित हानिया, यदि कोई हैं	_	_	_

तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड				
4—1—441, ट्रुप बाज़ार, हैदराबाद—500 001				
ई मेल— mdoffice@tscab.org वेबसाइट—wwv	v.tscab.org	दूरभाष नम्बर—040.23443822		
अध्यक्ष श्री कोन्डुरू रविन्दर राव		प्रबन्ध निदेशक डा. नेथि मुरलीधर		
कर्मचारियों की स्थिति प्रधान कार्यालय : 211 शाखा पर : 247	प्रधान कार्यालय : 211		ब्याज की दर ऋण पर ब्याज की दर — 9.50% से 15.00% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर — 4.00% से 7.10%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड (धनराशि लाख रू में)				
विवरण	2015–16		2016–17	2017–18
ऋण बकाया	408028.01		445789.78	519575.61
वितरित ऋण	535553.25		426463.45	604400.18
कुल प्रदत्त पूंजी	10927.05		12048.16	14410.03
निर्बाध आरक्षित निधियां	13244.98		14178.75	15290.86
पूंजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	1.66		1.67	1.89
अदत्त जमा	325241.39		342438.44	385125.24
उधार बकाया	305537.28		320204.38	338891.85
शुद्ध लाभ	1697.23		5906.87	6656.45
संचित हानिया, यदि कोई हैं		_	_	_







XI. 2017-18 के दौरान सदस्य बैंकों के कार्यों पर प्रतिवेदन

1. सामान्य जानकारी

31 मार्च 2018 को फेडरेशन की सदस्यता में 16 एससीएआरडी बैंक तथा 3 एससी बैंक सम्मिलित हैं। 16 एससीएआरडी बैंकों मे से 7 बैंकों का स्वरूप संघीय है जो पीसीएआरडी बैंकों से सम्बद्ध हो कर बुनियादी स्तर पर कार्य कर रही हैं तथा 7 का स्वरूप एकात्मक है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्यकर रहीं हैं एवं अवशेष 2 एससीएआरडी बैंक कुछ क्षेत्रों में पीसीएआरडी बैंकों के साथ मिश्रित स्वरूप में तथा राज्य के अन्य दूसरे क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के साथ कार्य कर रहीं हैं। मुख्य रूप से पूर्व लेखा परीक्षित आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2017—18 में पूर्ण रूप से कियाशील एससीएआरडी बैंकों की संगठनात्मक एवं परिचालन सम्बन्धी जानकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट इस अनुभाग में दी गई है।

एकात्मक / मिश्रित स्वरूप के पूर्ण रूप से कार्यशील एससीएआरडी बैंक अपनी 679 शाखाओं के माध्यम से कार्यकर रहे थे जब कि संघीय ढांचे में 602 पीसीएआरडी बैंक तथा 473 पीसीआरडी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क 31 मार्च 2018 को था। 31.03.2018 को पूर्णरूप से कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंकों की सदस्य संख्या 101.78 लाख थी जिसमें ऋण लाभार्थी सदस्यों की संख्या 54.26 लाख थी। 31.03. 2018 को पूर्णरूप से कार्यशील एससीएआरडी बैंकों में से राज्य स्तर पर 9 बैंकों के निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल हैं तथा 602 पीसीएआरडी बैंकों में से 561 के भी निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल हैं।

संरचना, सदस्यता कर्मचारी तथा निर्वाचित बोर्ड से सम्बन्धित समस्त सूचनायें नीचे तालिका में दी गई हैं।

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2017 को	31.03.2018 को
1)	एससीएआरडी बैंको की संख्या (संघीय)	7	7
2)	एससीएआरडी बैंको की संख्या (एकात्मक)	7	7
3)	मिश्रित प्रणाली वाले एससीएआरडी बैंको की संख्या	2	2
4)	एससीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या (एकात्मक)	672	679
5)	पीसीएआरडी बैंको की संख्या (संघीय)	602	602
6)	पीसीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या (संघीय)	463	473
7)	कुल सदस्य संख्या (लाखों में)	102.70	101.78
8)	मद संख्या ७ में से ऋण लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	55.14	54.26
9)	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले एससीएआरडी बैंकों की संख्या	9	9
10)	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाली पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	565	561
11)	एससीएआरडी बैंकों में कार्मिकों की संख्या	5039	4902
12)	पीसीएआरडी बेंकों में कार्मिकों की संख्या	5062	4981

2. वितरित ऋण

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्ण रूप से कार्यशील) द्वारा 2016—17 में रु 4641.61 करोड़ के कुल ऋण वितरण के सापेक्ष 2017—18 के दौरान नवम्बर 2016 में विमुद्रीकरण के दुष्परिणामस्वरूप कार्य संचालन में अवरोध के कारण 5.98% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हुए रु. 4363. 92 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। शीर्ष बैंक स्तर पर इन बैंकों का कुल ऋण बकाया गत वर्ष के रु. 20210.44 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017—18 में 1.69% की वृद्धि के साथ रु. 20551.34 करोड़ रहा।

उधार राशियां

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णरूप से कार्यशील) की ऋण राशियां 2016—17 में दिये गये ऋण रु. 3998.71 करोड़ से घटकर 2017—18 में रु. 3088.79 करोड़ पर पहुंच गई। वर्ष के दौरान बैंकों को रु. 2586. 97 करोड़ के पुर्नवित्त सहयोग के साथ जो बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण का 83.75% था, नाबार्ड ऋण का प्रमुख स्त्रोत बना रहा। इन एससीएआरडी बैंकों द्वारा अवशेष 16.25% ऋणों का स्त्रोत सरकार,



एनसीडीसी, एनएचबी तथा अनेक एससीबी रहे। 13 एसीएआरडी बैंकों (पूर्ण कार्यशील) का उधार बकाया 31मार्च 2017 के रु. 15425. 72 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2018 को रु. 14996.23 करोड़ था। 4 बैंको अर्थात हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तथा पश्चिम बंगाल, के उधार बकाया में वृद्धि हुई जबिक 7 राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई। जम्मू कश्मीर बैंक ने अपनी बकाया ऋण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया।

4. जमा संग्रहण

राजस्थान और त्रिपुरा को छोड़ कर शेष सभी पूर्ण कार्यशील एससीएआरडी बैंक प्रतिवेदित वर्ष में दौरान निक्षेप जमा ले रहे थे। इन बैंको के जमा में मुख्य रूप से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित अनेक जमा योजनायों में सदस्यों के जमा सिम्मिलत हैं। कुछ एससीएआरडी बैंक नाबार्ड द्वारा 1997 में जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत एससीएआरडी बैंकों को जमा संग्रहण के लिए दी गई अनुमित के आधार पर 1 से 3 वर्ष की अविध के साविध जमा का संग्रहण भी कर रहे हैं। 31.03.2017 को रु. 2244.19 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2018 को एससीएआरडी बैंकों का कुल बकाया जमा रु. 2128.17 करोड़ था। जिसमें गत वर्ष की तुलना में 5.17% की गिरावट दर्ज की गई।

वित्तीय उपलब्धि

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) की 31 मार्च 2018 को लाभ / हानि की स्थिति दर्शाती है कि 10 एससीएआरडी बैंक लाभ में हैं तथा अवशेष 3 एससीएआरडी बैंकों (हरियाणा, जम्मू व कश्मीर तथा पाण्डिचेरी) को हानि हुई। हरियाणा को छोड़ कर सभी एससीएआरडी बैंकों जिन्होने वर्ष के दौरान नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त किया था, इस बार भी लाभ पर रहे। तमिलनाडु यद्यपि नाबार्ड से पुर्नवित्त नही प्राप्त कर रहा है फिर भी वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में बढ़त बनाये हुये है। कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु के सम्प्रेक्षित आंकड़े एकबार प्राप्त होने पर, स्थिति में बदलाव होने की सम्भावना है। इन बैंकों के

संदर्भ में समीक्षा के लिए गत वर्ष की स्थिति को बरकरार रखा गया है।

अनर्जक परिसम्पत्तियां

31.03.2018 को 13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) को कुल बकाया ऋण रु. 20075.85 करोड़ था जिसमें कुल एनपीए रु. 4898. 96 करोड़ था जो 31.03.2017 को कुल बकाया ऋण के 25.30% एनपीए के सापेक्ष कुल बकाये का 24.40% था। 13 एससीएआरडी बैंकों में से 3 एससीएआरडी बैंकों का एनपीए उल्लेखनीय रूप से औसत स्तर 5 प्रतिशत से नीचे था।

7. वसूली कार्य-निष्पादन

शीर्षस्थ एवं अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर वार्षिक वसूली प्रगति का आंकलन प्रत्येक वर्ष 30 जून को किया जाता है। तथापि मांग वसूली और अवशेष की नवीनतम स्थिति 30 जून 2017 तक की उपलब्ध है। 30 जून 2017 के अंत में 13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) की बुनियादी स्तर की कुल मांग रु. 12578.93 करोड़ थी जिसके विरुद्ध रु 4835.92 करोड़ की ऋण वसूली हुई जो कुल मांग का 38. 44% था जबिक 30.06.2016 को ऋण वसूली 56.23% थी। 4 एससीएआरडी बैंकों का, अर्थात, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी एवं तमिलनाडु का अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर वसूली प्रतिशत 50% से अधिक था जबिक गुजरात, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर , पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल एससीएआरडी बैंक 50% से नीचे की सीमा में थे। 30.06.2016 को रु. 5079.21 करोड़ की तुलना में 30.06.2017 को अतिदेयों की धनराशि रु० ७७४३.०१ करोड़ थी जो गत वर्ष की तुलना में रु० २६६३.८० करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। ऋण वसूली का वातावरण कुछ राज्यों में ऋण माफी योजना की घोषणा तथा विमुद्रीकरण के बाद के प्रभाव के कारण बिगड गया था।



XII. आभार

अपनी संरचना को सुदृढ़ बनाने और सदस्य बैंकों के कार्य व्यवसाय में वृद्धि के अपने प्रयासों के अन्तर्गत, फेडरेशन केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिर्जव बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये है। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को उसके द्वारा निरन्तर दिये जा रहे समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता हैं।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग प्रदान करता रहा है साथ ही दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये नेतृत्व प्रदान करता रहा है। प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुर्नवित्त सहयोग तथा दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

हम, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहे एन.सी.डी.सी.,एनएचबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों के प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हैं जिससे उन्हें अपने सदस्यों को उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरा करने में मदद मिली है।

एन.सी.यू.आई. अपना सक्रिय सहयोग फेडरेशन के क्रियाकलापों में करता रहा है। फेडरेशन इस उदारता की सराहना करते हुये श्री चन्द्र पाल सिंह अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी डा. दिनेश के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा हैं। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, किमयों विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री सुखदर्शन सिंह म्रार (दिसम्बर 2017 तक अध्यक्ष रहे) के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिन्होनें श्री के शिवदासन नायर, उपाध्यक्ष, श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष तथा श्री बी.एच जडेजा, उपाध्यक्ष के कुशल सहयोग के साथ फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना के चुनौतीपूर्ण समय में इस क्षेत्र को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करते हुये अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रिवन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होनें पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से.

के. शिवदासन नायर अध्यक्ष



तालिका 1 – ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष

1	_
1	Ŧ
٠	_
•	장
	િ
	8
	2
	Į b
	ᆈ
	_

									``
		2017	2017-18 में वितरित ऋण	来可	77	31 मार्च	31 मार्च 2018 को बकाया ऋण	ग ऋण	बकाया ऋण
क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएचएस/एस. टीऋण/अन्य सहित)	कुल वितरित ऋण (3+4)	2016=17 में वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएचएस/एस. टीऋण/अन्य सहित)	कुल बकाया ऋण (7+8)	वयाचा तथा 31 मार्च 2017 को
~	2	3	4	5	9	7	8	6	10
+	गुजरात	एनआर	एनआर	17634.68	14256.09	एनआर	एनआर	58754.31	56832.93
2.	हरियाणा	5069.06	2480.16	7549.22	9835.00	130760.81	65918.47	196679.28	201444.37
3.	हिमांचल प्रदेश	6100.34	2117.48	8217.82	8759.01	29413.84	13152.62	42566.46	34042.25
4.	जम्मू व कश्मीर	688.93	579.82	1268.75	788.94	3794.25	1491.15	5285.40	5251.09
5.	कर्नाटक	19850.09	8.11	19858.20	45077.04	184018.58	1271.66	185290.24	183460.32
9.	केरल	82882.90	149872.11	232755.01	203893.80	183894.52	452266.52	636161.04	583725.29
7.	पाणिडचेरी	0.00	2381.76	2381.76	2422.05	0.00	3021.58	3021.58	2721.69
8.	पंजाब	22531.47	6031.04	28562.51	49022.07	166706.17	93163.16	259869.33	264206.37
9.	राजस्थान *	एनआर	एनआर	19527.79	19527.79	एनआर	एनआर	153325.41	153325.41
10.	तमिलनाडु	0.00	70037,41	70037,41	68187.37	0.00	66439.25	66439.25	65918.34
11.	त्रिपुरा	9.20	4.50	13.70	63.25	430.98	1215.96	1646.94	1935.01
12.	उत्तर प्रदेश	4612.61	1638.66	6251.27	23592.09	277647.28	58432.26	336079.54	360456.16
13.	पश्चिम बंगाल	19146.40	3187.44	22333.84	18736.73	79828.70	30186.85	110015.55	107724.88
	योग [1 से 13]	160891.00	238338.49	436391.96	464161.23	1056495.13	786559.48	2055134.33	2021044.11
	,								

टिप्पणी: (1) एनआर का तात्मर्य सूचना अप्राप्त। (2) *31.03.2017 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय हैं।



तालिका २ – उधार राशियां

(धनराशि लाखों में)

		वा	र्ष 2017–18	के दौरान एक	त्रित	कुल	योग
क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	2017-18 (3+4+5+6)	(2016-17)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8200.01
2.	हरियाणा	7313.22	39.29	15039.29	33917.67	56309.47	74495.14
3.	हिमांचल प्रदेश	6396.00	0.00	0.00	271.90	6667.90	10000.00
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	19249.79	- 553 . 59	165.01	— 16849 . 64	2011.57	-1328.97
6.	केरल	124501.50	0.00	0.00	0.00	124501.50	169031.52
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	-103.84	-103.84	126.99
8.	पंजाब	28652.01	0.00	0.00	0.00	28652.01	53829.89
9.	राजस्थान *	22500.00	128.09	128.09	10000.00	32756.18	25516.64
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	28883.98	0.00	0.00	8000.00	36883.98	45000.00
13.	पश्चिम बंगाल	21200.00	0.00	0.00	0.00	21200.00	15000.00
	योग (1 से 13)	258696.50	-386.21	15332.39	35236.09	308878.77	399871.22

टिप्पणी : * आंकड़े मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च 2018 से लिए गये हैं।



तालिका ३ – उधार राशियों का अवशेष

(धनराशि लाखों में)

		31 मार्च	2018 को उ	धार राशियों	का बकाया		योग
क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	नाबार्ड से	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	31.03.2018 की स्थिति (3+4+5+6)	31.03.2017 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	12085.11	89.22	260.44	0.00	12434.77	18105.61
2.	हरियाणा	85325.27	3441.13	53733.15	22709.67	165209.22	173880.63
3.	हिमांचल प्रदेश	26434.50	610.06	39.37	271.90	27355.83	26560.56
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
5.	कर्नाटक	99964.99	2480.06	2035.87	44250.30	148731.22	146719.65
6.	केरल	576895.41	390.77	390.77	5.33	577682.28	565965.31
7.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	534.66	534.66	638.50
8.	पंजाब	214320.33	196.52	18.83	0.00	214535.69	236863.31
9.	राजस्थान #	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	112270.08	119761.21
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	6389.37	5.40	6394.77	6409.36
11.	त्रिपुरा	919.17	1.61	40.23	0.00	961.01	1417.05
12.	उत्तर प्रदेश	127760.30	447.41	447.41	20211.98	148867.10	164070.09
13.	पश्चिम बंगाल	83939.92	31.13	59.36	0.00	84030.41	81565.16
	योग (1 से 13)	1227645.00	7967.19	63751.52	87989.24	1499623.04	1542572.44

टिप्पणी : (1) एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त। (2) # आंकड़े मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च 2018 से लिए गये हैं।



तालिका 4 - जमा संग्रहण

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	निक्षेप जमा में	वृद्धि की स्थिति	जमा बकाय	ा की स्थिति
तिष्या	Cereniconesis in the first	2016-17	2017-18	31-03-2017	31-03-2018
1.	गुजरात	23535.45	21090.91	27200.71	26195.66
2.	हरियाणा	213.00	0.00	223.43	15.16
3.	हिमांचल प्रदेश	2409.06	1935.57	11821.63	13757.20
4.	जम्मू व कश्मीर	3481.16	3513.86	12935.41	16449.27
5.	कर्नाटक	8719.38	7574.77	28396.81	35971.58
6.	केरल	36212.51	23878.97	70522.30	51207.55
7.	पाण्डिचेरी	526.67	424.28	2267.58	2691.86
8.	पंजाब	21096.14	21360.00	19635.84	19654.00
9.	तमिलनाडु	21860.86	17831.36	23655.36	20325.29
10.	उत्तर प्रदेश	4252.10	1570.06	7513.37	5972.35
11.	पश्चिम बंगाल	2138.83	330.80	20246.72	20577.52
	योग (1 से 11)	124445.16	99510.58	224419.16	212817.44



तालिका 5 - लाभ/हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31.03.2017 की स्थिति	31 मार्च 2018 को
1.	गुजरात	1804.83	1843.98
2.	हरियाणा	(21809.87)	(3188.11)
3.	हिमांचल प्रदेश	500.00	0.85
4.	जम्मू व कश्मीर	(356.60)	(825.07)
5.	कर्नाटक *	14.87	14.87
6.	केरल	2330.97	2827.81
7.	(पाण्डिचेरी	(30.24)	(21.39)
8.	पंजाब -	2410.35	713.46
9.	राजस्थान *	561.21	561.21
10.	तमिलनाडु *	821.00	821.00
11.	त्रिपुरा	(40.80)	19.69
12.	उत्तर प्रदेश	(2695.86)	(191.80)
13.	पश्चिम बंगाल	59.28	244.05

टिप्पणीः(1) कोष्ठक में अंकित धनराशि हानि दर्शाती है।

(2) *31.03.2017 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय हैं।



तालिका 6 - गैर निष्पादित आस्तियां (एन. पी. ए.)

	•						(धनराशि लाखों में)
			31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2018 को	
क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	कुल बकाया त्रण में एन.पी.ए. का %	कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	कुल बकाया त्रण में एन.पी.ए. का %
1.	गुजरात	59632.93	30542.83	51.22	58474.31	30542.83	52.23
2.	हरियाणा	201444.37	159135.27	79.00	196679.28	163363.54	83.06
.s.	हिमांचल प्रदेश	34042.25	7405.30	21.75	42566.46	9820.22	23.07
4	जम्मू व कश्मीर	5251.09	901.41	17.17	5285.40	923.10	17.47
5.	कर्नाटक *	183460.32	39692.35	21.64	183460.32	39692.35	21.64
.9	केरल	583725.29	6140.96	1.05	636161.04	3199.23	0.50
7.	पाणिडचेरी	2721.69	38.05	1.40	3021.58	57.98	1.92
8.	पंजाब	262812.98	10710.19	4.08	259869.33	11781.21	4.53
.6	राजस्थान *	153325.42	62346.08	40.66	153325.42	62346.08	40.66
10.	तमिलनाडु *	65918.34	13363.49	20.27	65918.34	13363.49	20.27
11.	त्रिपुरा	1935.31	963.31	49.78	1646.94	773.74	46.98
12.	उत्तर प्रदेश	313290.72	142883.15	45.61	291161.28	128434.70	44.11
13.	पश्चिम बंगाल	107724.88	25535.20	23.70	110015.55	25597.15	23.27
	TOTAL [1 TO13]	1975285.59	499657.59	25.30	2007585.25	489895.62	24.40

टिष्पणीः *31.03.2017 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय हैं।।



तालिका ७ - मांग, संग्रहण, अवशेष की स्थिति

			الاد حالاد	तालका ७ -	- माग, सग्रहण,	ग, अवश्राष	िका स्थित	ᆫ		(धनर	(धनराशि लाखों में)
	ı	शीर्षस्थ	शीर्षस्थ बैंक स्तर पर	ार ३० जून २	30 जून 2017 की स्थिति	30.06.2016	आंतम ऋण	लाभार्थी स्तर फ	अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर ३० जून 2017 की स्थिति	' की स्थिति	30.06.2016
क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	मांग	ऋण वस्ली	अवशेष	वसूली प्रतिशत (%)	का वसूला प्रतिशत (%)	मांग	ऋण बसूली	अवशेष	वसूली प्रतिशत (%)	का वस्ला प्रतिशत (%)
1.	गुजरात	59236.90	18479.82	40757.08	31.20	39,64	59236.90	18479.82	40757.08	31.20	39.64
2.	हरियाणा	146320.01	17377.25	128942.76	11.88	27.18	159618.24	24689.16	134929.08	15.47	31.28
3.	हिमांचल प्रदेश	11975.22	3829.36	8145.86	31.98	45.97	12887.87	4742.01	8145.86	36.79	54.68
4.	जम्मू व कश्मीर	1874.63	951.31	923.32	48.18	50.61	1874.63	951.31	923.32	48.18	50.61
5.	कर्नाटक	104606.54	46041.80	58564.74	44.01	65.68	69346.94	42593.42	26753.52	61.42	67.53
.9	केरल	161342.48	159587.83	1754.65	98.91	99.26	215914.81	154062.34	61852.47	71.35	75.32
7.	पागिडचेरी	2380.83	2255.48	125.35	94,74	94.67	2380.83	2255.48	125,35	94.74	94.67
8.	पंजाब	58356.97	35774.67	22582.30	61.30	85.56	179051.15	35007.01	144044.14	19.55	54.15
9.	राजस्थान	93539.30	28052,52	65486.78	29,99	35.78	117845.54	39990.20	77855.34	33,93	35.29
10.	तमिलनाडु	82821.74	70423.78	12397.96	85.03	86.83	108061.38	97292.51	10768.87	90.03	60*68
11.	त्रिपुरा	1473.00	574.37	898.63	38.99	50.23	1473.00	574.37	898.63	38.99	50.23
12.	उत्तर प्रदेश	256697.60	35855.35	220842.25	13.97	44.41	256697.60	35855.35	220842.25	13.97	44.41
13.	पश्चिम बंगाल	64539.40	24614.83	39924.57	38.14	42.85	73503.70	27098.79	46404.91	36.87	34.45
	योग (1 से 13)	1045164.62	443818.37	601346.25	42.46	60.15	1257892.59	483591.77	774300.82	38.44	56.23



तालिका 8 - नेटवर्क, सदस्यता चयनित प्रबन्ध मण्डल एवं कर्मचारी (एससीएआरडी बैंक)

		,																	
	एससीएआरडी बेंक का नाम	शाखाओं (एकात्मक/मि	शाखाओं की संख्या (एकात्मक/मिश्रित स्वरूप)	पीसीएआरडी बैंकों की संख्या (संघीय/मिश्रित ढांचा)	बैंकों की संख्या पिश्रत ढांचा)	पीसीएआरर्ड (फेडरल स्ट्रक्चर)	पीसीएआरडी बैंको ल स्ट्रक्चर) की संख्या	कुल सदस्य संख्या (ऋणी एवं गैर ऋणी)	य संख्या गैर ऋणी)	ऋणी सदस्य	10	क्या एससीएआरडी है का निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल है?(हां/नहीं)	आरडी बैंक । प्रबन्धन (हां/नहीं)	पीसीएआरडी बैंकों की संख्या जहां निर्वाचित बोर्ड है	डी बैंकों ग जहां बोर्ड है	एससीएआरडी के कर्मचारि की संख्या	ससीएआरडी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या	पीसीएआरडीबेंकों के कर्मचारियों क संख्या	डडीबेंकों स्यों की ग
Ē		31.3.2017	31.3.2017 31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31 3 2018	31.3.2017 31.3.2018 31.3.2017 31.3.2018 31.3.2017 31.3.2018 31.3.2017 31.3.2018 31.3.2018	1.3.2018 3	1.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	1 3 2018
7.	गुजरात *	181	181	एनए	एनए	एनए	एनए	58823	37504	6485	8878	हां	हां	एनए	एनए	346	342	एनए	एनए
2.	हरियाणा	0	0	19	19	92	92	735868	728305	152253	131370	खं	खं	19	19	92	72	606	837
3.	हिमांचल प्रदेश	44	51	1	1	20	30	85788	87646	28969	29421	हां	हां	1	1	109	177	54	54
4.	जम्मू व कश्मीर	51	12	एनए	र्णनए	एनए	प्रनए	96996	97381	77106	77565	नहीं	नहीं	एनए	एनए	242	240	एनए	एनए
5.	कर्नाटक *	25	25	178	178	एनए	एनए	1207267	1207267	676476	676476	हां	हां	175	175	226	312	299	613
9	केरल *	14	14	22	92	149	149	1221198	1221198	711310	711310	ह्यं	ন্ত্ৰ	74	74	240	221	1229	1229
7.	पाणिडचेरी	1	1	एनए	एनए	एनए	एनए	4991	5079	16	10	नहीं	नहीं	एनए	एनए	31	31	एनए	एनए
8	पंजाब	0	0	68	68	0	0	851145	840989	113432	106618	ह्यं	ह्यं	84	80	255	136	751	785
6	राजस्थान *	0	0	36	36	143	143	1190597	1190597	772507	772507	नहीं	नहीं	6	6	96	96	415	415
10.	. तमिलनाडु	26	56	180	180	2	2	1358533	1355660	181974	181974	हां	हां	180	180	117	113	486	475
11.	त्रिपुरा	5	5	एनए	एनए	एनए	एनए	22564	22573	2739	2742	हां	हां	एनए	एनए	29	27	एनए	एनए
12.	उत्तरप्रदेश	323	323	एनए	एनए	एनए	एनए	3050898	3024657 2582585		2519647	खं	खं	एनए	एनए	3181	3050	एनए	एनए
13.	पश्चिम बंगाल	2	2	24	24	73	73	385887	358734	207672	207563	नहीं	नहीं	23	23	91	85	551	573
	योग (1 से 13)	672	679	602	602	463	473	10270255	10177590 5513523	5513523	5426081			565	561	5039	4902	5062	4981
1	C		4																

टिप्पणी: (1) एनए का तात्पर्य लागू नहीं। (2) *31.03.2017 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय हैं।।

Note	

LIST OF MEMBERS (31.03.2018)

- 1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
- 2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
- Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
- 4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
- 5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
- 6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
- Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
- 8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
- 9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
- 10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
- 11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
- 12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
- 13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
- 14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
- 15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
- 16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
- 17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
- 18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
- 19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

सदस्यों की सूची (31.03.2018)

- असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,गुवाहटी ।
- बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि., (बिहार—झारखण्ड),पटना।
- गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
- हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,पंचकुला।
- हिमांचल प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि..शिमला।
- 6. जम्मू व कश्मीर राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
- कर्नाटक राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,बैंगलोर।
- केरल राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,थिरुवनन्तपुरम।
- उड़ीशा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,भुवनेश्वर।
- पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि. पाण्डिचेरी।
- 11. पंजाब राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि,चण्डीगढ़।
- राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि, जयपुर।
- 13. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि, चेनैईं ।
- त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि,अगरतला।
- उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.,लखनऊ।
- पश्चिम बंगाल राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि, कोलकता।
- 17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.,नई दिल्ली।
- 18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि, शिलांग।
- तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि, हैदराबाद।



NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD. राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क, रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४११४ / ४२६ / २२६

(एम.डी) : २७८१ ४२२४ फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५ ई-मेल : nafcard.org@gmail.com वेबसाईट : www.nafcard.org 701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing, Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703

Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226

(M.D.): 022 - 27814224 Fax: 91-22-27814225

E-mail: nafcard.org@gmail.com Website: www.nafcard.org